R.N.I. No. 56386/92

लघु उद्योग, स्वरोजगार व प्रबन्ध क्षेत्रों में मार्गदर्शक

उद्यमिता

ISSN : 0971-6211
वर्ष : 01 अंक : 04

मई 2022
मूल्य 25/- मात्र

●उपज का ऑनलाइन व्यापार : ई-नाम योजना ●किसान रथ मोबाइल ऐप ●राष्ट्रीय कृषि ई-गवर्नेंस योजना

कृषि उद्योग विशेषांक

● उद्यानिकी कृषकों की सहायता के लिए मप्र में संचालित प्रमुख योजनाएं

A MONTHLY PUBLICATION ON SMALL INDUSTRY, SELF EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP

स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है योग : अनुराधा सिंघई

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेडमैप में ध्यान शिविर का आयोजन

भोपाल। तनाव रहित व संतुलित जीवन जीने के लिए योग जरूरी है। वर्तमान समय में स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग बेहद आवश्यक हो गया है क्योंकि व्यस्त व तनावपूर्ण दिनचर्या को योग के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। योग वस्तुतः 8 प्रमुख घटकों का संयोजन है। ये आठ घटक हैं नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप) में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित ध्यान शिविर में केंद्र की कार्यकारी संचालक अनुराधा सिंघई ने उक्ताशय के उद्गार व्यक्त किए। यह शिविर सहजयोग ध्यान केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती सिंघई ने कहा कि योग से न केवल मन की एकाग्रता बढ़ती है अपितु शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसके माध्यम से मन व शरीर के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यह ईश्वर से जुड़ने का भी एक माध्यम है। जिम में तो हम रोजाना एक ही व्यायाम करते हैं परंतु योग में विभिन्न आसनों के माध्यम से शरीर को लचीला बनाया जा सकता है। सेडमैप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहजयोग ध्यान केंद्र के प्रतिनिधियों द्वारा ध्यान का अभ्यास भी करवाया गया और इसके प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव भी करवाया गया।

R.N.I. No. 56386/92

वर्ष : 01 अंक : 04

विवरणिका

मई 2022

- भारत में कृषि संबंधित उद्योगों की उपलब्धियां एवं भविष्य की संभावनाएं 06
- उपज का ऑनलाइन व्यापार कैसे करें किसान : ई-नाम योजना 11
- किसान रथ मोबाइल ऐप 18
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) 21
- ग्रामीण आजीविका का उत्तम साधन 23

- मिट्टी से बने गैर-विद्युत कूलिंग कैबिनेट के लिए भारतीय मानक विकसित 26
- गरीब ग्रामीण किसानों की आजीविका का आधार : बकरी पालन 27
- लाभदायक आय का जरिया : मधुमक्खी पालन 33
- आय अर्जन की उज्जवल संभावनाओं से भरपूर : मत्स्यपालन 37
- पोल्ट्री फार्म प्रारंभ करने से संबंधित आधारभूत जानकारियां 46

- प्रदेश में फल-पौध रोपणी स्थापित करने हेतु लायसेंस लेने की नियम एवं प्रक्रिया 49
- सेडमैप समाचार 52
- उद्यानिकी कृषकों की सहायता के लिए मप्र में संचालित प्रमुख योजनाएं 56
- मप्र का औद्योगिक परिदृश्य 66

प्रधान संपादक

अनुराधा सिंघई

कार्यकारी संचालक

संपादक एवं प्रकाशन प्रमुख

उमाशंकर दुबे

आकल्पन एवं अक्षर संयोजन

दिनेश कुमार मधुकर राव गावड़े

प्रकाशन सहायक

राधा शर्मा

वितरण सहायक

संतोष सिंह

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, सूचनाएं, विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार होते हैं तथा विभिन्न स्त्रोतों से लिये जाते हैं। इनमें किसी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटि हेतु उद्यमिता समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं हैं।

संपादकीय एवं व्यावसायिक संपर्क

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन)

16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011 म.प्र.

फोन : 0755 - 4000914 **ई-मेल :** cedmapusp@rediffmail.com

वेबसाइट : www.cedmapindia.mp.gov.in

स्वरोजगार स्थापना में बनें सहभागी

वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या और स्वरोजगार उसका सर्वश्रेष्ठ समाधान है। लोगों को स्वरोजगार स्थापना से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मासिक पत्रिका **उद्यमिता समाचार पत्र** का प्रकाशन किया जाता है। ऐसे सभी विशेषज्ञ जो इस क्षेत्र में मार्गदर्शक जानकारियां प्रदान कर सकते हैं, उनके लेखों, जानकारियों का उद्यमिता समाचार पत्र में सादर स्वागत है। उद्यमिता समाचार पत्र में लेख, सूचना, समाचार, विज्ञापन एवं प्रकाशन योग्य अन्य सामग्रियां उपरोक्त पते पर प्रेषित की जा सकती हैं.

पत्रिका के आगामी विशेषांकों की सूची

जून 2022 अंक नवकरणीय ऊर्जा उद्योग विशेषांक

के रूप में प्रकाशित किया जाएगा

आगामी अंक निम्न विषयों पर प्रकाशित किए जाएंगे

- सूचना प्रौद्योगिकी
- मत्स्योद्योग
- वस्त्रोद्योग
- ज्वैलरी उद्योग
- सेवा उद्योग
- हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्योग
- प्लास्टिक उद्योग
- खादी एवं ग्रामोद्योग
- भवन निर्माण उद्योग
- ऑटोमोबाइल
- लौह एवं इस्पात उद्योग

सूचना : उद्यमिता समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री पर सर्वाधिकार प्रकाशित करने से पूर्व प्रकाशन की अनुमति लेना आवश्यक है तथा ऐसे लेखों के अंत में पत्रिका से संबंधित अंक का विवरण देते हुए उद्यमिता समाचार पत्र से साभार लिखना अनिवार्य होगा। ऐसा न किये जाने पर उद्यमिता समाचार पत्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

लाभदायक योजनाओं पर सफलता की फसल लें किसान

दुनिया इस समय जिन प्रमुख संकटों से जूझ रही है, उनमें खाद्य संकट भी एक है। एक आकलन के अनुसार 100 से ज्यादा देशों में वर्ष 2000 की तुलना में 2021 में अधिक आबादी के पास खाने की कमी रही। इस चिंताजनक परिदृश्य के बीच एक पूर्वानुमान यह है कि दुनिया की आबादी वर्तमान के सात अरब से बढ़कर 2050 तक नौ अरब हो जाएगी। इसके मद्देनजर खाद्य आपूर्ति को भी 2007 की तुलना में 77 फीसदी बढ़ाने की जरूरत होगी। इन हालातों के बीच संयुक्त राष्ट्र और कृषि संगठन के अनुमान के मुताबिक, खेतों में पैदा होने वाला करीब 30 फीसदी खाद्यान्न कभी भी खाने की प्लेट तक नहीं पहुंच पाता है, लिहाजा इसकी पैदावार करने में लगने वाले पानी, भूमि, खनिज जैसे संसाधन तो बर्बाद होते ही हैं साथ ही इस उपज का सार्थक उपयोग भी नहीं हो पाता है। खेतों में पैदा हुआ यह खाद्यान्न सही समय पर उस स्थान तक पहुंच सके जहां इसका उपभोग किया जाना है तो मौजूदा स्थिति में ही खाद्यान्न की तीस प्रतिशत आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य पदार्थों की ज्यादातर बर्बादी खेत और बाजार के बीच होती है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर हम यह कह सकते हैं कि खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे वैश्विक संकट से निपटने के लिए न सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है अपितु इस बात की भी महती आवश्यकता है कि किसानों के द्वारा उत्पादित उपज को सही समय पर सही जगह तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां कुल कार्यबल की 54.6 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र के कार्यकलापों में लगी हुई है (जनगणना 2011) और वर्ष 2021-22 (वर्तमान मूल्यों पर) में देश के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में इसकी भागीदारी 18.8 (प्रथम अग्रिम अनुमान) रही है। कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए देश व प्रदेश में इसके सतत विकास हेतु कई योजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों की आय में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ये योजनाएं कृषि क्षेत्र के लिए संजीवनी का काम कर रही हैं। सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से न केवल विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ा है अपितु ऑनलाईन प्लेटफॉर्म से विक्रय की सुविधा ने उपज के विपणन का दायरा भी असीमित बढ़ा दिया है। किसानों की यह मेहनत सही समय पर सही जगह तक पहुंचे इसके लिए किसान रथ जैसी व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इसे देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि देश व प्रदेश में कृषि व किसानों के लिए सरकारी योजनाएं लहलहा रही हैं, जरूरत इस बात की है किसान इन योजनाओं का सदुपयोग कर अपनी सफलता सुनिश्चित करें।

अनुराधा सिंघई

भारत में कृषि एवं संबंधित उद्योगों की उपलब्धियां एवं भविष्य की संभावनाएं

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कुल कार्यबल की 54.6 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र के कार्यकलापों में लगी हुई है। वित्त वर्ष 2020 में कृषि, वानिकी एवं मत्स्यपालन का सकल मूल्य में योगदान रु. 19.48 लाख अनुमानित था। वित्तीय वर्ष 2022 की राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों की वर्तमान मूल्यों पर प्रतिशत भागीदारी कुल जीवीए की 18.8 प्रतिशत रही। भारत में महामारी से हुए संकुचन के बाद वर्ष 2021 में उपभोक्ता व्यय में वृद्धि की वापसी हुई है तथा इसका विस्तार 6.6 प्रतिशत तक हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021 में कृषि एवं सहायक गतिविधियों से स्थिर मूल्यों पर विकास दर 3.6 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई है।

भारतीय खाद्य उद्योग विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अपने प्रचुर मूल्यवर्द्धन की क्षमता के साथ वृहद विकास के लिए तैयार है तथा विश्व खाद्य व्यापार में साल दर साल अपना योगदान बढ़ा रहा है। भारतीय खाद्य एवं किराना बाजार विश्व का छठवां सबसे बड़ा बाजार है, इसमें विक्रय में खुदरा व्यापार का योगदान 70 प्रतिशत है। देश के कुल खाद्य बाजार में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत है, जोकि देश में सबसे बड़े उद्योगों में से एक है तथा उत्पादन, उपभोग, निर्यात एवं अनुमानित वृद्धि के लिहाज से यह पांचवें स्थान पर है। वित्त वर्ष 2021 में कृषि एवं सहायक उत्पादों का कुल निर्यात 41.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है।

मार्केट साइज

भारत के वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 296.65 मिलियन टन रिकॉर्ड किया गया जोकि वित्त वर्ष 2019 के 285.21 मिलियन टन की तुलना में 11.44 मिलियन टन ज्यादा रहा। वित्त वर्ष 2021 में सरकार ने केंद्रीय पूल के जरिए 42.74 मिलियन टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया, जोकि वित्त वर्ष 2020 में खरीदी गई मात्रा से 10 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त वर्ष 2022 के लिए सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन में दो प्रतिशत वृद्धि के साथ 307.31 मिलियन टन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2021 में तय लक्ष्य 301 मिलियन टन की तुलना में 303.34 मिलियन टन का उत्पादन दर्ज किया गया था।

तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 331.05 मिलियन मीट्रिक टन रहा तथा वित्त वर्ष 2020 की तुलना में इसमें 10.5 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। भारत में पशुधन की सर्वाधिक आबादी है, जिनकी संख्या लगभग 535.78 मिलियन है जोकि समकक्ष क्षेत्र में वैश्विक संख्या का लगभग 31 प्रतिशत है। देश में दुग्ध का उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 208 मीट्रिक टन होना अनुमानित था जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह उत्पादन 198 मीट्रिक टन था, इस प्रकार इसमें साल-दर-साल 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा रही है। वित्त वर्ष 2021 में

उद्यानिकी के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार 2.7 प्रतिशत अनुमानित था।

भारतीय शक्कर मिल संगठन (आईएसएमए) के मुताबिक देश में अक्टूबर 2019 एवं मई 2020 के बीच शक्कर का उत्पादन 26.46 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। भारत दुनिया के 15 अग्रणी कृषि उत्पाद निर्यातक देशों में शामिल है। भारत से कृषि का निर्यात वित्त वर्ष 2019 में 38.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा वित्त वर्ष 2020 में 35.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

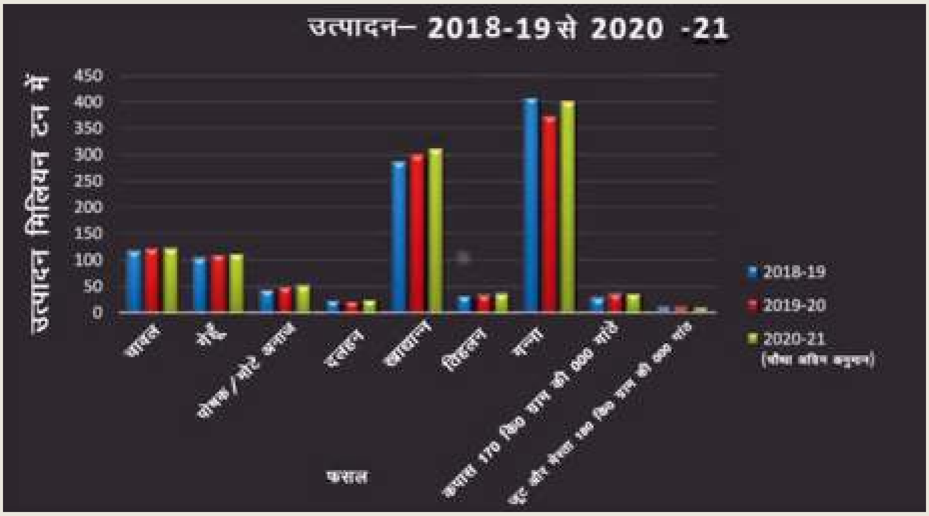

- आइएनसी42 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय कृषि क्षेत्र का 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक वृद्धि होने का अनुमान है।
- बीज उत्पादन में निजी क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2017 के 57.28 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 64.46 प्रतिशत हो गया है।
- भारत चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, मूंगफली, फल एवं सब्जियों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पिछले दशक में वर्ष 2019 तक दाल उत्पादन में विश्व में भारत की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत रही।
- भारत में ऑर्गेनिक फूड के खंड में 2015 से 2025 के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है तथा इसके वर्ष 2015 के रु.2,700 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025 तक रु. 75,000 करोड़ होना अनुमानित है।
- भारत में प्रसंस्कृत खाद्य बाजार का विकास वित्त वर्ष 2020 के रू. 1,931,288.7 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 तक रू. 3,451,352.5 होना अनुमानित है। इसके लिए सरकार कई पहलें कर रही है जैसे एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की नियोजित अधोसंरचना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आदि। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी है।

इस क्षेत्र ने अप्रेल 2000 से दिसंबर 2021 के मध्य निवेश में 10.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संचित एफडीआई इनफ्लो की तीव्र वृद्धि हासिल की है। भारत महत्वपूर्ण प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जैसे दालें, प्रसंस्कृत सब्जियां, प्रसंस्कृत फल एवं जूस, मूंगफली, ग्वारगम, अनाज से बने उत्पाद, मिल उत्पाद, अल्कोहलयुक्त पेय एवं तेल मिल उत्पाद आदि का निर्यात करता है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के द्वारा किए गए काम्प्रेहेंसिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीइपीए) से देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को मजबूती मिलेगी।

निवेश

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के अनुसार भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने अप्रेल 2000 एवं जून 2021 के बीच संचयित रूप से लगभग 10.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) इक्विटी इनफ्लो आकर्षित किया।

- कृषि के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निवेश एवं विकास निम्नानुसार हैं :

- वर्ष 2017 से 2020 के बीच भारत ने एग्रीटेक फंडिंग में एक बिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल किए। निवेशकों की महत्वपूर्ण रूचि के साथ एग्रीटेक फंडिंग एवं एग्रीटेक स्टार्टअप्स की संख्या के लिहाज से भारत तीसरे स्थान पर

रहा। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2025 तक भारतीय एग्रीटेक कंपनियां 30 से 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की साक्षी बनेंगी।

- मार्च 2020 में देश के सबसे पुराने वृहद स्तर के उर्वरक निर्माता ने उत्पादन एवं विक्रय में दस लाख के अंक को पार कर लिया।
- नवंबर 2021 में कोका-कोला ने रानी फ्लोट फ्रूट जूस लांच कर अपने गैसयुक्त पेय उत्पादों से आगे कदम बढ़ाया।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर), भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) तथा जापानी एनसेफलाइटिस आइजीएम एलिसा ने अक्टूबर 2019 में दो जांच किट का विकास किया।

– एथेनॉल उत्पादन के लिए भारत में रू. 8,500 करोड़ रूपए के निवेश की घोषणा की गई है।

सरकार द्वारा की गई पहलें

इस क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजट वर्ष 2020-21 के 1.25 लाख करोड़ रूपए से बढ़ाकर वर्ष 2021-22 में 1.32 लाख करोड़ रूपए कर दिया गया है।
- एग्रीकल्चर स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ब्लेंडेड कैपिटल फंड के सृजन में सहायता करेगा जिसका उपयोग कृषि एवं ग्रामीण उद्यम के ऐसे स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने में किया जाएगा जो फार्म प्रोडक्ट वैल्यू चेन से संबंधित हों।
- कृषि के क्षेत्र में सरकार ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है तथा कृषि यांत्रिकीकरण की उप-योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।
- कृषि के क्षेत्र से संबंधित नई प्रौद्योगिकियां जैसे उन्नत प्रकार के फसल बीज, पशुओं एवं मछलियों की उन्नत नस्लें तथा उत्पादन एवं संरक्षण की विकसित प्रौद्योगिकियां किसानों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने देश भर में जिलों में 729 कृषि विज्ञान केंद्रों का जाल बिछाया है।
- अक्टूबर 2021 में आणंद, गुजरात में डेयरी सहकार योजना लांच की गई।
- नागरिक उड्डयन विभाग ने अक्टूबर-2021 में कृषि उड़ान 2.0 योजना लांच की। इस योजना में कृषि उत्पादों के हवाई परिवहन को सहायता एवं इंसेंटिव देना प्रस्तावित है। कृषि उड़ान 2.0 देश के 53 हवाई अड्डों में लागू की जाएगी, जिसमें उत्तर पूर्व एवं जनजातीय क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- अक्टूबर 2021 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने साइट्रस एवं इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर-सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- अक्टूबर 2021 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की कि एक विशेष कार्यक्रम के तहत 15 प्रमुख उत्पादक राज्यों के 343 चिन्हित जिलों में 820,600 बीज मिनी-किट्स वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु के प्रति सहनशील एवं उच्च पोषक तत्वों जैसे विशेष गुणों से युक्त फसलों की 35 प्रजातियों को लांच किया।
- 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान संपदा निधि योजना लांच की तथा एक करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 2,021 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 65,000 करोड़ रुपए आवंटित थे।
- नई प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग एवं जीआइएस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, रोबोट एवं अन्य पर आधारित परिजयोजनाओं के लिए सरकार ने वर्ष 2021-25 के लिए डिजीटल कृषि मिशन शुरू किया है।
- सितंबर 2021 में केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री ने सिस्का, निंजाकार्ट, जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड एवं एनसीडीइएक्स इ-मार्केट्स लिमिटेड के साथ पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौता

ज्ञापनों में पांच परियोजनाएं होंगी जो किसानों को किस प्रकार की फसल लेनी है, बीज की कौन सी प्रजाति का उपयोग करना है, तथा उपज बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली श्रेष्ठ पद्धतियों का निर्णय लेने में सहायता करेगी।

- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय ब्रांड्स के फूड को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी योजना के तहत 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट अनुमोदित किया गया है।
- केंद्रीय बजट 2021–22 के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के लिए 4,000 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को केंद्रीय बजट 2021–22 में 1,308.66 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।
- किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, कृषि यंत्रीकरण जैसे कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना, कृषि मशीनरी बैंक एवं विभिन्न राज्यों में हाईटेक हब निर्माण के लिए भारत सरकार ने जून 2021 में धन जारी किया है।
- अप्रैल 2021 में भारत सरकार ने पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को वित्तीय वर्ष 2022 से छः वर्षों के लिए 10,900 करोड़ रूपए के इंसेंटिव का प्रावधान है।
- कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम शुरू की है।
- दिसंबर 2018 में सरकार ने कृषि निर्यात नीति, 2018 को मंजूरी दी है। नई नीति का उद्देश्य भारत का कृषि निर्यात वर्ष 2022 तक 60 अरब अमेरिकी डॉलर तथा अगले कुछ वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है।
- सहकारी समितियों को डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए सरकार प्राथमिक कृषि साख समितियों के कंप्यूटरीकरण हेतु 2,000 करोड़ रूपए प्रदान करने वाली है।

कृषि क्षेत्र में उपलब्धियां

- 27 अक्टूबर, 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार रबी फसल का कुल क्षेत्र 0.53 लाख हेक्टेयर है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ मौसम 2021–22 में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड 150.50 मिलियन टन उत्पादन अनुमानित है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक फसल वर्ष 2020–21 में चावल का उत्पादन 102.36 मिलियन टन तथा खाद्यान्नों का उत्पादन 144.52 मिलियन टन अनुमानित था।
- जुलाई 2021 में कश्मीर की मिसरी चेरी की पहली व्यावसायिक खेप दुबई भेजी गई जिससे उद्यानिकी फसल निर्यात की राह प्रशस्त हुई।
- जून 2021 में भारत के पश्चिम बंगाल से नेपाल को 24 मीट्रिक टन मूंगफली का निर्यात किया गया, जिससे पूर्वी भारत से मूंगफली के निर्यात को बढ़ावा मिला।
- वित्त वर्ष 2021 में भारत ने 619 करोड़ रूपए के 1.91 लाख टन केले का निर्यात किया।
- खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में 20 जनवरी 2020 तक धान की खरीदी 534.44 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई पिछले वर्ष के 423.35 मीट्रिक टन की तुलना में इसमें 26.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
- नवंबर 2020 में शीतकालीन फसल की रोपाई पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा हुई तथा दाल बोवाई के क्षेत्र में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। पिछले वर्ष के 6.45 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 8.25 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में दाल की बोवाई की गई।
- देश में कुल 37 मेगा फूड पार्क्स स्वीकृत हैं जिसमें से जनवरी 2021 तक 22 मेगा फूड पार्क्स शुरू हो गए थे।
- नवंबर 2020 में उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य की एजेंसियों के द्वारा आगामी खरीफ सीजन में पिछले वर्ष के 627 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 742 मीट्रिक टन की रिकॉर्ड मात्रा में खरीदी की जाएगी।
- विद्यमान एपीएमसीएस की नेटवर्किंग के जरिएस कृषि वस्तुओं का राष्ट्रीय एकीकृत बाजार सृजित करने के लिए अप्रेल 2016 में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई–नाम) प्रणाली लांच की गई। फरवरी 2021 तक इस

मंच में 1.69 करोड़ किसान तथा 157,778 व्यापारी पंजीकृत हो चुके थे। देश की एक हजार से अधिक मंडियां ई–नाम से जुड़ी हुई हैं तथा 2021–22 के दौरान 22 हजार और मंडियों के इस मंच से जुड़ने के आसार हैं।

- वर्ष 2020 में देश में 880,048 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई तथा 77,378 इकाइयों का निर्यात हुआ।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जिन प्रमुख फसलों के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई उनका विवरण निम्नानुसार है :–

- **गेहूं एवं अन्य अनाज :** 727 प्रतिशत, रू. 3,708 करोड़ से रू. 5,860 करोड़
- **गैर बासमती चावल :** 132 प्रतिशत, रू. 13,130 करोड़ से रू. 30,277 करोड़
- **सोया मील :** 132 प्रतिशत, रू. 3,087 करोड़ से रू. 7,224 करोड़
- **कच्चा कपास :** 68 प्रतिशत, रू. 6,771 करोड़ से रू. 11,373 करोड़
- **शक्कर :** 39.6 प्रतिशत, रू. 12,226 करोड़ से रू. 17,072 करोड़
- **मसाले :** 11.5 प्रतिशत, रू. 23,562 करोड़ से रू. 26,257 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020 में फरवरी 2020 तक चाय का निर्यात 709.28 मिलियन डॉलर रहा।

वित्तीय वर्ष 2020 में कॉफी का निर्यात 742.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

भविष्य की राह

उम्मीद है कि भारत कृषि से होने वाली आय को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2022 तक हासिल कर लेगा। कृषि अधोसंरचना जैसे सिंचाई सुविधाओं, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ने के कारण आने वाले कुछ वर्षों में भारत का कृषि क्षेत्र अच्छी गति पकड़ लेगा। इसके अलावा आनुवांशिक रूप से परिवर्द्धित फसलों के बढ़ते उपयोग के

कारण भारतीय किसानों की उपज में भी वृद्धि के आसार हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि तथा वैज्ञानिकों द्वारा शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियों के विकास पर केंद्रित प्रयासों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में दाल उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा।

- अगले पांच वर्षों में केंद्र सरकार का पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन के क्षेत्र में 9 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024–25 तक मत्स्य उत्पादन 220 लाख टन करने का है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले तंत्र जैसे आइएसओ 9000, आइएसओ 22000, हजार्ड एनेलिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स (एचएसीसीपी), गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (जीएमपी) एवं गुड हाइजनिक प्रैक्टिसेस (जीएचपी) सहित टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (टीक्यूएम) अपनाने के कारण कई फायदे मिलेंगे। वर्ष 2022 तक भारत का कृषि निर्यात 60 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के आसार हैं।

स्त्रोत : https://www.ibef.org से प्राप्त जानकारी के संपादित अंश

उपज का

ऑनलाइन व्यापार कैसे करें किसान

कृषि उपज के ऑनलाइन व्यापार में सहयोगी : ई-नाम योजना

किसानों को उनकी उपज की लाभकारी कीमत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई–नाम योजना शुरू की है। यह एक ऑनलाइन पारदर्शी बोली प्रणाली है जो किसानों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफार्म की तरह कार्य करती है। इस प्लेटफॉर्म से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन के रूप में अनंत आकाश मिला है जहां वे प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही खरीदारों, व्यापारियों एवं कमीशन एजेंटों के लिए भी इस प्लेटफॉर्म ने कई मुश्किलें आसान कर दी हैं। इस सुविधा से अब उन्हें अपनी मनपसंद की उपज एक ही जगह मिल जाती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को इस योजना का उद्घाटन किया था। योजना की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आठ राज्यों की महज 21 मंडियों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई इस योजना से 31 मार्च, 2022 तक 1.73 करोड़ से अधिक किसान, 3.24 लाख व्यापारी और कमीशन एजेंट के साथ 2113 एफपीओ पंजीकृत हो चुके हैं। इतना ही नहीं 22 मार्च, 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 1.82 लाख करोड़ रुपए के कृषि उपज का व्यापार किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने लघु किसान कृषि व्यापार परिसंघ को ई–नाम की शीर्ष कार्यान्वायक एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए अधिदेशित किया है। ई–नाम एक वर्चुअल मंडी है, लेकिन दूसरी ओर यह एक वास्तविक बाजार भी है।

योजना के उद्देश्य : योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

- कृषि जिंसों में पैन इंडिया व्यापार की सुविधा देने हेतु सामान्य ऑनलाईन मार्केट प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले राज्यों के स्तर पर तथा इसके पश्चात पूरे देश में मंडियों को एकीकृत करना।

- विपणन/ट्रांजेक्शन प्रक्रियाओं को मुख्य धारा में लाना तथा मंडियों की सक्षम कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने हेतु सभी मंडियों को एकीकृत करना।

- अधिक से अधिक खरीदारों/मंडियों तक ऑनलाईन पहुंच के माध्यम से किसानों/विक्रेताओं के लिए बेहतर विपणन अवसर को बढ़ावा देना, किसानों तथा व्यापारियों के बीच सूचना की असमानता को दूर करना, कृषि जिंसों की वास्तविक मांग के आधार पर बेहतर एवं वास्तविक समय मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करना।
- खरीदारों द्वारा सूचना प्राप्त बोली को बढ़ावा देने हेतु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्रणालियों को स्थापित करना।
- उपयोगकर्ताओं के लिए स्थिर मूल्य तथा गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना।

योजना की मुख्य विशेषताएं :

कृषि उपज के व्यापार के लिए शुरू किए गए इस पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

- **बहुभाषी वेबसाइट और मोबाइल ऐप :** ई-नाम वेबसाइट और मोबाइल ऐप बहुभाषी हैं अर्थात 12 भाषाओं - अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, डोंगरी, मलयालम और कन्नड़ में उपलब्ध हैं।
- **मोबाइल एप्लिकेशन :** ई-नाम का मोबाइल ऐप एंडराइड और आईओएस के लिए उपलब्ध है और इसे क्रमशः गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल एप्लिकेशन पर किसानों के लिए निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध हैं :
  - बहुभाषी - 12 भाषाओं में उपलब्ध है।
  - रूट मैप के साथ आस-पास (100 किमी) में मंडियों का पता लगाया जा सकता है।
  - आस-पास की ई-नाम मंडियों और गैर-ई-नाम मंडियों में कीमतों की जानकारी मिलती है।
  - एडवांस गेट एंट्री की सुविधा।
  - लॉट प्रोग्रेस ट्रैकिंग की सुविधा।
  - नमूना लेने और परख करने की सुविधा।
  - ऑनलाइन भुगतान सुविधा - आरटीजीएस/एनईएफटी, यूपीआई, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग
  - पंजीकरण, मोबाइल नंबर का अद्यतन, अंतिम बोली मूल्य स्वीकृति, बिक्री अनुबंध और भुगतान की प्राप्ति के संबंध में एसएमएस अलर्ट।

योजना से कैसे जुड़ें किसान

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान निम्नानुसार माध्यमों से अपना पंजीयन करा सकते हैं :-

- वाया ई-नाम पोर्टल (http://www.enam.gov.in)
- मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से
- मंडी पंजीकरण (गेट प्रवेश) के माध्यम से

- अपना पंजीकरण कराने के लिए किसान सर्वप्रथम http://www.enam.gov.in पर क्लिक करें।
- इसके बाद पंजीकरण पृष्ठ में http:/enam.gov.in /NAM/ home/ other register.html पर जाएं।
- पंजीकरण प्रकार का चयन किसान के रूप में करें और वांछित एपीएमसी का चयन करें।
- अपना सही ई-मेल आईडी प्रदान करें क्योंकि आपको उसी में लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
- एक बार सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के बाद आपको दिए गए ई-मेल में एक अस्थायी लॉगिन आईडी और

पासवर्ड प्राप्त होगा।
- सिस्टम के माध्यम से www.enam.gov.in पर दिख रहे आइकन पर क्लिक करके डैशबोर्ड में प्रवेश करें।
- डैशबोर्ड पर उपयोगकर्ता को एक चमकता संदेश मिलेगा जैसे : एपीएमसी के साथ पंजीकरण करने के लिए यहां क्लिक करें।
- विवरण भरने/अद्यतन करने के लिए आप पंजीकरण पृष्ठ पर फ्लैश करने वाले लिंक पर क्लिक करें।
- केवाईसी पूरा होने के बाद इसे आपके चयनित एपीएमसी को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
- अपने डैशबोर्ड में सफल लॉगिन के बाद आप सभी एपीएमसी का पता विवरण देख पाएंगे।
- सफल लॉगिन के बाद यूजर को एक ई-मेल प्राप्त होगा, जो संबंधित एपीएमसी को एप्लिकेशन सबमिट करने की पुष्टि करते हुए आवेदन की स्थिति के साथ सबमिशन/इन-प्रोग्रेस हो जाएगा।
- एपीएमसी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, आपको पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पूर्ण पहुंच के लिए ई-नाम किसान स्थायी लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
- या आप इसके लिए अपने संबंधित मंडी/एपीएमसी से संपर्क कर सकते हैं।

पंजीकरण के लिए लगने वाला शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज (किसानों के लिए)

- ई-नाम पर पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है।
- पंजीकरण कराने के लिए किसान को अपना नाम, लिंग, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण आदि दर्ज कराने होते हैं।
- इस हेतु पासबुक (चेक लीफ), कोई सरकारी पहचान प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होती है।

योजना से किसानों को लाभ

इस कृषक सहयोगी योजना से किसानों को निम्नानुसार लाभ प्राप्त होते हैं :-

- किसान मंडी में जाने से पहले ही ई-नाम मोबाईल एप पर प्रचलित जिंस मूल्य की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- ई-नाम देशभर में खरीदारों/व्यापारियों तथा किसानों के बीच प्रत्यक्ष व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
- किसान अपने उत्पाद की बिक्री एक से अधिक मंडी में कर सकता है।
- शीर्ष मौसम के दौरान बड़ी संख्या में लॉट के शीघ्र गेट प्रवेश की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से बड़ी संख्या के लिए पूर्व पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
- किसान ई-नाम मोबाईल प्रयोग के माध्यम से अपने उत्पाद का लाईव ऑनलाईन बोली मूल्य देख सकते हैं।
- किसानों को एसएमएस के माध्यम से जिंस की अंतिम बोली दर का विवरण प्राप्त होता है।
- मूल्य गुणवत्ता परख मापदंडों पर आधारित है।
- किसानों के बैंक खातों में सीधे बोली मूल्य के अंतरण के लिए एक ऑनलाइन भुगतान माध्यम है।

कैसे पंजीयन कराएं व्यापारी

ई-नाम में खरीदार/ट्रेडर अपना पंजीकरण निम्नानुसार करवा सकते हैं :-

- वाया ई-नाम पोर्टल
- मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से
- मंडी पंजीकरण के माध्यम से (स्वयं मंडी में जाकर)

- पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराने के लिए व्यापारी www.enam.gov.in पर जाएं।
- फिर पंजीकरण पृष्ठ पर www.enam.gov.in/NAM/home/other register.html2 पर जाएं।
- ट्रेडर के रूप में पंजीकरण का प्रकार चुनें और उपयुक्त एपीएमसी या राज्य स्तर का चयन करें।
- उसी में लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपना पासपोर्ट आकार का फोटो और सही ईमेल आईडी प्रदान करें।
- सफल पंजीकरण आपके दिए गए ई-मेल आईडी में एक अस्थायी लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा करेगा।
- सिस्टम के माध्यम से आइकन पर क्लिक करके डैशबोर्ड में प्रवेश करें।
- उपयोगकर्ता को डैश बोर्ड पर एक चमकता संदेश मिलेगा जैसे : एपीएमसी के साथ पंजीकरण करने के लिए यहां क्लिक करें।
- विवरण भरने के लिए आप पंजीरण पृष्ठ पर फ्लैश करने वाले लिंक पर क्लिक करें।
- इसे आपके चयनित एपीएमसी या स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड (एकीकृत लायसेंस के मामले में) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- अपने डैशबोर्ड में सफल लॉगिन के बाद, आप अधिसूचित वस्तुओं के लिए एपीएमसी में होने वाली आगमन और व्यापार गतिविधियों को देख पाएंगे।
- उपयोगकर्ता को डैशबोर्ड पर एक चमकता संदेश मिलेगा जैसे : लिंक पर क्लिक करें।
- ट्रेडर पर अपना लायसेंस और केवाईसी विवरण जमा करने के लिए यह आपको पंजीकरण पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करेगा।
- आपका विवरण आपके चयनित एपीएमसी द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- सफलतापूर्वक सबमिट किए गए उपयोगकर्ता को आवेदन की स्थिति की पुष्टि करने वाला एक ईमेल प्राप्त होगा जिसे प्रस्तुत/स्वीकृत किया गया है - अस्वीकृत।
- इसकी स्थिति ऊपर बताए अनुसार डैशबोर्ड में लॉगिन करके देखी जा सकती है।
- स्थायी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए अपने संबंधित मंडी/एपीएमसी पर जाएं और अपना लायसेंस सत्यापित करें।
- ट्रेडर/सीए आईडी और पासवर्ड द्वारा सफल अनुमोदन के बाद दिए गए ई-मेल पर भेजा जाएगा।
- ट्रेडर/सीए दिए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन व्यापार में भाग ले सकते हैं।

पंजीकरण के लिए व्यापारियों को लगने वाले शुल्क और दस्तावेज :

ई-नाम पर पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है। व्यापारियों को पंजीकरण के लिए अपने नाम, लिंग, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण आदि दर्ज कराने होते हैं। दस्तावेज के रूप में पासबुक (रद्द किया गया चेक), कोई भी सरकारी आईडी कार्ड, ट्रेडिंग लायसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं।

व्यापारियों को मिलने वाले लाभ एवं सुविधाएं :

ई-नाम के माध्यम से व्यापारियों को अन्य मंडियों तक विस्तारित पहुंच तथा इसके जरिए अधिक विक्रेताओं तक पहुंच के साथ ही बड़े और एकीकृत बाजारों में पैठ हासिल हो जाती है। इसके अलावा पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद व्यापारियों को वस्तुओं के आगमन, गुणवत्ता और वास्तविक समय-मूल्य की जानकारी मिलती है। मोबाइल-ऐप के माध्यम से व्यवसाय करने में आसानी होने के साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग और भुगतान की सुविधा मिलती है। इसके अलावा निम्नानुसार सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं :-

शॉपिंग कार्ट : यह सुविधा एक व्यापारी को नीलामी के लिए उपलब्ध लॉट की प्रदर्शित सूची से पसंदीदा लॉट चुनने में सक्षम बनाती है। एक बार शॉपिंग कार्ट में "जोड़ें" का उपयोग करके जोड़े जाने पर, व्यापारी इन चयनित लॉट पर आसानी से बोली लगा सकता है और समय बचा सकता है।

अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए एकीकृत लायसेंसिंग प्रणाली : यह सुविधा व्यापारियों के लिए ई-नाम के माध्यम से इंट्रा-स्टेट ट्रेड लायसेंस के लिए आवेदन करने और आवश्यक दस्तावेजी अनुपालन को पूरा करने के लिए बनाई गई है।

ऑनलाइन भुगतान : ई-नाम व्यापारियों से किसानों/एफपीओ को सीधे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। व्यापारी द्वारा ऑनलाइन भुगतान कई तरीकों से अर्थात चालान (आरटीजीएस/एनईएफटी) यूपीआई, डेबिट

कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। फिर भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/ आईएफटी के माध्यम से भेजा जाता है।

एकाधिक चालानों का जन समूह : यह सुविधा व्यापारी को एकल भुगतान लेनदेन के साथ कई चालानों का ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम बनाती है।

ऑनलाइन पार्ट पेमेंट : चालान का ऑनलाइन आंशिक भुगतान एक व्यापारी को किसी भी तत्काल नकदी की जरूरत के मामले में किसान को आंशिक नकद और आंशिक ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देकर किसान की मदद करने में सक्षम बनाता है। यह सुविधा मंडी शुल्क के साथ या मंडी शुल्क के बिना आंशिक ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प प्रदान करती है।

एफपीओ भी करा सकते हैं पंजीयन

ऐसे किसान जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं, वे मिलकर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बना सकते हैं। एफपीओ की भूमिका सदस्य किसानों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में काम करना होती है। ई-नाम योजना में ये एफपीओ भी पंजीकरण करा सकते हैं और आवश्यकता के आधार पर ई-ट्रेडिंग के द्वारा एक/कई लॉट ऑनलाइन माध्यम से बेच सकते हैं। पंजीकरण के लिए एफपीओ निम्नानुसार प्रक्रिया अपना सकते हैं :-

- पंजीकरण के लिए एफपीओ/एफपीसी को ई-नाम पोर्टल पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से या नजदीकी ई-नाम मंडी में अपने एफपीओ/एफपीसी का नाम, पता, ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर तथा अधिकृत व्यक्ति (एमडी/सीईओ/प्रबंधक) का नाम दर्ज कराना होगा। इसके अलावा उन्हें बैक खाता विवरण (बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी कोड) दर्ज कराना होगा।

एफपीओ के लिए भुगतान की प्रक्रिया : ई-नाम योजना के तहत एफपीओ के लिए भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित है :-

- पूरे भुगतान को एफपीओ/एफपीसी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
- व्यक्तिगत सदस्यों के किसानों को राशि का भुगतान करने का कार्य एफपीओ/एफपीसी द्वारा किया जाएगा।
- एफपीओ/एफपीसी द्वारा निष्पादित व्यापार से संबंधित एमआईएस और रिपोर्ट को देखने के लिए ई-नाम डैशबोर्ड पर एफपीओ/एफपीसी को पहुंच प्रदान की जाएगी।

एफपीओ और फार्मगेट मॉड्यूल : ई-नाम व्यवस्था के तहत एफपीओ को लाभ यह है कि वे प्रत्यक्ष रूप से मंडियों में उपज लाने की आवश्यकता के बिना, चित्र/गुणवत्ता मापदंडों के साथ उपज विवरण ऑनलाइन अपलोड करके संग्रह केंद्रों से सीधे अपनी उपज बेच सकता है, बशर्ते संग्रह केंद्र को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा डीम्ड मंडी घोषित किया गया हो। फार्मगेट मॉड्यूल किसानों को अपनी उपज के विवरण को चित्र/गुणवत्ता मानकों के साथ अपलोड करने और ई-नाम पर व्यापार के लिए बोली सुविधा का लाभ उठाने की सुविधा वास्तविक रूप से उपज को मंडियों में लाने की आवश्यकता के बिना प्रदान करता है।

ई-नाम पर पंजीकृत एफपीओ की राज्यवार सूची

राज्य	एफपीओ की संख्या
आंध्र प्रदेश	172
छत्तीसगढ़	22
गुजरात	103
हरियाणा	238
हिमाचल प्रदेश	52
झारखंड	110
केरल	5
मध्य प्रदेश	99
महाराष्ट्र	257
ओड़िशा	180
पंजाब	6
राजस्थान	177
तमिलनाडु	108
तेलंगाना	58
उत्तर प्रदेश	240
उत्तराखंड	43
पश्चिम बंगाल	167

- जम्मू एवं कश्मीर 1
- पुडुचेरी 2
- सकल योग 2040

ट्रांसपोर्टेशन सुविधा

ई-नाम ने अपने प्लेटफार्म पर इनबाउंड (एपीएमसी से फार्म) और आउटबांड (एपीएमसी से डेस्टिनेशन) के लिए अपने यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक मॉड्यूल लांच किया है। यहां एपीएमसी का अर्थ है एपीएलएम अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति। लॉजिस्टिक का लिंक ई-नाम पर प्रदान किया गया है, जिसे ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक्सेस किया जा सकता है। ई-नाम का लॉजिस्टिक मॉड्यूल लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं को कंपनी का नाम, सेवा का क्षेत्र, उपलब्ध वाहनों की संख्या, आधार दर आदि सहित विवरण के साथ अपना प्रोफाइल बनाने में सक्षम बनाता है। लॉजिस्टिक मॉड्यूल वर्तमान में ट्रेडर के डैशबोर्ड में उपलब्ध है जो उन्हें अपनी उपज की आवाजाही के लिए रसद चुनने और अंतिम रूप देने में सक्षम बनाता है।

ई-नाम मॉड्यूल की प्रगति और उपलब्धियां

ई-नाम मॉड्यूल की अब तक की प्रगति एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क. **मंडियों के लिए आईएमडी मौसम का पूर्वानुमान :** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)ई-नाम के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान जानकारी का एकीकरण कर, ई-नाम मंडियों और आसपास के क्षेत्रों के लिए "वर्तमान दिन" पूर्वानुमान के साथ न्यूनतम और अधिकतम तापमान उपलब्ध करा रहा है। इस प्रकार मौसम की जानकारी किसानों को कृषि संचालन और विपणन निर्णयों की योजना बनाने में मदद करेगी।

ख. **वास्तविक समय मूल्य प्रसार प्रणाली :**बाजार सूचना पृष्ठ को किसानों के लिए संबंधित राज्यों की ई-नाम मंडियों में व्यापार की जा रही वस्तुओं की वर्तमान कीमत प्रदान करने वाली जानकारी के एकल स्त्रोत के रूप में डिजाइन किया गया है।

ग. **सहकारी मॉड्यूल :** सहकारी व्यापार मॉड्यूल सहकारिताओं को ई-नाम पर स्वयं को पंजीकृत करने और एपीएमसी को उपज लाए बिना सीधे अपने संग्रह केंद्र/गोदामों से अपनी उपज का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है।

घ. **ई-नाम डायरेक्टरी :** ई-नाम प्रक्रियाओं और संबंधित मंडी जानकारी पर संकलित जानकारी के साथ एक डायरेक्टरी है।

ई-नाम के तहत क्रय-विक्रय की जाने वाली कृषि उपज की सूची

खाद्यान्न		तिलहन	
1. अरहर साबूत	14. मक्का	1. अरंडी बीज	14. सूर्यमुखी बीज
2. अरहर दाल	15. मसूर साबूत	2. कपास बीज	**फल**
3. बाजरा	16. मूंग दाल	3. कुसुम बीज	1. आंवला
4. जौ	17. मूंग साबूत	4. अलसी	2. सेव
5. बासमती चावल	18. मोठ	5. सरसों बीज	3. खूबानी
6. कूटू	19. जई कच्ची	6. नीम बीज	4. एवोकैडो
7. काला चावल	20. धान	7. निगार सीड	5. केला
8. चना दाल	21. रागी	8. मूंगफली	6. बेर
9. साबूत चना	22. राजमा	9. पोंगम सीड	7. बिलिम्बि
10. देशी चना	23. उड़द दाल	10. सफेद सरसों	8. विलायती फल
11. ज्वार	24. उड़द साबूत	11. साल बीज	9. चेरी लाल/काली
12. काबुली चना साबूत	25. गेहूं	12. सीसम बीज	10. सीताफल
13. लोबिया	26. सफेद मटर तिलहन	13. सोयाबीन	11. गार्सिनिया

12. मौसमी
13. अंगूर
14. अमरूद
15. कटहल
16. जामुन
17. किन्नू
18. नींबू
19. लीची
20. आम
21. मैंगोस्टीन
22. मूट्टी फ्रूट
23. खरबूजा
24. संतरा
25. पपीता
26. कच्चा पपीता
27. पेसनफ्रूट
28. आडू
29. नाशपाती
30. अनन्नास
31. आलूबुखारा
32. अनार
33. रामबूटान
34. कच्चा आम
35. चीकू
36. हनुमान फल
37. स्ट्रॉबेरी
38. स्वीट ऑरेंज
39. तरबूज

वनस्पति एवं सब्जियां

1. घृतकुमारी
2. अरारोट
3. कच्चा केला
4. चुकंदर
5.भिंडी/ओकरा
6. करेला
7. लौकी
8. बैंगन
9. हरी फूलगोभी
10. बटन मशरूम
11. बंद गोभी
12. शिमला मिर्च
13. गाजर
14. फूलगोभी
15. ग्वारफली
16. अरबी
17. धनिया पत्ती
18. ककड़ी
19. मीठी नीम पत्ता
20. मुनगा
21. मेथी भाजी
22. लहसुन
23. खीरा
24. अदरक
25. चौलाई भाजी
26. हरी मिर्च
27. वृक्षलता
28. जीमीकंद
29. रतालू
30. लोबिया पॉड
31. पुदिना पत्ता
32. सरसों पत्ता
33. प्याज
34. ओएस्टर मशरूम
35. मटर
36. परवल
37. आलू
38. कद्दू
39. कच्ची हल्दी
40. लाल भाजी
41. मूली
42. अजमोदा
43. तुरई
44. राउंड चिली
45. सफेद पेठा
46. सेम
47. चिचिण्डा
48. पालक
49. स्पांज गोर्ड
50. हरी प्याज
51. सुगर स्नैप पी
52. स्वीट कॉर्न
53. शकरकंद
54. साबूदाना
55. टिंडा
56. टमाटर
57. विंग्ड बीन

मसाले

1. अजवाइन
2. कालीमिर्च साबूत
3. इलायची
4. लौंग साबूत
5. धनिया साबूत
6. जीरा
7. खड़ा अमचूर
8. सौंठ
9. सौंफ
10. मेथी दाना
11. बड़ी इलायची
12. जावित्री साबूत
13. खसखस
14. लाल मिर्च
15. तेजपत्ता
16. हल्दी

अन्य

1. एंथुरियम
2. सुपारी
3. बांस
4. पान
5. गुलनार
6. छप्पन कद्दू
7. चिरौंजी
8. गुलदाउदी
9. नारियल खोपरा
10. खोल सहित नारियल
11. कपास
12. जरबेरा
13. अदरक बीज
14. ग्लैडीओलस
15. मूंगफली खोल सहित
16. ग्वार बीज
17. हिल्सा
18. इसबगोल
19. कटहल के बीज
20. गुड़
21. जूट बीज
22. लिली
23. महुआ फूल
24. महुआ बीज
25. गेंदा
26. जायफल
27. तेंदू
28. मुनक्का
29. काजू
30. कॉफी के बीज
31. कच्चा जूट
32. रीठा
33. गुलाब के फूल
34. सफेद मूसली
35. केसर
36. गुलदाउदी
37. इमली
38. कच्चा नारियल
39. रजनीगंधा
40. ट्यूलिप
41. अखरोट

कृषि एवं उद्यानिकी उपज की परिवहन सुविधा का अद्भुत मंच

किसान रथ मोबाइल ऐप

कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 अप्रैल, 2020 को, किसान रथ मोबाइल एप लांच किया। ये मोबाइल एप किसानों, व्यापारियों और ट्रांस्पोर्टरों के बीच एक कड़ी का काम करता है। किसान रथ मोबाइल ऐप किसानों, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एवं व्यापारियों को देश भर में कृषि एवं उद्यानिकी उपजों की परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक अद्भुत मंच है। परिवहन के लिए इसमें ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली की विस्तृत रेंज मौजूद है। किसान अपनी उपज के परिवहन के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार पार्ट-लोड अथवा फुल-लोड की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

इस ऐप में किसान, व्यापारी, एफपीओ और ट्रांसपोर्टर पंजीकरण करा सकते हैं। किसान/एफपीओ जहां इस ऐप के माध्यम से अपने कृषि उत्पाद की बिक्री या परिवहन के लिए अनुरोध कर सकते हैं वहीं ट्रक, ट्रैक्टर या ट्राली मालिक कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के परिवहन के लिए सेवा प्रदाता के रूप में अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस ऐप में व्यापारी भी कृषि उत्पाद की खरीद या परिवहन के लिए अनुरोध पोस्ट कर सकते हैं।

कहां से डाउनलोड करें किसान रथ मोबाइल ऐप

- एंड्रॉइड ऐप को एंड्राइड उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल प्ले स्टोर से और आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए एप्पल के ऐप स्टोर से किसान रथ सर्च करके डाउनलोड किया जा सकता है।
- न्यूनतम 2 जीबी रैम, 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज स्पेस के साथ इस ऐप का उपयोग किया जा सकता है, और अधिक रैम होने पर उपयोग में आसानी होती है।
- ऐप के उपयोग के लिए मोबाइल इंटरनेट और 5.0 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए।

कैसे डाउनलोड करें ऐप

इस मोबाइल एप की सुविधा का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से किसान रथ ऐप को डाइनलोड़ और इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करें :-

- होमपेज पर अपनी भाषा का चयन करें।

- अगले पेज पर Sign In करें।
- पहली बार ऐप का लाभ ले रहे हैं तो Register के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां पंजीकरण फॉर्म के खुलते हीं चार ऑप्शन आते हैं– Farmer, FPO, Trader, Service Provider
- अगर आप किसान हैं तो Farmer के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
- अगला पेज खुलने पर क्लिक करके बताना होगा कि आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं या नहीं। जिन किसानों को पहले से ही पीएम–किसान योजना के तहत पंजीकृत किया गया है, उनके लिए आधार नंबर अनिवार्य है।
- अब किसान अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला, तहसील, गाँव आदि का ब्यौरा ऐप पर दें।
- सारी जानकारियां ठीक प्रकार से भरकर सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
- अब आप किसान रथ पर सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
- इस प्लेटफॉर्म पर परिवहन एग्रीगेटर कैसे ऑनबोर्ड कर सकता है, यह प्रक्रिया जानने के लिए kisanrath-agri@gov.in को मेल भेजा जा सकता है।
- ऐप पर एक मोबाइल नंबर से एक से अधिक पंजीकरण की अनुमति है, लेकिन यह सुविधा विभिन्न श्रेणियों यानी किसान, व्यापारी, एफपीओ और सेवा प्रदाता के तहत ही उपलब्ध है। हालांकि, एक ही श्रेणी के तहत केवल एक बार पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है।

ऐप में लॉगिन कैसे करें

- उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए वर्तमान में ऐप में लॉगिन के दो मोड प्रदान किए गए हैं – ओटीपी आधारित लॉगिन और पासवर्ड आधारित लॉगिन।
- पंजीयन के समय आपके मोबाइल नंबर पर छह अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा, लॉगिन करने के लिए यह ओटीपी आवश्यक है।
- यदि ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो उपयोगकर्ता इसे पुनः भेजने के विकल्प का चयन कर सकता है।
- इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्शन उपलब्ध है।
- पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने के लिए ध्यान रखें कि यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर ही होगा।
- सफल पंजीकरण के बाद आपको पासवर्ड भेजा जाएगा
- यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड लिंक पर क्लिक करने के बाद, मोबाइल नंबर का उपयोग करके पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है।
- पासवर्ड को केवल पासवर्ड आधारित लॉगिन मोड के माध्यम से लॉग इन करके उपयोगकर्ता द्वारा बदला जा सकता है। पासवर्ड बदलें विकल्प का उपयोग ओटीपी आधारित लॉगिन मोड के माध्यम से लॉग इन करके नहीं

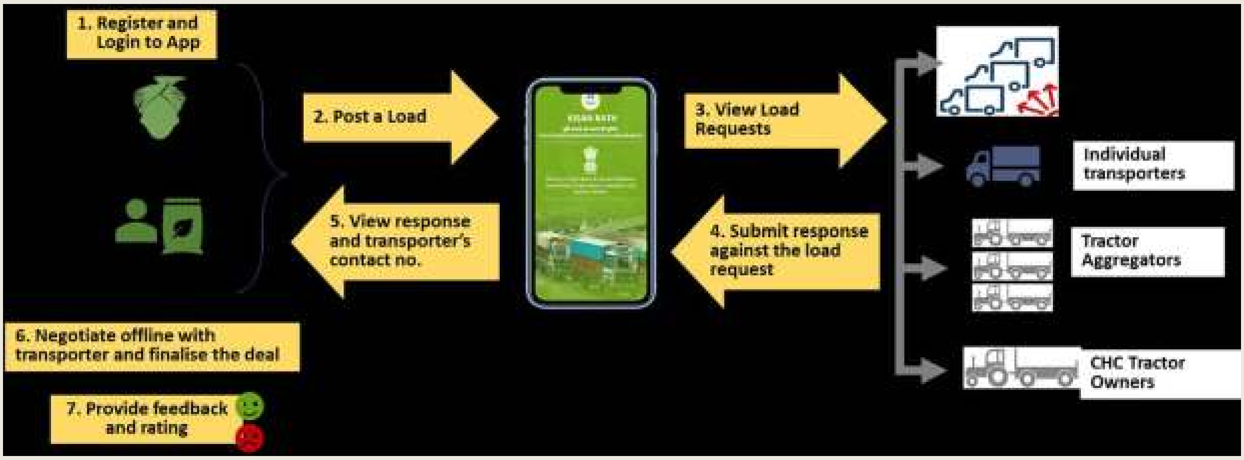

किया जा सकता है।

मोल-भाव (बार्गेनिंग) की सुविधा

इस ऐप में दरें ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय या एप्लिकेशन प्रदाता दरों को तय करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। यह ऐप किसानों, व्यापारियों और एफपीओ को ट्रांसपोर्टर्स से जोड़ने का एक साधन मात्र है। किसान/व्यापारी/एफपीओ सीधे ट्रांसपोर्टरों के साथ दरों पर मोलभाव कर सकते हैं। मंत्रालय या एप्लिकेशन प्रदाता बातचीत या इसके परिणाम में कोई भूमिका नहीं निभाता है।

फलों और सब्जियों के क्रय-विक्रय की सुविधा

किसान रथ ऐप पर फलों और सब्जियों के लिए क्रय-विक्रय अनुरोध किया जा सकता है। एक किसान/एफपीओ फलों और सब्जियों के लिए विक्रय अनुरोध पोस्ट कर सकता है। इसी तरह एक व्यापारी किसान रथ ऐप पर फलों और सब्जियों के लिए क्रय अनुरोध पोस्ट कर सकता है। इस सौदे में विभिन्न वस्तुओं के लिए कीमतें उत्पादन की विविधता और गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं और इसलिए कीमतें किसान रथ ऐप द्वारा निर्धारित नहीं की जाती हैं। खरीदार और विक्रेता सीधे बातचीत कर सकते हैं और एक उपयुक्त मूल्य पर सहमत हो सकते हैं। किसान रथ ऐप केवल खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने की सुविधा देता है और यह ऐप के माध्यम से सूचीबद्ध वस्तु को बेचना आपके लिए अनिवार्य नहीं करता है। यदि आपको खुले बाजार के माध्यम से बेहतर कीमत मिल रही है, तो आप इसे सीधे बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

इस ऐप के माध्यम से किसान/एफपीओ को उन्हीं वस्तुओं के लिए क्रय अनुरोध प्राप्त होते हैं जो उन्होंने अपने पंजीकरण के दौरान अपनी प्रोफाइल में चुनी है। प्रोफाइल सेक्शन में जाकर और आवश्यक वस्तुओं का चयन करने के बाद प्रोफाइल को अपडेट करके अपनी प्रोफाइल से वस्तुओं को जोड़/हटा सकते हैं। वहीं व्यापारी किसान रथ ऐप में पोस्ट ए बाई रिक्वेस्ट पर जाकर अपनी वांछित वस्तु का विवरण भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। फिर इच्छुक किसान/एफपीओ अपने प्रस्तावों के साथ आपको जवाब देंगे। इस प्रक्रिया में भुगतान सीधे विक्रेता को किया जाता है।

बुकिंग रद्द करने की व्यवस्था

बुकिंग के समय किसान/व्यापारी/एफपीओ और ट्रांसपोर्टर के बीच सहमत नियमों और शर्तों के अधीन बुकिंग को रद्द किया जा सकता है। अपने अनुरोध को रद्द करने के लिए कैंसल रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करके रद्द कर सकते हैं। किसी भी अग्रिम भुगतान की वापसी भी उन्हीं नियमों के अधीन रहती है। मंत्रालय या एप्लिकेशन प्रदाता की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। इसके अलावा सर्विस अवेल्ड बटन पर क्लिक करके आप अपने पोस्ट लोड अनुरोध को बंद भी कर सकते हैं।

ई-नाम उपयोगकर्ताओं को सुविधा

ऐसे उपयोगकर्ता जो पहले से ही ई-नाम पर पंजीकृत हैं उन्हें किसान रथ पर फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। इस ऐप का लाभ लेने के लिए आप उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करें जो ई-नाम पर पंजीकृत है। लॉगिन के बाद आपको कुछ विवरण भरने को कहा जाएगा और फिर आप किसान रथ का उपयोग शुरू कर सकते हैं।

यदि आपने ई-नाम पर पोस्ट लोड अनुरोध बनाया है तो आपको किसान रथ में लॉग इन करना होगा और लोड रिक्वेस्ट लिस्ट पर जाना होगा। ई-नाम पोस्ट लोड रिक्वेस्ट का चयन करें और शेष विवरण को पूरा करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें और अंत में अनुरोध सबमिट करें।

यदि आपने ई-नाम पर पोस्ट लोड अनुरोध बनाया है लेकिन आपके पास पहले से ही परिवहन की उपलब्धता है और किसान रथ से परिवहन की आवश्यकता नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसान रथ ऐप पर लॉगिन करने और अनुरोध सबमिट करने के बाद पोस्ट लोड अनुरोध केवल ट्रांसपोर्टरों को प्रस्तुत किया जाएगा।

ऐप से संबंधित समस्याओं के लिए कहां संपर्क करें : ट्रक चालक, व्यापारी, खुदरा विक्रेता, ट्रांसपोर्टर या कोई अन्य हितधारक जो उपरोक्त वस्तुओं के अंतर-राज्यीय परिवहन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या ई-मेल के माध्यम से मदद ले सकते हैं।

- **किसान रथ हेल्प डेस्क :**
  1800 180 1551 (किसान कॉल सेंटर)
- **प्रशासनिक समस्या के लिए :**
  kisanrath-agri@gov.in
- **तकनीकी समस्या के लिए :**
  kisanrath-tech@nic.in
  पर ई-मेल कर सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिये वेबसाईट :
www.kisanrath.nic.in

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएससी एंड एफडब्ल्यू) के फ्लैगशिप स्कीम के तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य राज्यों को कृषि-जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक कृषि विकास योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का अधिक समावेशी तथा समेकित विकास सुनिश्चित हो सके। वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक इस स्कीम को राज्य योजना स्कीम के तौर पर क्रियान्वित किया गया था और तत्पश्चात इसे सीएसएस (राज्य योजना) स्कीम के तौर पर क्रियान्वित जा रहा है। वित्त

मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्ष 2015-16 से आगे इस स्कीम के वित्त पोषण पद्धति में बदलाव किया गया है अर्थात इसे क्रमश: केंद्र और राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमालयी राज्यों में 90:10) के बीच 60:40 के अनुपात में केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है। तथापि यह केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र सरकार को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में जारी है।

वर्ष 2017-18 से इस स्कीम का क्रियान्वयन करने के लिए इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरूद्धार (आरकेवीवाई-रफ्तार) के रूप में परिवर्तित किया गया है जिसका मुख्य जोर दिनांक 01.11.2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिलने के साथ कृषि उद्यमिता, नवाचार एवं मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के अलावा फसल पूर्व व फसलोपरांत अवसंरचना पर है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) को स्कीम के तहत परियोजनाओं का अनुमोदन देने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य में स्कीम के क्रियान्वयन करने के लिए राज्य कृषि विभाग नोडल विभाग है। यह स्कीम संपूर्ण कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के कार्यकलापों यथा, फसल विकास, बागवानी, कृषिगत यंत्रीकरण, विपणन, फसल पूर्व तथा फसलोपरांत प्रबंधन, पशुपालन, दुग्ध विकास, मात्स्यिकी विस्तार आदि के लिए उपलब्ध है।

आरकेवीवाई-रफ्तार योजना का उद्देश्य

इस स्कीम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) फसल पूर्व और फसलोपरांत कृषि अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को सुदृढ़ करना जिससे गुणवत्ताप्रद आदानों, भंडारण, मंडी सुविधाओं तक किसानों की पहुंच में वृद्धि हो सके और इससे किसान उचित चयन करने में समर्थ बन सकें।

(ii) स्थानीय/किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार स्कीमों के नियोजन और क्रियान्वयन करने के लिए राज्यों को स्वायत्तता एवं छूट प्रदान करना।

(iii) मूल्य श्रृंखला संबद्ध उत्पादन मॉडलों को बढ़ावा देना जिससे किसानों की आय बढ़ाने तथा उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(iv) अतिरिक्त आय सृजन कार्यकलापों- जैसे समेकित कृषि, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, पुष्प कृषि, सुगंधित पौध खेती आदि पर फोकस करते हुए किसानों के जोखिमों का शमन करना।

(v) कई उपस्कीमों के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान देना।

(vi) कौशल विकास नवाचार और कृषि उद्यमशीलता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडलों के माध्यम से युवाओं को सशक्त करना जिससे उन्हें कृषि की ओर आकर्षित किया जा सके।

आरकेवीवाई-रफ्तार योजना की मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन की स्थिति

1. **प्याज हेतु भण्डारण एवं पैक हाउस सुविधाएं :** शासकीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास अंतर्गत प्रदेश में प्याज के भण्डारण हेतु स्टोरेज एवं पैक हाउस सुविधा के लिए प्रति 1200 मी.टन क्षमता के कुल 4 स्टोरेज कुल क्षमता 4800 मी.टन एवं प्रति 40 मी.टन क्षमता के कुल 4 स्टोटरेज कुल क्षमता 160 मी.टन का निर्माण भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं देवास जिले में किए जाने का प्रावधान है।
2. **राज्य स्तरीय कृषक प्रशिक्षण केन्द्र (कान्हासैया भोपाल):** शासकीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास अंतर्गत प्रदेश की कान्हासैया नर्सरी जिला भोपाल में एक राज्य स्तरीय कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थांपना किए जाने का प्रावधान है। इसमें कृषकों को उद्यानिकी क्षेत्र में नवीन तकनीकी की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. **संभागीय कृषक प्रशिक्षण केन्द्र :** शासकीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास अंतर्गत प्रदेश के 07 संभाग में संभागीय कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रावधान है। इसमें क्षेत्र के कृषकों को उद्यानिकी क्षेत्र में नवीन तकनीकी की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
4. **नर्सरी उन्नयन :** शासकीय क्षेत्र में योजनांतर्गत प्रदेश की 09 नर्सरियों का उन्नयन हेतु चयन किया गया है। इनमें उच्च गुणवत्ता के पौधों का उत्पादन कर क्षेत्र के किसानों को प्रदाय किए जाने का प्रावधान है ।
5. **संरक्षित खेती :** योजनांतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्र पर शेडनेट व पॉली हाउस का निर्माण एवं इसमें उच्च कोटि की सब्जी/फूलों (जरबेरा) का उत्पादन कार्यक्रम लिए जाने का प्रावधान है। सभी वर्ग के कृषकों को अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए अनुदान देय है। यह योजना प्रदेश के 12 जिलों में क्रियान्वित की जाएगी। योजनांतर्गत कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
6. **पुष्प की खेती पर कृषकों को सहायता :** योजनांतर्गत प्रदेश के 12 जिलों में कृषकों के प्रक्षेत्र पर संकर गेंदा एवं ग्लेडूलस बल्बी की खेती हेतु सभी वर्ग के कृषकों को अधिकतम 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान देय है। योजनांतर्गत कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है।
7. **संकर सब्जीय क्षेत्र विस्तार :** योजनांतर्गत प्रदेश के 12 जिलों में कृषकों के प्रक्षेत्र पर संकर सब्जी की खेती हेतु उत्पादन कार्यक्रम लिए जाने का प्रावधान है। सभी वर्ग के कृषकों को अधिकतम 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान देय है। योजनांतर्गत कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है।
8. **यंत्रीकरण को बढ़ावा देना :** योजनांतर्गत प्रदेश के 12 जिलों में उद्यानिकी में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को पॉवर वीडर, प्लास्टिक लेइंग मशीन, पावर स्प्रेयर एवं नेपसेक स्प्रेयर योजना में प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत एवं अ.ज.जा/अ.जा व लघु/सीमांत वर्ग के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है।
9. **जैविक खेती को बढ़ावा देना :** योजनांतर्गत प्रदेश के 12 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट की स्थापना कृषकों के प्रक्षेत्रों पर किए जाने का प्रावधान है। यह योजना प्रदेश के 12 जिलों में क्रियान्वित की जाएगी। योजनांतर्गत सभी वर्ग के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपए 10000.00 प्रति यूनिट के लिए अनुदान देय है।
10. **प्याज भण्डार गृह :** योजनांतर्गत प्याज उत्पादक जिलों के कृषकों को 50 मीट्रिक टन क्षमता के निर्धारित डिजाईन/ ड्राईंग के अनुसार प्याज भण्डार गृह निर्माण करने पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1.75 लाख प्रति प्याज भण्डार गृह अनुदान देय है।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये

www.agricoop.nic.in,
wwwmpfsts.mp.gov.in, www.mphorticulture.gov.in ·
का अवलोकन किया जा सकता है।

ग्रामीण आजीविका का उत्तम साधन

डेयरी व्यवसाय

भारत में पशुधन भूमिहीन एवं सीमांत किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत होने के साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है, जिसे कायम रखने के लिए सरकार द्वारा पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसके सकरात्मक परिणाम भी सामने आए हैं और देश में जहां वर्ष 2019–20 में दूध का वार्षिक उत्पादन 198.44 मिलियन टन था वहीं 2020–21 में यह बढ़कर 209.96 मिलियन टन हो गया, इस प्रकार इसमें 5.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या एवं लोगों की खरीद शक्ति, आदतों और जीवनशैली में परिवर्तन के साथ ही दूध की मांग भी बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि डेयरी उद्योग की संभावनाएं भविष्य के लिए भी उज्वल हैं।

डेयरी उद्योग का आर्थिक महत्व

डेयरी उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में और इसके साथ–साथ लाखों ग्रामीण परिवारों के सामाजिक–आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाखों ग्रामीण परिवारों की आय का महत्वपूर्ण द्वितीयक स्त्रोत होने के साथ ही यह क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं और सीमांत किसानों के लिए रोजगार और आय के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। देश में दूध की अधिकांश मात्रा का उत्पादन छोटे सीमांत और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है।

देश में दुग्ध का उत्पादन एवं आपूर्ति

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक दूध का उत्पादन लगभग 30 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल वर्तमान में भारत में उत्पादित दूध की लगभग 46 प्रतिशत मात्रा या तो उत्पादक स्तर पर खपत होती है या ग्रामीण क्षेत्र में गैर–उत्पादकों को बेचा जाता है। शेष 54 प्रतिशत दूध संगठित और असंगठित क्षेत्र में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। संगठित क्षेत्र में सरकार, उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाएं (दूध सहकारिताएं और उत्पादक कंपनियां) और निजी व्यापारी जो ग्रामीण स्तर पर साल भर दूध संग्रह की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करते हैं, शामिल हैं। असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में स्थानीय दूध वाला, दूधिया, ठेकेदार आदि शामिल होते हैं।

दुग्ध एवं डेयरी उत्पादों की मांग

भारत में दूध के लिए मांग के निर्धारक – जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होना है। दूध की खपत लोगों की खरीद शक्ति में वृद्धि होने, खाने की आदतों और जीवन शैली में परिवर्तन होने तथा जनसांख्यिकीय, वृद्धि के अनुरूप बढ़ रही है। दूध इसके विभिन्न लाभों के साथ देश में अधिकांश शाकाहारी जनसंख्या के लिए पशुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन का एक मात्र स्त्रोत है। इसके अलावा उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेने में उपभोक्ता की बढ़ती रूचि और संगठित खुदरा चेन जैसे माध्यमों के

जरिए डेयरी उत्पादों के प्रति बढ़ रही जागरूकता और इनकी उपलब्धता जैसे तथ्य भी इस वृद्धि में योगदान देते हैं। दूध का उपयोग करने वाली आबादी देश में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। एनएसओ के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार क्रमश: लगभग 78 प्रतिशत और 85 प्रतिशत ग्रामीण और शहरी आबादी ने देश में दूध की खपत की सूचना दी है। उपरोक्त संघटकों में वृद्धि से पता चलता है कि भविष्य में दूध और दूध उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि होगी।

दुग्ध एवं डेयरी उत्पादों का बाजार

वर्ष 2020 में डेयरी बाजार का कुल आकार लगभग 11.35 लाख करोड़ रूपए था। डेयरी बाजार पिछले 15 वर्षों के दौरान लगभग 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है और आईएमएआरसी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 तक लगभग 26 लाख करोड़ रूपए के बाजार के आकार तक पहुंचने की उम्मीद है। तरल दूध बाजार देश के कुल डेयरी बाजार के लगभग आधे का प्रतिनिधित्व करता है। कुल तरल दूध बाजार में, संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले 3 वर्षों में 32 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है। यह अनुमान है कि वर्ष 2026 तक संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

यह अनुमान है कि तरल दूध का बाजार अगले 5-6 वर्षों के दौरान लगभग 16 प्रतिशत बढ़ेगा जबकि पनीर, फ्लेवर्ड दुग्ध, लस्सी, बटर दुग्ध, मट्ठा और जैविक दूध जैसे उत्पादों के लिए 20 प्रतिशत से अधिक प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होगी। अन्य पारंपरिक डेयरी उत्पादों जैसे पनीर, घी, आइसक्रीम, खोआ, दही आदि की वार्षिक वृद्धि 11 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की सीमा में होगी। मात्रा की दृष्टि से दूध और दुग्ध उत्पादों की कुल घरेलू खपत में 16.1 करोड़ टन से वर्ष 2030 तक बढ़कर 26.7 करोड़ टन होने की उम्मीद है।

व्यवसाय शुरू करने में आने वाली अनुमानित लागत व लाभ

डेयरी फार्म को प्रमुखत: 4 कैटेगरी में रखा गया है और उनमें से कौन सी कैटेगरी उद्योग स्थापित करने के लिए सही रहेगी; उसका चयन करना आवश्यक होता है। इन चारों कैटेगरी का वर्णन निम्नलिखित प्रकार है :-

मिनी डेयरी फार्म : मिनी डेयरी फॉर्म में लघु डेयरी के मुकाबले थोड़े से बड़े मार्जिन पर काम आरंभ किया जाता है। मिनी डेयरी फॉर्म में 5 गायों को रखकर बिजनेस आरंभ किया जाता है। इस बिजनेस को आरंभ करने के लिए लगभग रू. 300000 तक का खर्च आता है। मिनी डेयरी काम को शुरू करने के लिए भी बैंक से लोन लिया जा सकता है। मिनी डेयरी फार्म करने के बाद सालाना लगभग रू. 90000 तक की कमाई की जा सकती है।

मिडी डेयरी फार्म : मिडी डेयरी फार्म, मिनी डेयरी फार्म से ज्यादा बड़े स्तर पर शुरू किया जाता है। यह फार्म 10 गायों या भैसों को रख कर खोला जा सकता है। इस मिडी डेरी फार्म को शुरू करने के लिए लगभग साढ़े 5 लाख रूपये तक का खर्च आता है। इस को शुरू करने के लिए भी बैंक से लोन लिया जा सकता है। मिडी डेरी फार्म से लगभग 1 लाख 62 हजार रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है।

व्यवसायिक डेयरी फार्म : काफी उच्च लागत का डेयरी उद्योग है, जो काफी बड़े स्तर पर आरम्भ किया जाता है। इस डेरी फार्म को शुरू करने के लिए लगभग 20 उन्नत किस्म की गाय या भैंसें रखी जाती हैं। इसके लिए 1500000 रुपए तक का खर्च आता है और इस उद्योग को शुरू करने हेतु बैंक से अधिक मात्रा में लोन लेना पड़ता है। इस फॉर्म में सालाना आमदनी भी ज्यादा होती है। एक बार जब यह निर्धारित कर लिया के किस स्तर पर डेयरी उद्योग स्थापित करना है, उसके बाद लोन लेकर इस उद्योग को शुरू किया जा सकता है।

डेयरी से मिलने वाले प्रमुख उत्पाद

डेयरी से प्राप्त दूध का विभिन्न प्रकार से ट्रीटमेंट कर निम्नानुसार उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे निर्जलीकृत प्रक्रिया के द्वारा मक्खन, चीज और दुग्ध पॉवडर के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। सामान्य तौर पर डेयरी से मिलने वाले मुख्य उत्पादों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. क्रीम और मक्खन : आजकल बड़ी मशीनों द्वारा थोक

मात्रा में दूध को अलग कर क्रीम और मलाई निकाला जाता है। संसाधन के बाद क्रीम से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, इसके घनत्व के आधार पर यह व्यंजन के लिए उपयोग किया जाता है और उपभोक्ता की मांग के अनुसार सप्लाई किया जाता है। कुछ क्रीम और सूखे पॉवडर के रूप में, कुछ गाढ़े और चीनी के साथ मिश्रित होते हैं, जिसे डिब्बाबंद कर दिया जाता है। इसके अलावा इसके छाछ से मक्खन एवं घी जैसे उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं

2. स्किम्ड मिल्क : क्रीम को हटाए जाने के बाद जो उत्पाद बचता है उसे स्किम्ड मिल्क कहते हैं। इसके विक्रय से दोहरे फायदे होते हैं एक तो आप को क्रीम पहले ही मिल जाता है, इसके बाद बचे दूध को भी आप बेच सकते हैं।

3. केसइन : केसइन ताजे दूध में पाया जाने वाला प्रबल फॉस्फोप्रोटीन है। इस उत्पाद का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। आइसक्रीम में, कपड़े, गोंद और प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है।

4. चीज : चीज दूध से बनने वाला दूसरा उत्पाद है। पूर्ण दूध से दही बनाकर उसे जमा कर, संसाधित कर और संग्रहीत कर चीज बनाया जाता है। ऐसे देशों में जहां दूध को बिना पाश्चराइजेशन के संसाधित करने की कानूनी तौर पर अनुमति है वहां स्वाभाविक रूप से दूध में बैक्टीरिया पैदा कर कई प्रकार के चीज बनाए जाते हैं। अधिकांश अन्य देशों में चीज के प्रकार कम हैं और कृत्रित चीज का उपयोग अधिक होता है।

5. दही : दही एक सामान्य किण्वित दुग्ध पदार्थ है। यह सामान्य किण्वित दूध को उबाल कर 21 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसमें उचित मात्रा में जामन मिलाकर प्राप्त होता है। इसके मुख्य रूप दुग्धामल जीवाणु ही दूध के दुग्धम को दुग्धमाल में बदल देते हैं।

6. मट्ठा : पहले के समय में मट्ठा को एक बेकार उत्पाद माना जाता था और ज्यादातर, निपटान के सुविधाजनक साधन के रूप में सूअरों को खिला दिया जाता था। लेकिन अब मट्ठे की भी बाजार में बहुत अधिक मांग है और इसे पैकिंग कर बेचा जाता है।

डेरी फार्म के लिए लाइसेंस

यदि दूध बेचने के लिए कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो इसके लिए कंपनी का लाइसेंस बनाना आवश्यक है। कंपनी का लाइसेंस लेने के लिए कंपनी का एक नाम होना आवश्यक है, इसके अलावा जहां पर दफ्तर खोलना है उसकी भी जानकारी देना आवश्यक है। डेयरी फार्म के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए एफएसएसएआई एवं वेट पंजीकरण करवाने की आवश्यकता भी पड़ती है।

डेयरी फार्मिंग व्यवसाय में ध्यान देने योग्य बातें

इस व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती यह है, आज भी उच्च शिक्षित भारतीय युवा का आकर्षण इस व्यवसाय की ओर कम है। कोई अन्य विकल्प नहीं मिलने पर यदि युवा यह व्यवसाय शुरू करता है तो स्वाभाविक रूचि के अभाव में वह इस व्यापार में अपना पूरा ध्यान दे नहीं पाता। जिसके कारण सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाते हैं।

डेयरी फार्मिंग के लिए कुछ अतिरिक्त टिप्स

- इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले व्यवसाय में पूर्व से जुड़े अनुभवी लोगों से सलाह लें।
- पूर्व से स्थापित कुछ आधुनिक एवं उन्नत डेयरियों का भ्रमण करें।
- पशु चिकित्सको से मिलकर क्षेत्र से संबंधित पशु स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करें।
- पशुओं के आहार की उपलब्धता और इसमें लगने वाली लागत के बारे में पहले से जागृत रहें। और प्रतिकूल मौसम में भी पशुओं के खाने की उपलब्धता की व्यवस्था करके रखें।
- पशु आहार के लिए जिस जमीन पर आप हरे चारे का उत्पादन करने वाले हैं। उस स्थान के मिटटी की जांच करवा लें।
- किसी उचित प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण अवश्य लें। क्योकि इस प्रशिक्षण के दौरान आपको इस व्यापार की बारीकियां। जैसे खर्चे कम करना, उत्पादकता बढ़ाना, कम खर्च करके पोषण युक्त खाने की व्यवस्था इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

संदर्भ /स्त्रोत : www.dahd.nic.in

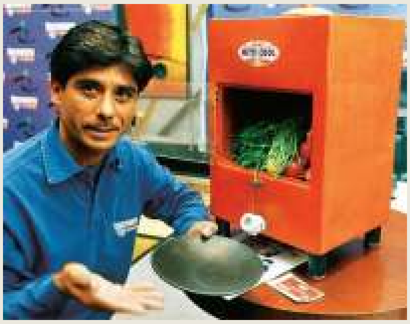

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)

ने मिट्टी से बने गैर-विद्युत कूलिंग कैबिनेट के लिए भारतीय मानक विकसित किया

भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय यानी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने मिट्टी से बने गैर-विद्युत कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक-आईएस 17693: 2022 विकसित किया है।

इसका नाम मिट्टीकूल रेफ्रिजरेटर रखा गया है। यह एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक प्रस्तुत करता है। इसका निर्माण गुजरात के अन्वेषक श्री मनसुख भाई प्रजापति ने किया है। बीआईएस मानक, मिट्टी से बने कूलिंग कैबिनेट के निर्माण और प्रदर्शन संबंधी जरूरतों को निर्दिष्ट करता है, जो वाष्पशील शीतलन के सिद्धांत पर संचालित होता है। इन कैबिनेटों का उपयोग बिना विद्युत के खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को भंडारित करने के लिए किया जा सकता है।

यह मानक बीआईएस को 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से 6 को पूरा करने में सहायता करता है। ये हैं- गरीबी न हो, भूखमरी न हो, लैंगिक समानता, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार व बुनियादी ढांचा और जिम्मेदार खपत व उत्पादन।

यह एक मिट्टी निर्मित प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर है, जो मुख्य रूप से सब्जियों, फलों और दूध को भंडारित करने एवं जल को ठंडा करने के लिए बनाया गया है। यह बिना किसी विद्युत की जरूरत के भंडारित खाद्य पदार्थों को प्राकृतिक शीतलता प्रदान करता है। इसमें फलों, सब्जियों और दूध को उनकी गुणवत्ता को खराब किए बिना सही तरीक से ताजा रखा जा सकता है।

इस उत्पाद की प्रभावशीलता असीम है। इनमें से कुछ हैं- यह मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति, परंपरा और विरासत को पुनर्जीवित

करने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाना, बेहतर स्वस्थ तरीकों से लोगों को वापस उनकी जड़ों से जोड़ना, सतत खपत को बढ़ावा देना, निर्धन समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, हरित व शीतल धरती की दिशा में काम करना, आर्थिक विकास व रोजगार सृजन और अंत में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान तथा उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में योगदान देना है।

नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) की साझेदारी में

राष्ट्रपति भवन (2017) में आयोजित इनोवेशन स्कॉलर्स इन-रेसिडेंस प्रोग्राम के चौथे बैच में मिट्टीकूल रेफ्रिजरेटर का प्रदर्शन किया गया था। यह किसी भी तकनीकी क्षेत्र में व्यक्तियों और स्थानीय समुदायों द्वारा जमीनी स्तर पर विकसित नवाचारों की खोज व सहायता करता है और आगे बढ़ाता है। यह औपचारिक क्षेत्र के समर्थन के बिना उत्पाद और इसके पेशेवर विकास में सहायता करता है।

रेफ्रिजरेशन एक खाद्य भंडारण तकनीक है, जो जीवाणु के विकास को रोकता है, जिससे इसके जीवन की अवधि बढ़ जाती है और इससे यह उपभोग के लिए उपयुक्त बन जाता है। इस युग में जहां विश्व में तकनीक और उन्नति हावी है, वहीं हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अभी भी पारंपरिक शीतलन पर निर्भर हैं। मिट्टी के बर्तन उस वक्त तक भारतीय रसोई के एक अभिन्न अंग रहे हैं, जब तक कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से निर्मित उत्पाद बाजार में अपनी पैठ बनाने में सफल नहीं हुए।

गरीब ग्रामीण किसानों की आजीविका का आधार

बकरी पालन

भारत बकरी की आबादी में विश्व में प्रथम स्थान पर है, देश में बकरियों कुल संख्या 144.88 मिलियन है। बकरीपालन का व्यवसाय देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देश के लगभग 70 प्रतिशत से भी अधिक भूमिहीन, सीमांत एवं छोटे किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यदि अन्य प्रजातियों से तुलना की जाए तो बकरीपालन विशेषकर गरीब ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख आधार है। बकरीपालन के लिए जहां आवास व्यवस्था में कम लागत आती है वहीं इनके मीट के विक्रय से बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। बकरियां जटिल मौसम को भी सहन कर सकती हैं, इसलिए इनको पालने में बहुत अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। मीट के अलावा ये उच्च गुणवत्ता के दुग्ध, खाद एवं खालों का भी स्त्रोत होती हैं। कृषि एवं अन्य सहायक गतिविधियों के साथ इसे अपनाकर बेरोजगार ग्रामीण युवक अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।

बकरी की प्रमुख नस्लें तथा उनका विवरण :

बकरी को नस्लों के आधार पर चार भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं :-

1. **दुधारू नस्लें (अधिक दूध देने वाली) :** बरबरी, बारी, सिरोही, सुरती, मेहसाना, सानेन, अल्पाइन, संकर जातियां।
2. **मांस हेतु नस्लें (नर मांस हेतु पर, बकरी दूध में कम) :** गद्दी, आसाम हिल, काली, भूरी, सफेद, बंगाल, गंजाम, कच्छी, एंग्लो
3. **दो उद्देशीय नस्लें (दूध एवं मांस दोनों के लिए) :** जमुनापारी, बीटल, उस्मानाबादी, टेलीचरी, मालावारी, कामोरी, सिरली, मारवाड़ी एवं जालाबादी।
4. **ऊन की नस्लें :** पश्मीना, अंगोरा

प्रमुख नस्लों के प्राप्ति स्थल

1. बारबरी बकरी : उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, एटा मैनपुरी, इटावा जिले में तथा इनके अतिरिक्त दिल्ली, हरियाणा के गुड़गांव एवं करनाल जिलों में बहुतायत से पाई जाती है। मध्यप्रदेश के विभिन्न जिले छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, गुना, शाजापुर, रतलाम, मण्डला, सिवनी, सीहोर, भोपाल, राजगढ़ के जिले के आसपास एवं मध्यप्रदेश के जिलों में अधिक पाई जाती है।

शरीर के लक्षण -

- कद नाटा होने के साथ-साथ कान भी छोटे, कानों में छेद भी बने होते हैं।
- सिंग छोटे एवं सीधे होते हैं।

- कोई विशेष रंग नहीं। अधिकतर ये सफेद, भूरी अथवा सफेद रंग में लाल व काले धब्बों से युक्त होती है।
- शरीर की अपेक्षा पैर छोटे एवं हड्डियां सुंदर।
- बकरी का पिछला भाग आगे की अपेक्षा भारी।
- अयन पूर्ण विकसित एवं थन लंबे।
- शरीर वेल शेप्ड होने से अधिक दुधारू।
- इनका पालन-पोषण घर पर ही बांधकर आसानी से किया जा सकता है।
- दिन में 1-2 लीटर दूध प्रतिदिन।
- वर्ष में दो बार प्रजनन करके 4-6 बच्चे उत्पन्न करती है।
- इन बकरियों की शहर में मांग अधिक।
- प्रसव काल लगभग 146 दिन का।

2. जमुनापारी नस्ल : गंगा, यमुना और चंबल नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में। शुद्ध रूप में यमुना और चंबल नदियों के बीच में स्थित इटावा जिले के सहसों और चकर नगर क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है। मप्र में मुरैना एवं शिवपुरी जिले में भी व्यापारी राजस्थान से लेकर अधिक मात्रा में बेचते हैं, यहां पर बकरियों का बहुत बड़ा हाट बाजार है।

शारीरिक लक्षण

- माथा चौड़ा और कुछ उभरा हुआ एवं बकरों को दाढ़ी
- कान 25-30 सेमी लंबे तथा पीछे की ओर लटकते हुए
- इनका कोई एक रंग नहीं। आमतौर पर शरीर पर काले व भूरे धब्बे अथवा फिर काला और शरीर सफेद या सिर

और कान भूरे और शरीर सफेद होता है।
- शरीर की अपेक्षा पिछली टांगों पर घने लंबे बाल। यह इस नस्ल की विशेषता है।
- सिंग छोटे तथा चपटे।
- बकरियों का आकार बड़ा एवं अडर अयन पूर्ण विकसित होता है।
- मादा बकरी का पिछला भाग भारी तथा नर बकरे का अगला भाग भारी होता है।
- साल में एक बार बच्चा देती है।
- ऋतु काल मई से जुलाई तक।
- प्रसव काल 150 दिन का।
- द्वि उद्देशीय जाति अर्थात दूध और मांस दोनों के लिए उपयुक्त।
- चरना अधिक पसंद। घर पर रखना इन्हें अधिक उपयुक्त नहीं, बीमार हो जाती हैं।
- बकरियां चार-पांच लीटर दूध प्रति दिन देती हैं।

3. बीटल बकरी : पंजाब का स्यालकोट एवं गुरदासपुर जिला तथा गुजरावाला क्षेत्र। हरियाणा में भी इर्द-गिर्द। मप्र में भोपाल, रायसेन, छिंदवाड़ा, गुना, मालवा तथा बालाघाट जिले के आसपास।

शारीरिक लक्षण

- जमनापारी से मिलती-जुलती जाति है, परंतु इनका रंग सफेद होता है। इनमें लाल रंग अधिक धब्बों के रूप में होता है।
- नर में दाढ़ी भी। नाक उठी हुई तथा कान काफी लंबे से।

- कद छोटा, सिंग चपटे तथा बाहर व पीछे की ओर मुड़े हुए।

काली, भूरी, सफेद बंगाल : ये नस्ल बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में पाई जाती है।

शारीरिक लक्षण

- रंग काला परंतु किसी–किसी में कत्थई भी।
- बकरियों में दाढ़ी भी मिलती है।
- साल में दो बार ब्याती है और हर बार दो से तीन बच्चे देती है।
- बकरियां नाटे कद की परंतु शरीर अधिक बड़ा होता है।
- सिंग 7.10 सेमी लंबे तथा कान ऊपर को उठे हुए होते हैं।
- पीछे की अपेक्षा छाती अधिक चौड़ी होती है।
- दूध कम देती है, परंतु मांस अधिक उत्तम होता है।
- खाल उच्च कोटि की जिससे अच्छे किस्म के जूते बनाए जाते हैं।
- इनकी खाल की भारत और विदेशों में काफी मांग है।
- सामान्यतया जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं।

आसाम हिल बकरी : यह नस्ल असम की खासी, नागा एवं लुशाई पहाड़ियों में पाई जाती है।

शारीरिक लक्षण

- रंग बिलकुल सफेद, परंतु कभी–कभी भूरा भी।
- बकरियों में दाढ़ी एवं समस्त शरीर पर लंबे बाल।
- सिर एवं कान छोटे। सिंग पीछे की ओर मुड़े हुए।
- थन और अयन दोनों ही छोटे।
- इनका मांस बहुत उत्तम होता है परंतु बकरी दूध कम देती है।
- वर्ष में दो बार ब्याती है और हर बार दो बच्चे देती है।

कच्छी नस्ल :

ये कच्छ, काठियावाड़ एवं अहमदाबाद के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है।

शारीरिक लक्षण

- मध्यम आकार की काले रंग की बकरी।
- सिंग पेच के समान ऐंठे हुए।
- शरीर पर लंबे बालों की उपस्थिति।
- कान मध्यम आकार के लटके हुए सफेद रंग के अथवा सफेद धारीदार।
- थन मध्यम आकार के नुकीले।
- औसत दूध उत्पादन 1.5 से 2.0 लीटर प्रति दिन।
- नर बकरे बधिया करने के बाद मांस के लिए।

7. **मलबारी नस्ल :** ये केरल के कालीकट, टैलीचरा, कलानोर एवं बंगलौर जिलों के समीप पाई जाती हैं।

शारीरिक लक्षण

- बकरी शुद्ध नस्ल की नहीं इसका विकास अरब देशों से हुआ है।
- आजकल इनका विस्तार सूरती और जमनापारी से हो रहा है।
- रंग सफेद या काले रंग का, कोई–कोई काले सफेद या काले ब्राउन रंग की।
- सुंदर आकर्षक लगभग 20 सेमी लंबा चेहरा।
- सिंग पीछे की ओर मुड़े हुए, 15–20 सेमी लंबे। कोई–कोई सिंग रहित भी होती हैं।
- धड़ सुंदर एवं मध्यम आकार का।
- अयन अधिक विकसित नहीं। थन मध्यम आकार के समान दूरी पर।
- इनका गोश्त उत्तम प्रकार का स्वादिष्ट होता है, परंतु दूध अधिक नहीं देती।
- दूध का उत्पादन 2–4 लीटर प्रति दिन।
- इनका ब्यांत 7 माह का होता है।

बारी नस्ल : पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र इस जाति का मूल स्थान है।

शारीरिक लक्षण

- रंग सफेद, कभी–कभी सफेद और लाल एवं काले रंग में चितकबरा भी।
- कद छोटा एवं शरीर पर चमकते हुए बाल।
- कान छोटे एवं अयन पूर्ण विकसित। थन लंबे होती हैं।
- बकरियों की खुराक कम पर उत्पादन क्षमता अधिक होती है।

- एक बार में 2-3 बच्चे देती है।
- दूध की उत्पादन क्षमता 1.5 लीटर प्रति दिन।

9. **अंगोरा नस्ल या चेगु :** कश्मीर तथा तिब्बत के क्षेत्रों में तथा गढ़वाल में पीपलकोट फार्म पर इन्हें पाला जाता है।

शारीरिक लक्षण

- आकार छोटा तथा रंग सफेद परंतु भूरी लाल या मिश्रित रंगों में भी।
- शरीर पर विशेष प्रकार के बाल जो कपड़ा बनाने में काम आते हैं।
- सिर छोटा, आंखें चमकीली, चौड़ा थूथन तथा कान लंबे।
- सिंग चपटे व सिर नुकीले होते हैं।
- पूंछ छोटी तथा शरीर बालों से ढका रहता है।
- कमर सीधी एवं बदन सुडौल तथा मजबूत।
- थन और अयन मध्यम आकार के।
- बालों के नीचे पश्मीना प्राप्त होता है, जिससे फाइन और मफलर तैयार होते हैं, एवं ऊन के साथ मिलाकर अन्य कपड़े बनाए जाते हैं।
- दूध कम प्राप्त होता है।

10. **मेहसाणा अथवा नॉर्थ गुजरात नस्ल :** गुजरात प्रदेश के मेहसाणा एवं राधनपुर जिले में एवं दक्षिण में नादियाद तथा उत्तर में पालनपुर के मध्य क्षेत्र में अधिक पाई जाती है।

- रंग गहरा भूरा या काला।
- नाक रोमन, नथुने चौड़े तथा पीछे की ओर मुड़े हुए।
- नीचे के जबड़े में छोटी दाढ़ी।
- कान सफेद रंग के काले धब्बे वाले।
- शरीर मध्यम स्वरूप का।
- शरीर पर काले एवं घने बाल जिसमें भूरे रंग के बाल भी।
- बकरियां अधिक दूध देने वाली होती हैं।
- व्यांत की अवधि 140-145 दिन की।

बकरी की संकर जाति : राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में वैज्ञानिकों ने एक संकर नस्ल (बीटल मादा एल्पाइन नर) तैयार की है।

शारीरिक लक्षण : अयन पूर्ण विकसित एवं थन लंबे।

बकरी पालन की प्रबंधन पद्धतियां एवं आहार व्यवस्था

हमारे देश में बकरी पालन को अन्य पशुओं की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, जिसके कारण इस व्यवसाय की अपेक्षित उन्नति नहीं हो पाई। भारत में बकरियां प्राय: पर्यावरणीय कमजोर इलाकों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों द्वारा पाली जाती रही हैं। आज के बदलते परिवेश में बकरीपालन के आर्थिक महत्व को समझा जा रहा है। बकरी पालन की प्रबंध पद्धति एवं आहार व्यवस्था पर शोध संस्थानों में काफी प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनके काफी उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। बकरी के पालन-पोषण हेतु प्रबंध की प्रमुखत: निम्न पद्धतियां प्रचलन में हैं :-

1. खूंटे से बांधकर : बकरीपालन की यह परम्परागत पद्धति है, इसमें एक साथ दो या तीन बकरियों को एक बड़ी रस्सी द्वारा चराई वाले क्षेत्र में खूंटे से बांध देते हैं। इसमें बकरियां एक सीमित परिधि में घूम-घूम कर चरती हैं। चराई पूरी हो जाने पर इन्हें अधिक वनस्पति/घास वाले क्षेत्र में सुविधानुसार ले जाते हैं।

लाभ

1. इस विधि में बकरियों पर पूरा नियंत्रण रहता है और वे इधर-उधर जाकर नुकसान नहीं कर पाती हैं।
2. इसमें एक साथ पांच बकरियां तक बांधी जा सकती हैं जिसे महिलाएं या बच्चे देखभाल कर सकते हैं।
3. यह विधि काफी सरल व छोटे किसानों हेतु उपयोगी हैं।

हानि

1. बकरियों के बड़े समूह का पालन इस विधि से असंभव है।
2. बकरियों की स्वच्छंद घूमने वाली स्वाभाविक प्रवृत्ति में बाधा आती है, जिसके कारण उनकी उत्पादन क्षमता कम हो सकती है।

2. विस्तृत पद्धति

बकरीपालन की यह पद्धति बीहड़ एवं अनुपजाऊ भूमियों में काफी प्रचलित है। इस पद्धति में बकरियां एक बड़े समूह में खुले मैदान में दिन भर चरती रहती हैं। शाम को चरवाहे इन्हें वापस

लाकर बाड़ों में छोड़ देते हैं। हमारे देश में शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्र जैसे राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा दक्षिण भारत के पठारी भागों में यह पद्धति काफी प्रचलित है क्योंकि वहां पर चराई योग्य भूमि की बहुलता है।

लाभ

1. इसमें बकरियां एक बड़े समूह में आसानी से पाली जा सकती हैं।
2. इसमें श्रम एवं लागत भी कम लगती है।

हानि

1. सघन कृषि वाले क्षेत्रों में यह विधि अपनाना संभव नहीं है।
2. यह भी एक परम्परागत पद्धति है, इसमें बकरियों की उचित देखभाल नहीं हो पाती है।

3. अर्द्ध सघन पद्धति

बकरीपालन की यह पद्धति सघन पद्धति एवं विस्तृत ढंग के बीच की है, इसमें दिन के कुछ घंटों (5-6) में बकरियां चरने हेतु बाहर भेज दी जाती हैं और वापस आने पर उनको अतिरिक्त हरा चारा एवं दाना मिश्रण सीमित मात्रा में खिलाने की व्यवस्था रहती है। हमारे देश के अधिकांश भागों के लिए बकरी पालन की यह पद्धति काफी सटीक एवं वैज्ञानिक है। इसमें बकरियों की अधिकांश नस्लें अच्छा उत्पादन करती हैं, जिससे बकरी पालकों को अपेक्षित लाभ हो सकता है।

लाभ

1. इसमें अपेक्षाकृत कम श्रम व लागत लगती है।
2. इसमें बकरियों के स्वभाव के अनुकूल चारा, पोषक तत्व मिल जाता है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बनी रहती है।
3. छोटी आय वाले लोग भी इसे सफलतापूर्वक अपना सकते हैं।

हानि

1. चराई योग्य भूमि उपलब्ध न रहने पर इस पद्धति को अपनाना कठिन हो जाता है।

4. सघन पद्धति

यह पद्धति उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां पर भूमि का एक बड़ा हिस्सा कृषि या औद्योगिक कार्यों के लिए काम में लाया जाता है तथा चारागाह के रूप में भूमि की उपलब्धता न के बराबर होती है। इस पद्धति में बकरियों को बाड़ों में रखकर उनका पालन-पोषण किया जाता है। इसमें बकरियों की चराई प्रतिबंधित होती है। बाड़ों में उन्हें इच्छानुसार चारे व दाने का उपयोग करने की छूट रहती है। इस पद्धति में बकरी पालन की सभी उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उनसे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

लाभ

1. बकरियों को सस्ते व पौष्टिक आहार खिलाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
2. समूह में पालन एवं नियमित निगरानी करने से उनके उत्पादन का सही आंकलन होता है।
3. प्रबंध की इस आधुनिक तकनीकी से सीमित क्षेत्र में ज्यादा संख्या में बकरियां पाली जाती हैं।

हानि

1. इस पद्धति में बाड़ा बनाने और चारे-दाने की व्यवस्था करने में अधिक खर्च आता है।
2. इसमें मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है।
3. कम आय वाले लोग इस पद्धति को नहीं अपना सकते हैं।

5. समन्वित बकरी पालन

हमारे देश में कृषि वानिकी के साथ बकरी पालन का समन्विकरण एक नए और आधुनिक विकल्प के रूप में सामने आया है। इस पद्धति में अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि पर घास, झाड़ियां व बड़े चारा वृक्ष उगाए जाते हैं जिसे तीन स्तरीय पद्धति कहते हैं। इस विधि से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पूरे वर्ष हरा चारा मिल सकता है, एक आकलन के अनुसार इस विधि से 75-80 क्विंटल सूखे पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये चारा वाली घासें व वृक्ष पंक्तियों में उगाए जाते हैं। साधारणतया छोटे व बड़े चारा वृक्षों के मध्य घासों को उगाया जाता है। इनके समुचित वृद्धि हो जाने पर बकरियों को इसमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वहां वे चरकर व

झाड़ियों व वृक्षों के पत्ते खाकर अच्छा पोषण प्राप्त कर लेती हैं, जिससे इस पद्धति का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है तथा इसके प्रति लोगों में जागरूकता भी होने लगी है।

लाभ

1. इस पद्धति को अपनाने से कृषि-वानिकी को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसका पर्यावरण संरक्षण में विशेष महत्व है।
2. बकरियों को सस्ता एवं उचित पोषण मिल जाता है।
3. अर्द्धशुष्क व कम उपजाऊ क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है, ऐसी स्थिति में यह एक लाभकर पद्धति है।

हानि

1. ऐसे विकसित चारागाहों का प्रबंध कठिन है।
2. छोटी आय व कम भूमि रखने वाले लोगों के लिए यह विधि कम उपयोगी है।

बकरीपालन से प्राप्त उत्पाद

बकरीपालन से प्राप्त होने वाले कुछ प्रमुख उत्पाद निम्नानुसार हैं :-

1. दूध : एक अध्ययन के अनुसार बकरी अपने वजन का 10 गुना दूध एक व्यांत में दे सकती है, बशर्ते इसके चारे-दाने की उचित व्यस्था की जाए। हमारे देश में बीटल, सुरती, जखराना, कच्छी व जमुनापारी आदि बकरियों की अच्छी दुधारू नस्लें हैं, जिनसे औसतन एक किग्रा दूध प्रतिदिन प्राप्त किया जा सकता है। बकरीपालन में करीब 66 प्रतिशत आय दूध बेचकर होती है, अत: अच्छी दूध देने वाली नस्लों का पालन करना बकरीपालक के हित में रहता है।

2. मांस/अनुपयुक्त मादा : बकरियों के नर व बच्चे मांस उत्पादन के काम में लाए जाते हैं, बकरी का मांस अपेक्षाकृत महंगा होने के कारण बकरीपालक को नर बच्चों के विक्रय से अच्छी आमदनी हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार बकरीपालन में 22 प्रतिशत आय नर बच्चों को बेचने पर होती है। हमारे देश में ब्लैक बंगाल, बारबरी व आसाम हिल नस्ल की बकरियों की जनन क्षमता अधिक होने के कारण ये बकरियां एक व्यांत में औसतन दो बच्चें पैदा करती हैं। ऐसी बकरियों के पालन से भी बकरीपालक अपनी आय को बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेवड़ में उपस्थित कम जनन क्षमता वाली मादा बकरियों का विक्रय भी आय का एक स्त्रोत है।

3. रेशा/पश्मीना : भारत में बकरियों की कुछ नस्लों के बाल लम्बे व रूक्ष होते हैं, इनमें राजस्थान की मारवाड़ी व पहाड़ी क्षेत्रों की गद्दी नस्ल प्रमुख है। इनसे प्राप्त बालों का उपयोग बकरीपालक, रस्सी, मोटे कम्बल इत्यादि बनाने में करते हैं, किंतु इससे होने वाली आय की मात्रा काफी सीमित है। देश के पर्वतीय अंचल कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में चेंगू व चांगथांगी नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा बहुमूल्य पश्मीना प्राप्त किया जाता है। यह काफी महंगी, गर्म तथा मुलायम ऊन होती है, जिससे गर्म शालें व कम्बल इत्यादि बनाए जाते हैं, जिनकी विदेशों में भी काफी मांग है। एक बकरी से औसतन 65 से 240 ग्राम तक पशमीना प्रतिवर्ष उपलब्ध होता है।

4. जैविक खाद : ग्रामीण अंचल में किसान फसल कट जाने के उपरांत बकरियों के रेवड़ को अपने खेतों में रखते हैं, जिससे खेत में बकरियों द्वारा छोड़ी गई मैगनी व मूत्र जैविक खाद के रूप में मिल जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से खेत की उर्वरता बढ़ जाती है। इसके अलावा यह एक अतिरिक्त आय का भी स्त्रोत हो सकती है। एक बकरी से साल भर में औसतन 130 किग्रा मैगनी खाद के रूप में प्राप्त हो जाती है। बकरी एक बहुउपयोगी और सीधा-साधा पशु है, जो अपने छोटे कद, हर तरह की जलवायु में रहने की क्षमता तथा रहन सहन की आसान आदतों के कारण आज देश के सभी वर्गों का चहेता पशु है। बकरी पालन को कम पूंजी एवं कम साधन से आरम्भ कर नियमित आय प्राप्त की जा सकती है। बकरी पालक उपर्युक्त वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर अधिक लाभ ले सकते हैं। बकरियों का मूल्य निर्धारण वजन के हिसाब से किया जाता है। छोटे एवं मध्यम नस्ल की बकरी को बेचने का उत्तम समय 6 -9 महीना बड़े नस्ल का 7-12 महीना होता है।

उद्यमिता विकास केंद्र (सेडमैप)
द्वारा प्रकाशित पुस्तक
बकरी पालन :
उत्पादन, प्रबंधन एवं व्यावसायिक स्वरूप
के संपादित अंश।

लाभदायक आय का जरिया
मधुमक्खी पालन

मधुमक्खी पालन एक कृषि-आधारित क्रियाकलाप है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों/भूमिहीन श्रमिकों द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) के एक भाग के रूप में शुरू किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन फसलों के परागण में उपयोगी रहा है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ाने तथा शहद उपलब्ध कराने एवं अन्य उच्च मूल्य वाले मधुमक्खी उत्पादों अर्थात बी-वक्सि, मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस रॉयल जेली, बी वेनम इत्यादि जो ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका स्त्रोत है, के माध्यम से किसानों/मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि करना है। भारत की विविध कृषि जलवायु परिस्थितियां मधुमक्खीपालन/शहद उत्पादन और शहद के निर्यात के लिए काफी संभावनाएं और अवसर प्रदान करती हैं।

मधुमक्खी पालन के तरीके : भारत में मधुमक्खी पालन के प्रमुख प्रचलित तरीके निम्नानुसार हैं : -

परंपरागत मधुमक्खी पालन

भारत में सैकड़ों वर्ष पहले से मधुमक्खी पालन किया जाता रहा है। परंपरागत मधुमक्खी पालन में मिट्टी के घड़ों में, लकड़ी के संदूकों में, पेड़ के तनों के खोखलों में या दीवार की दरारों में आज भी मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। मधु से भरे छत्तों से शहद प्राप्त करने के लिए छत्तों को काटकर या तो निचोड़ दिया जाता है या आग पर रखकर उबाल दिया जाता है। फिर इस शहद को कपड़े से छान लेते हैं। इस विधि से मैला एवं अशुद्ध शहद ही मिल सकता है, जो कम कीमत में बिकता है।

वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी पालन

कई देशों में मधुमक्खियों को आधुनिक ढंग से पाला जाता है। इसमें लकड़ी के बने हुए संदूकों में मधुमक्खियों को रखा जाता है। इन संदूकों को मधुमक्खी का आधुनिक छत्ता कहते हैं। मधुमक्खियों को पालने का यह तरीका सुरक्षित एवं निरापद है, जिसमें अंडे एवं बच्चे वाले छत्तों को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसमें शहद अलग छत्तों में भरा होता है और इस शहद को बिना छत्तों को काटे मशीन द्वारा निकाल लिया जाता है। इन खाली छत्तों को वापस मधुमक्षिकागृह (बॉक्स) में रख दिया जाता है, ताकि मधुमक्खियां इन पर बैठकर फिर से मधु (शहद) इकट्ठा करना शुरू कर दें।

मधुमक्खी पालन दो तरह से किया जा सकता है। आप मधुमक्खी फार्मिंग और हनी प्रोसेसिंग प्लांट दोनों की मदद से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। आप इस कार्य के लिए अपने फार्म में बीकीपर्स को

रख सकते हैं। ये लोग मधुमक्खी पालन में निपूण होते हैं। आपको उस स्थान पर मधुमक्खी पालन करने की आवश्यकता होती है, जहां पर नमी न हो। स्थान पर साफ और प्राकृतिक पानी की आवश्यकता होनी चाहिए और यदि अधिक संख्या में पेड़ पौधे हों तो काफी बेहतर है। आपको मधुमक्खी पालन के लिए साफ सुथरे और फैले स्थान की आवश्यकता होती है, ताकि मधुमक्खी अधिक संख्या में छत्ता लगा सकें।

मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त स्थान

यदि फूलों की खेती के साथ यह उद्योग किया जाए तो अधिक फायदेमंद होता है। ऐसा करने से मधुमक्खी पालक की आय में 20 से 80 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो जा सकती है। सूरजमुखी, गाजर, मिर्च, सोयाबीन, पॉपीलेनटिल्स ग्रैम, फलदार पेड़ में जैसे नींबू, कीनू, आंवला, पपीता, अमरूद, आम, संतरा, मौसमी, अंगूर, यूकेलिप्टस और गुलमोहर जैसे पेड़ वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन आसानी से किया जा सकता है। मधुमक्खी पालने की जगह समतल होनी चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी, हवा, छाया और धूप होनी चाहिए। मधुमक्खी पालने की जगह के चारों ओर 1 से 2 किलोमीटर तक अमरूद, जामुन, केला, नारियल, नाशपाती और फूलों के पेड़ पौधे लगे होने चाहिए।

मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त मौसम

जनवरी से मार्च का मौसम मधुमक्खी पालन के लिए सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन नवंबर से फरवरी का मौसम तो इस व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस दौरान मधुमक्खियों के लिए तापमान सबसे सही होता है और इसी मौसम में रानी मक्खी ज्यादा तादाद में अंडे देती है।

मधुमक्खियों की विभिन्न प्रजातियां : मधुमक्खीपालन व्यवसाय के लिए मुख्यत: चार तरह की मधुमक्खियां इस्तेमाल होती हैं। ये हैं–

1. एपिस मेलीफेरा 2. एपिस इंडिका

3. एपिस डोरसाला 4. एपिस फ्लोरिया

इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलीफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली और स्वभाव की शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है।

कार्य अनुसार मधुमक्खियों के प्रकार

रानी मधुमक्खी : अंडे देने का काम रानी मधुमक्खी ही करती है। इन अंडों की रखवाली का काम अन्य मधुमक्खियां करती हैं।

श्रमिक मधुमक्खियां : श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते में सबसे अधिक संख्या में होती हैं। इनके पेट पर कई समानांतर धारियां होती हैं। डंक मारने वाली यही मधुमक्खी होती है। इन मधुमक्खियों की अधिकता पर ही शहद जमा करने की मात्रा भी निर्भर करती है।

नर मधुमक्खी : नर मधुमक्खी का काम रानी का गर्भाधान करना होता है। इसे और कोई भी काम नहीं करना पड़ता। नर मधुमक्खी छत्तों में जमा किया मधु खाता रहता है। यह श्रमिक मधुमक्खी से कुछ बड़ा और रानी से छोटा होता है।

मधुमक्खियों की आयु : विभिन्न श्रेणी के मधुमक्खियों की आयु विभिन्न होती है। रानी मधुमक्खी की आयु 1 वर्ष की, नर मधुमक्खी की आयु 6 महीने और श्रमिक मधुमक्खी की आयु लगभग डेढ़ महीने की होती है।

मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद : मधुमक्खी पालन खासतौर पर शहद, मोम, रॉयल जेली आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है ।

शहद : मधुमक्खियां फूलों के पराग कण को संचित कर अपने अंदर रखती है और फूलों के रस को अपने छत्ते में जमा करती है और उन्ही फूलों के रस को शहद में बदल देती हैं। शहद एक ऐसी चीज है जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण होता है। शहद अकेले ही विटामिन बी और विटामिन सी के अलावा कैल्शियम आयरन और कार्बोहाइड्रेट का भी प्राकृतिक स्रोत है। शहद में एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। इस लाल-पीले गाढ़े पदार्थ में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसके नियमित सेवन से हमें बहुत सी बीमारियों से निजात मिल सकती है। शहद में अनेक औषधीय गुण होने के कारण कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौरान शहद के मांग में कई गुना बढ़ोतरी आई। इस प्रकार मधुमक्खी पालन आर्थिक दृष्टिकोण से एक लाभकारी व्यवसाय है।

मोम : शहद के बाद दूसरा मूल्यवान तथा उपयोगी पदार्थ,जो मधुमक्खियों से मिलता है, वह मोम है। इसी से वे अपने छत्ते बनाती हैं। मोम बनाने के लिए मधुमक्खियां पहले शहद खाती हैं, फिर उससे गर्मी पैदा कर अपनी ग्रंथियों द्वारा छोटे-छोटे मोम के टुकड़े बाहर निकालती हैं।

रॉयल जेली : स्पाइसी-एसेडिक मीठे स्वाद वाली रॉयल जेली युवा मधुमक्खियों द्वारा स्रावित एक स्वस्थ्य खाद्य पदार्थ है। रॉयल जेली का उत्पादन भी मधुमक्खियों के छत्ते से होता है लेकिन इसका प्रयोग रानी मधुमक्खी के भोजन के रूप में किया जाता है। इसे रॉयल जेली शहद भी कहा जाता है।

शहद के संभावित उत्पादन की मात्रा : मधुमक्खी फार्म के एक मधुमक्खी के डिब्बे से आपको वर्ष भर में 50 किलोग्राम शहद और 2 से 3 डिब्बे मधुमक्खियां प्राप्त हो जाती हैं। इन नई मधुमक्खियों से आपको पुन: इस व्यापार को करने में मदद प्राप्त होती है। एक डिब्बे में कुल 3 प्रकार की मधुमक्खियां रखी जाती हैं। इन तीन प्रकार की मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी शामिल होती हैं। एक डिब्बे में श्रमिक मधुमक्खी की संख्या 30,000 से 1 लाख तक की होती है। इसमें नर मधुमक्खी की संख्या 100 के आस पास की होती है। इसमें रानी मधुमक्खी की संख्या केवल 1 होती है। एक डिब्बे में अधिकतम 10 फ्रेम मधुमक्खी रख सकते हैं, किन्तु आम तौर पर 8 फ्रेम मधुमक्खी रखना ही बेहतर होता है। इससे इनकी देखभाल में भी आसानी से हो पाती है।

शहद उत्पादन संयंत्र : यह कार्य एक संयंत्र में किया जाता है। इस प्लांट को बैठाने के लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है। इस मशीन की सहायता से हनी प्लांट बैठाया जाता है। इस मशीन की सहायता से मधु (शहद) को बनाने से लेकर पैकेजिग करने तक के काम को अंजाम दिया जा सकता है। इस प्लांट की कुल लागत लगभग 20 लाख की होती है। इस प्लांट की सहायता से अधिकतम 100 किलो तक शहद तैयार किया जा सकता है।

मधुमक्खी पालन के लिए सामग्री

- लकड़ी का बॉक्स
- बॉक्सफ्रेम

- मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर
- दस्ताने
- चाकू
- शहद रिमूविंग मशीन
- शहद इकट्ठा करने के लिए ड्रम

शहद उत्पादन की प्रक्रिया

शहद उत्पादन के लिए सबसे पहले आपको मधुकोष से मधुमक्खी के छत्ते को अलग करने की आवश्यकता होती है, मधुकोश को हटाने की कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं। मधुकोश को हटाने के बाद इसका दो तिहाई हिस्सा ट्रांसपोर्ट बॉक्स में भर कर उस स्थान पर ले जाया जाता है, जहां पर एक भी मधुमक्खी न हो। इसके बाद इस मधुकोश को मशीन के एक्सट्रेक्टर में डाल कर आगे की प्रक्रिया के लिए छोड़ा जाता है। आम तौर पर एक मधुकोश का भार 2.27 किलोग्राम होता है। इसके बाद मशीन को चलाने पर एक्सट्रैक्टर के द्वारा मधु निकलना आरम्भ हो जाता है। इस समय आपको एक्सट्रेक्टर के निचले हिस्से से मधु प्राप्त होने लगता है। किसी भी प्लांट में बनाए गए मधु को लगभाग 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ताकि इसके अन्दर के क्रिस्टल हिस्से भी अच्छे से गल जाएं. इसके बाद इसे इसी तापमान पर लगभग 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद आपका मधु पैकिंग के लायक तैयार हो जाता है।

पैकेजिंग : मधु की पैकेजिंग करना इस व्यापार का एक आवश्यक कदम है, बाजार में कई मधु के ब्रांड विभिन्न पैकेट्स की सहायता से बेचे जा रहे हैं। आपको पैकिंग के समय मधु की मात्रा और बोतल के डिजाईन का खास ख्याल रखना होता है। आप अपने बनाए मधु को न्यूनतम 100 ग्राम के डिब्बे की सहायता से बेच सकते हैं। आप को विभिन्न डिजाईन के डिब्बे बाजार में होलसेल के रूप में प्राप्त हो जाएंगे।

मार्केटिंग : आपको अपने मधु का व्यापार बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करने की आवश्यक होती है। इसके बाद आप अपने बनाए गए मधु को होलसेल के तौर पर आसानी से बेच सकते हैं। वर्तमान समय में बाजार में प्रमुखत: तीन या चार ब्रांड के ही मधु बेचे जा रहे हैं। अत: आप अपने शहर की गुणवत्ता बेहतर बनाकर कम समय में ही आसानी से मधु के मार्केट में अपना नाम कमा सकते हैं। आप बाजार में बड़ी दुकानों से बात करके उन्हें अपने मधु बेच सकते हैं। आप मार्केटिंग के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर अपने ब्रांड के पोस्टर्स आदि लगा सकते हैं। साथ ही आप स्थानीय अखबारों में भी इसका विज्ञापन दे सकते हैं।

लाइसेंस : इस व्यापार के लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आपको सबसे पहले अपने प्लांट का पंजीकरण उद्योग आधार के अंतर्गत कराना पड़ता है। इसके उपरान्त आपको अपने फर्म के नाम का एक करंट बैंक अकाउंट और पैन कार्ड बनाने की आवश्यकता होती है। आपको आपके द्वारा बनाए गये मधु की जांच सरकारी खाद्य विभाग में करा कर FSSAI से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। आपको अपने व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। तात्कालिक समय में टैक्स के लिए आपको अपने फर्म का पंजीकरण जीएसटी अंतर्गत भी कराना पड़ेगा। इस तरह से अन्य व्यापारों की तरह इस व्यापार में भी आपको विभिन्न आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

व्यापार की लागत

यह व्यापार छोटे स्तर पर आरम्भ किया जा सकता है। आप चाहें तो केवल 10 पेटी की मदद से मधुमक्खी पालन का व्यापार कर सकते हैं। 10 पेटी की सहायता से मधुमक्खी पालन व्यापार में आपका कुल खर्च 35,000 से 40,000 का आता है। यह व्यापार प्रति वर्ष मधुमक्खियों की संख्या के बढ़ने के साथ 3 गुना अधिक बढ़ जाता है। अर्थात 10 पेटी से आरम्भ किया गया यह व्यापार 1 वर्ष में 25 से 30 पेटी का भी हो सकता है।

सरकार से प्राप्त मदद

इस व्यापार के लिए भारत सरकार का एमएसएमई विभाग आपकी मदद करता है। इस मंत्रालय के खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के तहत कई योजना चलती हैं, जिनके अंतर्गत मधुमक्खी पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार द्वारा प्राप्त मदद निम्नलिखित रूप में होती है। इस व्यवसाय के आरम्भ के लिए सरकार हनी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना में मदद करती है। इस प्लांट की स्थापना के लिए कुल लागत का 65 प्रतिशत हिस्सा ऋण के तौर पर दिया जाता है। इस ऋण के अलावा सरकार की तरफ़ से 25 प्रतिशत की सब्सिडी भी प्राप्त होती है। इस तरह से आपको कुल लागत का केवल 10 प्रतिशत ही अपने पास से लगाना होता है।

अधिक जानकारी के लिए आवश्यक वेबसाइट :

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मधुक्रांति पोर्टल व हनी कॉर्नर प्रारंभ किया है। इसके अलावा निम्नानुसार वेबसाइट से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है : https://www.kviconline.gov.in/

आय अर्जन की उज्ज्वल संभावनाओं से भरपूर

मत्स्यपालन

वर्तमान में भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है और वैश्विक मत्स्य उत्पादन में देश का हिस्सा 7.96 प्रतिशत है। देश में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल अनुमानित मत्स्य उत्पादन 14.73 मिलियन मीट्रिक टन रहा जिसमें 11.25 मिलियन मीट्रिक टन अन्तर्देशीय क्षेत्र से और 3.48 मिलियन मीट्रिक टन समुद्री क्षेत्र से है। मत्त्यपालन क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। भारत सी-फूड निर्यातक राष्ट्रों में से एक अग्रणी राष्ट्र बन गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, इसके समुद्री उत्पाद का निर्यात 1.15 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दुष्प्रभाव के कारण बाजार की अनिश्चितता के बावजूद भी इसका मूल्य 43,717.26 करोड़ रुपए था। जहां तक वैश्विक बाजारों का प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय सी-फूड का प्रमुख आयातक रहा, जिसके चलते 24047.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर आयात मूल्य की प्राप्ति हुई जो डॉलर मूल्य के अनुसार 41.15 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2018 में भारत की कुल अनुमानित मात्स्यिकी क्षमता 22.31 मिलियन मीट्रिक टन थी जिसमें समुद्री मात्स्यिकी क्षमता 5.31 मिलियन मीट्रिक टन तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षमता 5.31 मिलियन मीट्रिक टन शामिल थी। भारत जलीय कृषि के माध्यम से मछली का प्रमुख उत्पादक देश भी है और चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन देश के कुल मछली उत्पादन का लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा है और उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर भी काफी अधिक है। देश में मछली उत्पादन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार और सतत रूप से बढ़ रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान समुद्री मात्स्यिकी क्षमता 66 प्रतिशत बढ़ी है और अंतर्देशीय मात्सियिकी क्षमता में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2000-01 में जो मत्स्य उत्पादन 5.66 मिलियन मीट्रिक टन था, वह वर्ष 2011-12 में बढ़ कर 8.67 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2020-21 में यह और अधिक बढ़कर 14.73 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। पिछले ढाई दशकों के दौरान अंतर्देशीय मात्स्यिकी के अंदर कैप्चर मत्स्यपालन से जलीय कृषि में परिवर्तन हुआ है। 1980 के मध्य में अंतर्देशीय मात्स्यिकी में ताजे जल की जलीय कृषि का जो हिस्सा 34 प्रतिशत था वह हाल के वर्षों में बढ़कर लगभग 76 प्रतिशत हो गया है।

भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र अतीत से अब तक

भारत में मत्स्यपालन की गाथा हड़प्पा सभ्यता के दिनों की याद दिलाती है। मछली, मछली व्यापार तथा मछुआरा समुदाय के संदर्भ में संगम काल (पहली से चौथी शताब्दी ईसवी) के गीतों में मिलते हैं। भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र की महत्ता और भूमिका को आधिकारिक रूप से मान्यता तब मिली जब वर्ष 1897 में भारतीय मत्स्य अधिनियम का अधिनियमन हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारत में मत्स्यपालन के विकास की आधारशिला रखी गई और देश में मत्स्यपालन के विकास और संरक्षण के प्रति राज्यों की जिम्मेदारी की रूपरेखा तैयार की गई। इस अधिनियम के माध्यम से राज्यों को मछली और मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए नियम/कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।

भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में टेलीस्कोपिक नजरिए के साथ मत्स्यपालन योजना को कैनवास पर चिन्हित किया गया जिसमें निम्नलिखित के माध्यम से समुद्री मात्स्यिकी तथा अंतर्देशीय मास्त्यिकी दोनों क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं तय की गईं -

क. देशी जलयानों का यांत्रिकरण या नई यांत्रिकृत नौकाओं को लागू किया जाना

ख. मत्स्यन बन्दरगाह सुविधाओं का विकसित किया जाना

ग. मछुआरों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति किया जाना

घ. विपणन गतिविधियों को विकसित किया जाना

ङ. आइस तथा कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान किया जाना और परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना

च. अनुषंगी पोत प्रचालन आरंभ करना

छ. पर्स-सीनर्स तथा ट्रॉलर्स जैसे विद्युत चालित बड़े जलयानों के साथ अपतटीय मत्स्यन उपलब्ध कराना

झ. मछलियों का संग्रहण

इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखकर फरवरी, 2019 में मत्स्यपालन विभाग का सृजन किया गया जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को गतिशीलता प्रदान करना तथा इस पर विशेष ध्यान देना है। इसके पश्चात जून 2019 में एक स्वतंत्र रूप से मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय का सृजन किया गया।

देश में मात्स्यिकी के लिए उपलब्ध संसाधन

भारत के पास मात्स्यिकी संसाधनों की प्रचुरता तथा विविधता है जो गहरे समुद्र से लेकर तालाबों, नदियों तक है और मछली तथा शैल-फिश प्रजातियों के संदर्भ में यह वैश्विक जैव-विविधता का 10 प्रतिशत से अधिक है। समुद्री मात्स्यिकी संसाधन देश के वृहत तटवर्ती तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और बड़े महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र के साथ फैला हुआ है। अंतर्देशीय मत्स्यपालन संसाधन नदियों तथा नहरों, बाढ़युक्त झीलों, तालाबों, जलाशयों, खारे जल, लवणीय/क्षारीय प्रभावित क्षेत्रों आदि के रूप में है।

देश के समुद्री संसाधनों में 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 0.53 मिलियन वर्ग किलोमीटर महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र और 8,118 किलोमीटर तटवर्ती क्षेत्र शामिल है। भारतीय सागरों में समुद्री मास्त्यिकी क्षमता का आकलन 5.31 मिलियन मीट्रिक टन किया गया है।

मत्स्यपालन के प्रोत्साहन हेतु संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

नीली क्रांति की उपलब्धियों को सशक्त करने और इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के अपने केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने एक नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता में महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करना, नवाचार और आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, हार्वेस्ट के बाद के बुनियादि ढांचे के प्रबंधन में सुधार करना और आधुनिक मूल्य श्रृंखला और ट्रेसबिलिटी को बढ़ावा देना, एक सुदृढ़ मत्स्य प्रबंधन और मछुआरों के कल्याण के लिए रूपरेखा स्थापित करना है। इस योजना को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

मत्स्य उत्पादों का वैश्विक व्यापार

विश्व में खाद्य वस्तुओं में मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का सर्वाधिक व्यापार होता है, जिनका कुल मत्स्य उत्पादन में से 38 प्रतिशत निर्यात होता है। 2018 में कुल निर्यात मूल्य 184 बिलियन यूएस डॉलर रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें कृषि उत्पाद (वन्य उत्पादों को छोड़कर) लगभग 11 प्रतिशत और कुल वाणिज्य व्यापार के मूल्य का लगभग एक प्रतिशत था। कुल निर्यातों का लगभग आधा विकासशील देशों से हुआ है, जिनका मछली निर्यात से शुद्ध आमदनी उनके चाय, चावल, कोको और कॉफी निर्यातों के संयुक्त मूल्य से अधिक है। इसके अलावा बाजारों के वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण विकासशील देशों की आर्थिक विकास, स्थानीय मांग में वृद्धि के साथ जलीय कृषि उपज के बढ़ते महत्व के कारण सामान्य रूप से विश्व के मास्त्यिकी क्षेत्र और विशेष रूप से मत्स्य व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ मत्स्य आपूर्ति तथा मूल्य श्रृंखला में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। जलीय कृषि में तेजी से विस्तार हुआ है और मूलभूत सुविधा, वितरण एवं पैकेजिंग में मूलभूत सुधार हुए हैं, इसके अतिरिक्त व्यापार उदारीकरण के कारण, आपूर्ति श्रृंखला में विस्तार हुआ है, जिसके कारण गुणवत्ता नियंत्रण विनियमन आवश्यक हो गया है ताकि उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद सुनिश्चित किया जा सके। समुद्री फूड में व्यापार से विकासशील देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं। संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में नौकरियों का सृजन हुआ है तथा व्यापक पैमाने पर खाद्य सुरक्षा के समाधान होने

से उन्हें काफी लाभ हुआ है।

भारत में निर्यात परिदृश्य

समुद्री उत्पादों का निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार और आय के सृजन तथा मूल्यवान विदेशी मुद्रा आमदनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में समुद्री फूड के निर्यात में चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। जिसका कुल निर्यात मूल्य 8.73 बिलियन यूएस डॉलर है जो कि कुल वैश्विक निर्यात का 4.36 प्रतिशत है। एमपीडीइए के आंकड़ों के अनुसार, भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात मूल्य 2008-09 में 8607.94 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 43720 करोड़ रुपए हो गया। कोविड-19 के कारण बाजार में आई अनिश्चितताओं के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत से 1149510 मीट्रिक टन समुद्री फूड का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 5.96 बिलियन यूएस डॉलर जोकि 43720 करोड़ रुपए के बराबर है। सरकार ने मछली उत्पादन 22 मिलियन टन करने और वर्तमान मूल्य से निर्यात दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। समुद्री उत्पाद कुल कृषि और अनुषंगी उत्पादों, जिनका भारत से निर्यात होता है का 17.63 प्रतिशत है।

निर्यात क्षेत्र में आरंभ की गई पहल

हाल के वर्षों में भारत सरकार ने सतत एवं जिम्मेदार तरीके से मत्स्य पालन क्षेत्र की समग्र क्षमता का दोहन करने के लिए अनेक पहलों को आरंभ किया है। मत्स्य निर्यात के संबंध में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं :-

क. मत्स्य उत्पादों के निर्यात को अगले पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना।

ख. नए तथा मूल्य वर्धित उत्पादों को सम्मिलित करते हुए निर्यात बास्केट का विविधीकरण करना।

ग. नवीनतम बाजारों की खोज करना तथा मौजूदा बाजारों का विस्तार करना।

घ. उच्च मूल्य के उत्पादों तथा मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना।

ङ. निर्यात के लिए जलीय कृषि प्रजातियों के विविधीकरण को बढ़ावा देना।

च. बाजार तक पहुंच को सुगम बनाने, बाजार संबंधी अड़चनों को कम करने और स्वच्छता संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए संस्थागत तंत्र की व्यवस्था करना।

छ. निर्यात के अवसरों से लाभान्वित करने के लिए मछुआरों तथा किसानों को सक्षम बनाना।

आयात और निर्यात का विनियमन/ लाइसेंस के प्रावधान

पशुधन और पशुधन उत्पादों का व्यापार जिसमें मछली/मात्स्यिकी उत्पाद शामिल हैं, का विनियमन भारत सरकार की व्यापार नीति - निर्यात आयात नीति (एक्सिम) द्वारा विनियमित की जाती है, जिसे वाणिज्य विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तथापि पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के जरिए एक्जोटिक बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इस तरह के उत्पादों के व्यापार को पशुधन आयात अधिनियम की धारा 3 और 3क के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करती है। विभाग मछली और मछली उत्पादनों के आयात तथा निर्यात संबंधित मुद्दों स्वच्छता एवं फाइटो-स्वच्छता पर निगरानी रखती है।

मछली सहित जीवित पशुओं का निर्यात निर्यात आयात नीति के अनुसार प्रतिबंधित सूची (इसे आयात करने की स्वतंत्रता नहीं है।) की श्रेणी में आता है जिसके लिए महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) से आयातक को लाइसेंस लेना होता है। डीजीएफटी मत्स्यपालन और पशुपालन विभाग की संस्तुति पर लाइसेंस जारी करते हैं। इस संबंध में जोखिम विश्लेषण और संबंधित जर्मप्लाज्म नीति के आधार पर संस्तुति पर निर्णय लेता है। केंद्रीय सरकार को पशुधन आयात अधिनियम 1898 की धारा 3 के अनुसार जीवित पशुओं के आयात को विनियमित, प्रतिबंधित और निषिद्ध करने की शक्ति प्राप्त है। पशुधन आयात अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय ने 10 जून, 2014 को अधिसूचना सा.का. 1495 (ई) और 1496 (ई) जारी की। इन अधिसूचनाओं में पशुओं की श्रेणियां जिन्हें पशुधन कहा जाए, उनके आयात तथा जीवित पशुओं की संगरोध प्रक्रियाओं के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की आवश्यकता को परिभाषित किया गया है।

निर्यात आयात नीति के अनुसार पशुधन और मछली/मात्स्यिकी उत्पादों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार को पशुधन आयात अधिनियम 1898 की धारा 3क के अनुसार पशुधन उत्पादों के आयात को विनियमित

प्रतिबंधित तथा निषिद्ध करने की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में मंत्रालय ने 17 अक्टूबर, 2015 को अधिसूचना सा.का. 2666 (ई) जारी की, जिसमें पशुधन उत्पादों एवं पशुधन उत्पादों के आयात की प्रक्रिया को बताया गया है। इन उत्पादों के आयात को मूलत: अनुमति दी जाती है और यह स्वच्छता आयात परमिट के अधीन होती है जो पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों के माध्यम से किए गए जोखिम विश्लेषण पर आधारित होते हैं जिन्हें पशुधन उत्पादों के आयात के साथ संलग्न करना होता है। विभाग पशुधन और मछली उत्पादों के लिए एसआईपी जारी करता है जो उत्पाद की प्रकृति के आधार पर एक वर्ष अथवा छ: महीने के लिए वैध होती है और विविध परेषणों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है।

सनराइज क्षेत्र के रूप में उभरा मत्स्यपालन का क्षेत्र

मत्स्यपालन एक सनराइज क्षेत्र के रूप में उभरा है और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है जो भारत में खाद्य, पोषण, रोजगार, आय और आजीविका प्रदान कर रहा है। मत्स्यपालन क्षेत्र का रूपांतरण पारंपरिक रूप से वाणिज्यिक रूप में हो गया है। वर्ष 1950-51 में जो मछली उत्पादन 0.75 मिलियन मीट्रिक टन था, वह वर्ष 2019-20 के दौरान बढ़कर 14.16 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। इस क्षेत्र ने प्राथमिक स्तर पर लगभग 16 मिलियन मछुआरों तथा मछली किसानों को आजीविका प्रदान करने के साथ ही इसकी मूल्य श्रृंखला में भी लाखों लोग लाभान्वित होते हैं। सरकार द्वारा इस क्षेत्र के प्रोत्साहन व उन्नयन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल संभावनाओं से भरपूर है।

मत्स्यपालन के लिए उपयुक्त मछलियों की प्रमुख प्रजातियां

कतला

वैज्ञानिक नाम : कतला

सामान्य नाम : कतला, भाखुर

भौगोलिक निवास एवं वितरण : कतला एक सबसे तेज बढ़ने वाली मछली है यह गंगा नदीय तट की प्रमुख प्रजाति है। भारत में इसका फैलाव आंध्रप्रदेश की गोदावरी नदी तथा कृष्णा व काबेरी नदियों तक है। भारत में आसाम बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश में सामान्यतया कतला के नाम से, उड़ीसा में भाखुर, पंजाब में थरला, आंध्र में बीचा, मद्रास मे थोथा के नाम से जानी जाती है।

पहचान के लक्षण : शरीर गहरा, उत्कृष्ट सिर, पेट की अपेक्षा पीठ पर अधिक उभार, सिर बड़ा, मुंह चौड़ा तथा उपर की ओर मुड़ा हुआ, पेट ओंठ, शरीर ऊपरी ओर से धूसर तथा पार्श्व व पेट रूपहला तथा सुनहरा, पंख काले होते हैं।

भोजन की आदत : यह मुख्यत: जल के सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है। जन्तु प्लवक इसका प्रमुख भोजन है। 10 मिली मीटर की कतला (फाई) केवल युनीसेलुलर, एलगी, प्रोटोजोअन, रोटीफर खाती है तथा 10 से 16.5 मिली मीटर की फ्राई मुख्य रूप से जन्तुप्लवक खाती है, लेकिन इसके भोजन में यदाकदा कीड़ों के लार्वे, सूक्ष्म शैवाल तथा जलीय घास पात एवं सड़ी गली वनस्पति के छोटे टुकड़ों का भी समावेश होता है।

अधिकतम साईज : लंबाई 1.8 मीटर व वजन 60 किलो ग्राम।

परिपक्वता एवं प्रजनन : कतला मछली 3 वर्ष में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेती है। मादा मछली में मार्च माह से तथा नर में अप्रैल माह से परिपक्वता प्रारंभ होकर जून माह तक पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। यह प्राकृतिक नदीय वातावरण में प्रजनन करती है। वर्षा ऋतु इसका मुख्य प्रजनन काल है।

अण्ड जनन क्षमता : इसकी अण्ड जनन क्षमता 80000 से 150000 अण्डे प्रतिकिलो ग्राम होती है, सामान्यत: कतला मछली में 1.25 लाख प्रति किलो ग्राम अण्डे देने की क्षमता होती है। कतला के अण्डे गोलाकार, पारदर्शी हल्के लाल रंग के लगभग 2 से 2.5 मि.मी. व्यास के जो निषेचित होने पर पानी में फूल कर 4.4 से 5 मि.मी. तक हो जाते हैं, हेचिंग होने पर हेचलिंग 4 से 5 मि.मी. लंबाई के पारदर्शी होते हैं।

आर्थिक महत्व : भारतीय प्रमुख शफर मछलियों में कतला मछली शीघ्र बढ़ने वाली मछली है, सघन मत्स्य पालन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, तथा प्रदेश के जलाशयों एवं छोटे तालाबों में पालने योग्य है। एक वर्ष के पालन में यह 1 से 1.5 किलोग्राम तक वजन की हो जाती है। यह खाने में अत्यंत स्वादिष्ट तथा बाजारों में उंचे दाम पर बिकती है।

रोहू

वैज्ञानिक नाम : लेबियों रोहिता

सामान्य नाम : रोहू

भौगोलिक निवास एवं वितरण : सर्वप्रथम सन् 1800 में हेमिल्टन ने इसकी खोज की तथा इसका नाम साइप्रिनस डेन्टी कुलेटस रखा बाद में नाम परिवर्तित होकर रोहिता बुचनानी, पुनः बदलकर लेबियों डुममेर तथा अंत में इसका नाम करण लेबियों रोहिता दिया गया। हैमिल्टन ने इस मछली को निचले बंगाल की नदियों से पकड़ा था। सन् 1925 में यह कलकता से अण्डमान, उड़ीसा तथा काबेरी नदी में तथा दक्षिण की अनेक नदियों एवं

अन्य प्रदेशों में 1944 से1949 के मध्य ट्रांसप्लांट की गई तथा पटना से पाचाई झील बॉम्बे में सन् 1947 में भेजी गई। यह गंगा नदी की प्रमुख मछली होने के साथ ही जोहिला, सोन नदी में भी पाई जाती है।

मीठे पानी की मछलियों में इस मछली के समान, प्रसिद्धी किसी और मछली ने नहीं प्राप्त की। व्यापारिक दृष्टि में यह रोहू या रोही के नाम से जानी जाती है। इसकी प्रसिद्ध का कारण इसका स्वाद, पोषक मूलक आकार, देखने में सुन्दर तथा छोटे बड़े पोखरों में पालने हेतु इसकी आसान उपलब्धता है।

पहचान के लक्षण : शरीर सामान्य रूप से लंबा, पेट की अपेक्षा पीठ अधिक उभरी हुई, थुंथन झुका हुआ जिसके ठीक नीचे मुंह स्थित, आंखें बड़ी, मुंह छोटा, ओंठ मोटे एवं झालरदार, अगल–बगल तथा नीचे का रंग नीला रूपहला, प्रजनन ऋतु में प्रत्येक शल्क पर लाल निषान, आंखें लालिमा लिए हुए, लाल– गुलाबी पंख, पृष्ठ पंख में 12 से 13 रेजं (कांटे) होते हैं।

भोजन की आदत : सतही क्षेत्र के नीचे जल के स्तंभ क्षेत्र में उपलब्ध जैविक पदार्थ तथा वनस्पतियों के टुकड़े आदि इसकी मुख्य भोजन सामग्री हुआ करती है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसके जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भोजन का अध्ययन किया जिसमें (वै.मुखर्जी) के अनुसार योक समाप्त होने के बाद 5 से 13 मिलीमीटर लंबाई का लार्वा बहुत बारीक एक कोशिकीय, एल्गी खाता है तथा 10 से 15 मिली मीटर अवस्था पर क्रस्टेशीयन, रोटिफर, प्रोटोजोन्स एवं 15 मिलीमीटर से ऊपर तन्तुदार शैवाल (सड़ी गली वनस्पति) खाती है।

अधिकतम साईज: अधिकतम लम्बाई 1 मीटर तक तथा इसका वजन विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा निम्नानुसार बताया गया है। वैज्ञानिक होरा एवं पिल्ले के अनुसार– प्रथम वर्ष में 675 से 900 ग्राम द्वितीय वर्ष में 2 से 3 किलोग्राम, तृतीय वर्ष में 4 से 5 किलोग्राम।

परिपक्वता एवं प्रजनन : यह द्वितीय वर्ष के अंत तक लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेती है, वर्षा ऋतु इसका मुख्य प्रजनन काल है, यह प्राकृतिक नदीय परिवेश में प्रजनन करती है। यह वर्ष में केवल एक बार जून से अगस्त माह में प्रजनन करती है।

अंडा जनन क्षमता : शारीरिक डील डौल के अनुरूप इसकी अण्ड जनन की क्षमता प्रति किलो शरीर भार 2.25 लाख से 2. 80 लाख तक होती है।इसके अण्डे गोल आकार के 1.5 मि.मी. व्यास के हल्के लाल रंग के न चिपकने वाले तथा फर्टीलाइज्ड होने पर 3 मि.मी. आकार के पूर्ण पारदर्शी हो जाते हैं। फर्टिलाईजेशन के 16–22 घंटों में हेचिंग हो जाता है (मुखर्जी 1955) के अनुसार हेचिंग होने के दो दिन पश्चात हेचिलिंग के मुंह बन जाते हैं, तथा यह लार्वा पानी के वातावरण से अपना भोजन आरंभ करना प्रारंभ कर देता है।

मृगल

वैज्ञानिक नाम : सिरहिनस मृगाला

सामान्य नाम : मृगल, नैनी, नरेन आदि

भौगोलिक निवास एवं वितरण : सर्व प्रथम वैज्ञानिकों ने इस मछली को सीप्रीनस मृगाला नाम दिया। इसके पश्चात् नाम बदलकर सिरहीना मृगाला नाम दिया गया। यह भारतीय मेजर कार्प की तीसरी महत्वपूर्ण मीठे पानी में पाली जाने वाली मछली है, इस मछली को

पंजाब में मोरी, उतर प्रदेश व बिहार में नैनी, बंगाल, आसाम में मृगल, उड़ीसा में मिरिकली तथा आन्ध्रप्रदेश में मेरिमीन के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एवं शहडोल में इसे नरेन कहते हैं। मृगल गंगा नदी सिस्टम की नदियों व बंगाल, पंजाब, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, आन्ध्र प्रदेश आदि की नदियों में पाई जाती है, अब यह भारत के लगभग सभी नदियां व प्रदेशों में जलाशयों एवं तालाबों में पाले जाने के कारण पाई जाती है।

पहचान के लक्षण : तुलनात्मक रूप से अन्य भारतीय कार्प मछलियों की अपेक्षा लंबा शरीर, सिर छोटा, बोथा थुंथान, मुंह गोल, अंतिम छोर पर ओंठ पतले झालरहीन रंग चमकदार चांदी सा तथा कुछ लाली लिए हुए, एक जोड़ा रोस्ट्रल बर्वेल ,(मूँछ) छोटे बच्चों की पूंछ पर डायमण्ड (हीरा) आकार का गहरा धब्बा, पेक्ट्रोरल, वेंट्रल एवं एवं एनल पंखों का रंग नारंगी जिसमें काले रंग की झलक, आखें सुनहरी।

भोजन की आदत : यह एक तलवासी मछली है, तालाब की तली पर उपलब्ध जीव जन्तुओं एवं वनस्पतियों के मलवे, शैवाल तथा कीचड़ इसका प्रमुख भोजन है। वैज्ञानिक मुखर्जी तथा घोष ने (1945) में इन मछलियों के भोजन की आदतों का अध्ययन किया और पाया कि यह मिश्रित भोजी है। मृगल तथा इनके बच्चों के भोजन की आदतों में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। जून से अक्टूबर माह में इन मछलियों के खाने में कमी आती देखी गई है।

अधिकतम साईज : लंबाई 99 से.मी. तथा वजन 12.7 कि.ग्राम, सामान्यत: एक वर्ष में 500-800 ग्राम तक वजन की हो जाती है।

परिपक्वता एवं प्रजनन : मृगल एक वर्ष में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेती है। इसका प्रजनन काल जुलाई से अगस्त तक रहता है। मादा की अपेक्षा नर अधिक समय तक परिपक्व बना रहता है यह प्राकृतिक नदीय वातावरण में वर्षा ऋतु में प्रजनन करती है। प्रेरित प्रजनन विधि से शीघ्र प्रजनन कराया जा सकता है।

अंडा जनन क्षमता : वैज्ञानिक झींग रन एवं अलीकुन्ही के अनुसार यह मछली प्रति किलो शरीर भार के अनुपात में 1.25 से 1. 50 लाख अण्डे देती है, जबकि चक्रवर्ती सिंग के अनुसार 2.5 किलो की मछली 4.63 लाख अण्डे देती है, सामान्य गणना के अनुसार प्रति किलो शरीर भार के अनुपात में 1.00 लाख अण्डे का आंकलन किया गया है। मृगल के अण्डे 1.5 मिली मीटर व्यास के तथा निषेचित होने पर पानी में फूलकर 4 मिलीमीटर व्यास के पारदर्शी तथा भूरे रंग के होते हैं, हेचिंग अवधि 16 से 22 घंटे होती है।

आर्थिक महत्व : मृगल मछली भोजन की आदतों में विदेशी मेजर कार्प कामन कार्प से कुछ मात्रा में प्रतियोगिता करती है, किन्तु साथ रहने के गुण होने से सघन पालन में अपना स्थान रखती है जिले के लगभग सभी जलाशयों व तालाबों में इसका पालन किया जाता है। एक वर्ष की पालन अवधि में यह 500 से 800 ग्राम वजन प्राप्त कर लेती है । अन्य प्रमुख कार्प मछलियों की तरह यह भी बाज़ारों में अच्छे मूल्य पर विक्रय की जाती है। रोहू मछली की तुलना में मृगल की खाद्य रूपान्तर क्षमता तथा मूल्य कम होने के कारण आंध्र प्रदेश में सघन मत्स्य पालन में मृगल का उपयोग न कर केवल कतला प्रजाति 20 से 25 प्रतिशत तथा रोहू 75 से 80 प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है।

कॉमन कार्प

वैज्ञानिक नाम : साइप्रिनस कार्पियो

सामान्य नाम : कॉमन कार्प, सामान्य सफर, अमेरिकन रोहू

भौगोलिक निवास एवं वितरण : कॉमन कार्प मछली मूलत:

चीन देश की है केस्पियन सागर के पूर्व में तुर्किस्तान तक इसका प्राकृतिक घर है। भारत वर्ष में कॉमन कार्प का प्रथम पदार्पण मिरर कार्प उपजाति के रूप में सन 1930 में हुआ था, इसके नमूने श्रीलंका से प्राप्त किए गए थे। इसे लाकर प्रथमत: ऊटकमंड (उंटी) झील में रखा गया था, देखते देखते मिरर कार्प देश के पर्वतीय क्षेत्रों की एक जानी पहचानी मछली बन गई। इस मछली को भारत में ऐसे क्षेत्र जहां तापक्रम बहुत निम्न होता है, वहां भोजन के लिए खाने योग्य मछली की वृद्धि के लिए लाया गया था।

कॉमन कार्प की दूसरी उपजाति स्केल कार्प भारत वर्ष में पहली बार सन् 1957 में लाई गई। जब बैंकाक से कुछ नमूने प्राप्त किए गए थे। परीक्षणों के आधार पर यह शीघ्र स्पष्ट हो गया कि यह एक प्रखर प्रजनक है, तथा मैदानी इलाकों में पालने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। आज स्केल कार्प देश के प्राय: प्रत्येक प्रान्तों मप्र एवं शहडोल के तालाबों में पाली जा रही है।

पहचान के लक्षण : शरीर सामान्य रूप से गठित, मुंह बाहर तक आने वाला सफर के समान, संघों (टेंटेकल) की एक जोड़ी विभिन्न क्षेत्रों में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इसकी शारीरिक बनावट में थोड़ा अंतर आ गया है, अत: विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में यह एशियन कार्प, जर्मन कार्प, यूरोपियन कार्प आदि के नाम से विख्यात है। साधारण तौर पर कॉमनकार्प की निम्नलिखित तीन उपजातियां उपलब्ध हैं।

1. **स्केल कार्प (साइप्रिनस काप्रियोबार कम्युनिस) :** इसके शरीर पर शल्कों की सजावट नियमित होती है।
2. **मिरर कार्प (साइप्रिनस काप्रियोबार स्पेक्युलेरिस) :** इसके शरीर पर शल्कों की सजावट थोड़ी अनियमित होती है तथा शल्को का आकार कहीं बड़ा व कहीं छोटा तथा चमकीला होता है। अंगुलिका अवस्था में एक्वेरियम हेतु यह एक उपयुक्त प्रजाति है।
3. **लेदर कार्प (साइप्रिनस काप्रियोबार न्युडुस):** इसके शरीर पर शल्क होते ही नहीं है अर्थात् इसका शरीर एकदम चिकना होता है।

भोजन की आदत :

यह एक सर्वभक्षी मछली है। कॉमनकार्प मुख्यत: तालाब की तली पर उपलब्ध तलीय जीवाणुओं एवं मलवों का भक्षण करती है। फ्राय अवस्था में यह मुख्य रूप से प्लेक्टान खाती है। कृत्रिम आहार का भी उपयोग कर लेती है।

अधिकतम साईज : भारत वर्ष में इसकी अधिकतम साईज 10 किलोग्राम तक देखी गई है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है, कि यह एक समशीतोष्ण क्षेत्र की मछली होकर भी उन परिस्थितियों में निम्न तापक्रम के वातावरण में संतोषप्रद रूप में बढ़ती है, एक वर्ष की पालन में यह 900 ग्राम से 1400 ग्राम तक वजन की हो जाती है।

परिपक्वता एवं प्रजनन : भारत वर्ष में लाए जाने के बाद तीन वर्ष की आयु में अपने आप ही ऊंटी झील में प्रजनन किया। गर्म प्रदेशों में 3 से 6 माह में ही लैगिंक परिपक्वता प्राप्त कर लेती है। यह मछली बंधे हुए पानी जैसे- तालाबों कुंडों आदि में सुगमता से प्रजनन करती है। यह हांलाकि पूरे वर्ष प्रजनन करती है, परन्तु मुख्य रूप से वर्ष में दो बार क्रमश: जनवरी से मार्च में एवं जुलाई से अगस्त में प्रजनन करती है, जबकि भारतीय मजरे कार्प वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करती है। कॉमन कार्प मछली अपने अण्डे मुख्यत: जलीय पौधों आदि पर जनती है, इसके अण्डे चिपकने वाले होने के कारण जल पौधों की पत्तियों, जड़ों आदि से चिपक जाते हैं, अण्डों का रंग मटमैला पीला होता है।

अंडा जनन क्षमता : कॉमन कार्प मछलियों की अण्ड जनन क्षमता प्रति किलो भार अनुसार 1 से 1.5 लाख तक होती हैं, प्रजनन काल के लगभग एक माह पूर्व नर मादा को अलग-अलग रखने से वे प्रजनन के लिए ज्यादा प्रेरित होती है, सीमित क्षेत्र में हापा में प्रजनन कराने हेतु लंबे समय तक पृथक रखने के बाद एक साथ रखना प्रजनन के लिए प्रेरित करता है, अण्डे संग्रहण के लिए ऐसे हापो तथा तालाबों में हाइड्रीला जलीय पोधों अथवा नारियल की जटाओं का उपयोग किया जाता है।

कॉमन कार्प मछलियों में निषेचन, बाहरी होता है। अण्डों के हेचिंग की अवधि पानी के तापक्रम पर निर्भर करती है, लगभग 2-6 दिन हेचिंग में लगते हैं तापक्रम अधिक हो तो 36 घंटों में ही हेचिंग हो जाती है। 72 घंटे में यॉक सेक समाप्त होने के पश्चात सामान्य रूप से घूमना-फिरना शुरू कर पानी से अपना भोजन लेते हैं। 5 से 10 मिलीमीटर फ्राय प्राय: जंतु प्लवक को अपना भोजन बनाती है तथा 10-20 मिलीमीटर फ्राय साइक्लोप्स, रोटीफर आदि खाती है।

आर्थिक महत्व : कॉमन कार्प मछली जल में घुमिल ऑक्सीजन का निम्न तथा कॉर्बन डाई आक्साईड की उच्च सान्द्रता अन्य कार्प मछलियों की अपेक्षा बेहतर झेल सकती है, और इसलिए मत्स्य पालन के लिए यह एक अत्यन्त ही लोकप्रिय प्रजाति है। एक वर्ष में यह औसतन 1 किलोग्राम की हो जाती है। यह आसानी से प्रजनन करती है इसलिए मत्स्य बीज की पूर्ति में विशेष महत्व है। प्रारंभ में जब यह मछली स्थानीय बाज़ारों में आई तब लोग इसे अधिक पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब देश के सभी प्रदेशों में भोज्य मछली के रूप में अच्छी पहचान बन गई है। कॉमन कार्प मछलियों का पालन पिंजरों में भी किया जा सकता है। मौसमी तालाबों हेतु यह उपयुक्त मछली है। परन्तु गहरे बारहमासी तालाबों में आखेट भरे कठिनाई तथा नित प्रजनन के कारण अन्य मछलियों की भी बाढ़ प्रभावित करने के कारण इसका संचय करना उपयुक्त नहीं माना जाता है।

ग्रासकार्प

वैज्ञानिक नाम : टीनोफैरिंगोडोन इडेला

सामान्य नाम : ग्रासकार्प

भौगोलिक निवास एवं वितरण : साइबेरिया एवं चीन देश की समशीतोष्ण जलवायु की, पेसिफिक सागर में मिलने वाली नदियां ग्रासकार्प का प्राकृतिक निवास स्थान है। यह मछली समशीतोष्ण तथा गर्म जलवायु के कई देशों में प्रत्यारोपित की गई

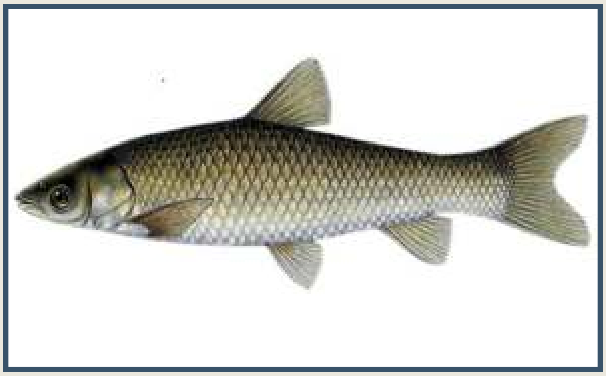

तथा अब यह उन देशों की प्रमुख भोजन मछली के रूप में जानी जाती हैं। ग्रासकार्प मूल रूप से चीन देश की मछली है, ये भारत में 22.11.1959 को हांगकांग से औसतन 5 माह आयु की 5.5 सेन्टीमीटर लम्बाई युक्त औसतन वजन 1.5 ग्राम की 383 अंगुलिकाएं प्राप्त कर लाई गई तथा भारत के केन्द्रीय अंत: स्थली मछली अनुसंधान संस्थान कटक (उड़िसा) के किला मत्स्य प्रक्षेत्र में रखी गई। यहां से आज यह भारत के समस्त प्रदेशों के जलाशयों एवं तालाबों में पाली जा रही है।

पहचान के लक्षण : शरीर लम्बा, हल्का सपाट, मुंह चौडा तथा नीचे की ओर मुड़ा हुआ, निचला जबड़ा अपेक्षाकृत छोटा, आंखें छोटी, पृष्ठ पंख छोटा, पूंछी का भाग अगल बगल से चपटा तथा फैरेजियल दांत घांस पांत खाने के योग्य बने हुए। पीठ और आजू-बाजू का रंग हल्का रूपहला (सुनहरा चमकदार) तथा पेट सफेद।

भोजन की आदत : यह मुख्यत: जल के मध्य एवं निचले स्तरों में वास करती है, तथा आमतौर पर भोजन की तलाश में तालाबों के तटबंधों के करीब तैरती फिरती है। 150 मिलीमीटर से अधिक लंबी ग्रास कार्प विभिन्न प्रकार की जलीय एवं स्थलीय वनस्पतियां, आलू, अनाज, चावल की भूसी, गोभी तथा सब्जियों के पत्ते एवं तने को खाती है । विभिन्न वैज्ञानिकों के अध्ययन के दौरान पाया गया कि ग्रासकार्प का लार्वा केवल जन्तु प्लवक खाता है, तथा 2 से 4 से.मी. लम्बाई का बच्चा बुल्फिया वनस्पति खाता है। भारत में बड़ी ग्रास कार्प मछलियों पर देखा गया कि 1 किलोग्राम मछली प्रतिदिन 2.5 किलो से 3 किलोग्राम तक हाईड्रिला वनस्पति को खा जाती है।

प्राथमिकता के आधार पर ग्रासकार्प द्वारा खाई जाने वाली जलीय वनस्पति - हाईड्रिला, नाजास, सिरेटोफाईलम, ओटेलिया, बेलीसनेरिया, यूट्रीकुलेरिया, पोटेमाजेटान, लेम्ना, ट्रापा, बुल्फिया, स्पाईरोडेला, ऐजोला आदि हैं।

अधिकतम साईज : ग्रासकार्प की वृद्धि दर मुख्यत: संचयन की दर व भोजन की मात्रा जो उसे प्रतिदिन दी जाती है पर निर्भर करती है। इसकी वृद्धि काफी तेज होती है। एक वर्ष में यह अममून 35 से 50 सेन्टीमीटर की लंबाई तथा 2.5 किलोग्राम से अधिक वजन की हो जाती है।

परिपक्कता एवं प्रजनन : ग्रास कार्प किस आयु तथा आकार में परिपक्क होती है यह भिन्नता उसके प्राकृतिक निवास तथा ट्रांसप्लांटेड निवास पर भिन्न-भिन्न है। भारत वर्ष में ग्रास कार्प नर मछली 2 वर्ष में तथा मादा 3 वर्ष में लैंगिक परिपक्कता प्राप्त कर लेती है। ग्रास कार्प वर्ष में एक ही बार प्रजनन करती है, यद्यपि रूस में तापक्रम के उतार चढ़ाव के कारण एमुर नदिय तंत्र में कुछ मछलियां पारी पारी से प्रजनन करती पाई गई हैं। आज भारत के लगभग सभी प्रदेशों में ग्रास कार्प का पोखरों में स्ट्रिपिंग विधि द्वारा प्रेरित प्रजनन कराया जा रहा है।

अंडा जनन क्षमता : इसकी अण्डजनन क्षमता औसतन प्रति किलो ग्राम भार 75000 से 100000 अण्डे तक आंकी गई है। ग्रास कार्प के अण्डों का आकार गोलाकार 1.27 मिलीमीटर व्यास जो फर्टीलाईज्ड होकर पानी में फूल कर 4.58 मिलीमीटर व्यास का हो जाता है। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हेचिंग 18 से 20 घंटे एवं 23 से 32 डिग्री सेंटीग्रेट पर होता है, हेचलिंग का आकार 5.86 से 6.05 मिलीमीटर आंका गया है। हेचिंग होने के 2 दिन बाद पीतक थैली (यॉंक सेक) पूर्णत: समाप्त हो जाता है।

आर्थिक महत्व : ग्रास कार्प मूल रूप से चीन देश की मछली है, तथा जलीय परिवेश में खर-पतवार के नियंत्रण के लिए यह विश्व के कई देशों में ले जाई गई हैं। प्रयोगों के आधार पर यह देखने में आया कि कार्प मछलियों के मिश्रित/सघन पालन प्रणाली के अंतर्गत इसका समावेश काफी लाभकारी होता है एवं जल पौधों के नियंत्रण के लिए यह काफी उपयोगी है। संवर्धन तालाबों में तालाब के क्षेत्रफल के आधार पर इसकी संचयन संख्या निर्धारित की जाती है। एक वर्ष

के पालन अवधि में उपलब्ध कराए गए भोजन के अनुरूप यह 2 से 5 किलोग्राम की हो जाती है। ग्रास कार्प का बाजार भाव अच्छा है, और ग्राहक इसे खरीदना पसंद करते हैं।

सिल्वर कार्प

वैज्ञानिक नाम : हाइपोफ्थैलमिक्थिस मॉलिट्रिक्स

सामान्य नाम : मसिल्वर कार्प

भौगोलिक निवास एवं वितरण : सिल्वर कार्प मछली चीन देश की है, भारत में इसका सर्वप्रथम 1959 में प्रवेश हुआ। जापान की टोन नदी से उपहार के रूप में 300 नग सिल्वर कार्प फिंगरलिंग औसत वजन 1.4 ग्राम तथा औसतन 5 सेन्टीमीटर

लंबाई व 2 माह आयु की मछली की एक खेप भारत में प्रथमत: केन्द्रीय अन्त: स्थलीय मछली अनुसंधान संस्थान कटक (उड़ीसा) में लाई गई। इस मछली को लाने का उद्देश्य सीमित जगह से सस्ता मत्स्य भोजन प्राप्त करना था। आज यह मध्य प्रदेश के अनेक तालाबों में पालन करने के कारण आसानी से उपलब्ध है।।

पहचान के लक्षण : शरीर अगल बगल में चपटा सिर साधारण, मुंह बड़ा तथा निचला जबड़ा ऊपर की ओर हलका मुड़ा हुआ, आंखे छोटी तथा शरीर की अक्ष रेखा के नीचे, शल्क छोटे, पृष्ठ वर्ण का रंग काला धूसर तथा बाकी शरीर रूपहला (सुनहरा) रंग का होता है।

भोजन की आदत : यह जल के सतही तथा मध्य स्तर से अपना भोजन प्राप्त करती है। वनस्पति प्लवक इसका मुख्य पसंदीदा भोजन है, इसकी भोजन नली शरीर की लंबाई से लगभग 6 से 9 गुणा बड़ी होती है। इसके लार्वा (बच्चे) 12 से 15 मिलीमीटर आकार के फ्राई, जन्तुप्लवक को अपना भोजन बनाती है, तथा बाद में यह वनस्पति प्लवक को खाती है।

अधिकतम साईज : इसकी वृद्धि दर भारतीय प्रमुख सफर मछलियों की अपेक्षा बहुत तीव्रतर है। सन् 1992-93 में मुंबई के पवई लेक में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाने के कारण बड़ी संख्या में सिल्वर कार्प मछलियां मर गईं। इन मछलियों में अधिकतम आकार वाली सिल्वर कार्प की लंबाई 1.02 मीटर तथा वजन लगभग 50 किलोग्राम था। इसकी वृद्धि प्रदेश में भी अच्छी देखी गई है। परन्तु इसकी उपस्थिति से कतला मछली की वृद्धि प्रभावित होती है।।

परिपक्वता एवं प्रजनन : चीन में यह 3 वर्षों में प्रजनन हेतु परिपक्व होती है, तथा भारत में यह 2 वर्ष की आयु में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेती है। स्ट्रिपिंग विधि द्वारा इसका प्रेरित प्रजनन कराया जाता है। इन मछलियों का प्रजनन काल, चीन में अप्रेल से प्रारंभ होकर जून तक, वर्षाकाल में नदियों में, जापान में मई जून से प्रारंभ होकर जुलाई तक, रूस में बसंत ऋतु में बहते हुए पानी की धारा में ऊपर की ओर आ कर प्रजनन करती है। भारत में सन् 1961 में रूके हुए पानी पर मार्च के मध्य में परिपक्वता की स्थिति तथा जुलाई अगस्त में पूर्ण परिपक्व होने पर प्रजनन हेतु स्ट्रिप किया गया था। प्रदेश में इसका प्रजनन काल वर्षा ऋतु में माह जून से अगस्त तक होता है।

अंडा जनन क्षमता : इसकी अण्ड जनन क्षमता औसतन लगभग एक लाख प्रति किलोग्राम भार होती है। अण्डें पानी में डूबने वाले होते हैं, इसका आकार 1.35 मिलीमीटर व निषेचित होने पर पानी में फूलकर 4 से 7 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। हेचिंग 28 से 31 डिग्री सेन्टीग्रेड पर 18 से 20 घंटे पर होता है, हेचलिंग का आकार 4.9 मिली मीटर तथा योक सेक भारतीय प्रमुख सफर के सामान दो दिनों में समाप्त हो जाता है।

आर्थिक महत्व : शीघ्र वृद्धिवाली मछलियों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सन् 1959 में जापान से लाई जाकर कटक अनुसंधान केन्द्र में रखी गई। प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है, कि भोजन संबंधी आदतों में कतला से समानता होते हुए भी पर्याप्त भिन्नताएं हैं। कार्प मछलियों के मिश्रित पालन विधि में सिल्वरकार्प एक प्रमुख प्रजाति के रूप में प्रयुक्त होती है। इसकी बाढ़ काफी तेज लगभग 6 माह के पालन में ही एक किलो ग्राम की हो जाती है। कतला की अपेक्षा सिल्वरकार्प में कांटें कम होते हैं, भारतीय प्रमुख सफर की अपेक्षा इसका बाजार भाव कम है। स्वाद के कारण भारतीय प्रमुख सफर मछलियों की तरह मत्स्य पालकों ने इसे बढ़ावा नहीं दिया।

स्त्रोत : www.dof.gov.in, www.mpfisheries.gov.in

पोल्ट्री फार्म प्रारंभ करने से संबंधित आधारभूत जानकारियां

कुक्कुट विकास भारत में एक घरेलू क्रियाकलाप रही है। सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेपों तथा निजी कंपनियों के उद्यमों से कुक्कुट पालन अब एक बहुत ही वैज्ञानिक स्वरूप में परिवर्तित हो गया है। कुक्कुट पालन पशुपालन का तेजी से बढ़ता उप-सेक्टर बना हुआ है। 20 वीं पशुधन गणना के अनुसार वर्तमान में हमारे देश में कुल पोल्ट्री आबादी 851.81 मिलियन है और वर्ष 2020-21 (अनंतिम) के दौरान अंडे का उत्पादन लगभग 122.05 बिलियन है। वर्ष 2020-21 (अनंतिम) के दौरान अंडे की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 90 है। वर्ष 2020-21 (अनंतिम) के दौरान अंडे के उत्पादन में 6.70 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

इस क्षेत्र के विकास के लिए चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई और बेंगलुरू में स्थित चार केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन घरेलू कुक्कुट पालन के लिए पक्षियों की उन्नत किस्में, जो किसानों के घर जिंदा रह सकें के विकास पर काम कर रही हैं। नस्ल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहां कड़कनाथ, असील इत्यादि जैसी देसी नस्लों का भी रखरखाव किया जाता है। इन संगठनों के द्वारा कलिंगा ब्राउन, कावेरी, छाबरो तथा छान प्रजातियों के कुक्कुट भी विकसित किए गए हैं। इसके अलावा इन संगठनों के द्वारा किसानों को मूलभूत प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के तहत किसानों/कुक्कुट उद्यमियों को ब्रूडिंग व्यवस्थाओं, फीडिंग, वाटरिंग, टीकाकरण, तापमान प्रबंधन, दवाई देना इत्यादि सहित कुक्कुट पालन के प्रैक्टीकल सत्र और प्रदर्शन तथा आहार मिल प्रबंधन तथा हैचरी प्रबंधन संबंधी टिप्स दिए जाते हैं।

पोल्ट्री फार्मिंग इकाई स्थापित करने हेतु स्थान का चयन

पोल्ट्री फार्मिंग की इकाई स्थापित करने के लिए किसी विशेष प्रकार के स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती पर यह ध्यान रखा जाना

चाहिए कि पोल्ट्री फार्म गांव या शहर से थोड़ी दूरी पर ही स्थापित किया जाए। ऐसा करने से जहां मुर्गियां प्रदूषण के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगी वहीं कुक्कुट फार्म से निकलने वाली किसी भी प्रकार की दुर्गंध गांव या शहर के रिहायशी इलाकों तक नहीं पहुंचेगी। पोल्ट्री फार्म इकाई प्रारंभ करते वक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर स्वच्छ हवा व धूप आती हो, जल का समुचित प्रबंध हो तथा वाहनों के परिवहन का भी अच्छा इंतजाम हो। इसके साथ-साथ जल निकासी की भी अच्छी व्यवस्था होना चाहिए।

मुर्गियों का चयन : पोल्ट्री फॉर्म इकाई में प्रमुखत: तीन तरह की मुर्गियों - देशी मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी, लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है।

लेयर मुर्गी : अंडा उत्पादन के लिए यह मुर्गियां सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। ये जन्म से 4 से 5 माह पश्चात् अंडे देना आरम्भ कर देती हैं, तथा 1 वर्ष की आयु तक अंडे देती रहती है। जिसके बाद इनकेमांस का विक्रय किया जा सकता है। इस मुर्गी की आयु 16 माह की होती है।

ब्रायलर मुर्गी : ये मुर्गियां मांस के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं। अन्य मुर्गियों की तुलना में यह तेजी से बढ़ती है, जिस वजह से इसे मुख्य रूप से मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है।

देसी मुर्गी : अन्य मुर्गियों की तुलना में देसी मुर्गी सबसे अच्छी मानी जाती है। इन्हें अंडे और मांस दोनों के लिए पाला जा सकता है। इस मुर्गी के अंडे और मांस की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, जिसके कारण यह अधिक कीमत पर बिकती हैं।

पोल्ट्री फॉर्म में मुर्गियों के लिए जरूरी आहार

पर्याप्त मात्रा में उचित आहार देना मुर्गियों की अच्छी वृद्धि और उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अच्छे आहार के तहत मुर्गियों को प्रोटीन, शर्करा, विटामिन, खनिज, स्नेहक और पानी की उचित मात्रा दी जानी चाहिए। स्वस्थ आहार मिलने पर मुर्गियों की वृद्धि काफी अच्छी होती है, तथा वे अंडे भी अधिक संख्या में देती हैं। मुर्गियों के आहार को घर पर भी भोजन के मिश्रण से तैयार किया जा सकता है। यदि आप घर में मिश्रण को तैयार नहीं करना चाहते, तो इस मिश्रण को आप बाजार से भी खरीद सकते हैं। अंडे देने के 48 घंटों के बाद मुर्गियों को आहार की पहली खुराक दी जानी चाहिए। इसके अलावा उनके लिए पीने योग्य साफ पानी की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए।

भारत में मुर्गियों की नस्लें (कुक्कुट नस्ल) :

भारत में कुक्कुट की कुछ प्रमुख नस्लें निम्नानुसार हैं :

असेल नस्ल : यह नस्ल भारत के उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। भारत के अलावा यह नस्ल ईरान में भी पाई जाती है जहां इसे किसी अन्य नाम से जाना जाता है। इस नस्ल का चिकन बहुत अच्छा होता है। इन मुर्गियों का व्यवहार बहुत ही झगड़ालू होता है इसलिए मानव जाति इस नस्ल के मुर्गों को मैदान में लड़ाते हैं। मुर्गों का वजन 4-5 किलोग्राम तथा मुर्गियों का वजन 3-4 किलोग्राम होता है। इस नस्ल के मुर्गे-मुर्गियों की गर्दन और पैर लंबे होते हैं तथा बाल चमकीले होते हैं। मुर्गियों की अंडे देने की क्षमता काफी कम होती है।

कड़कनाथ नस्ल : इस नस्ल का मूल नाम कलामासी है, जिसका अर्थ काले मांस वाला पक्षी होता है। कड़कनाथ नस्ल मूलत: मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस नस्ल के मीट में 25 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है जो अन्य नस्ल के मीट की अपेक्षा अधिक है। कड़कनाथ नस्ल के मीट का उपयोग कई प्रकार की दवाइयां बनाने में भी किया जाता है इसलिए व्यवसाय की दृष्टि से यह नस्ल अत्यधिक लाभप्रद है। यह मुर्गियां प्रतिवर्ष लगभग 80 अंडे देती है।

इस नस्ल की प्रमुख किस्में जेट ब्लैक, पेन्सिल्ड और गोल्डेन है।

ग्रामप्रिया नस्ल : ग्रामप्रिया को भारत सरकार द्वारा हैदराबाद स्थित अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना के तहत विकसित किया गया है। इसे ख़ास तौर पर ग्रामीण किसान और जनजातीय कृषि विकल्पों के लिये विकसित गया है। इनका वज़न 12 हफ्तों में 1.5 से 2 किलो होता है। इनके मीट का प्रयोग तंदूरी चिकन बनाने में अधिक किया जाता है। ग्रामप्रिया एक साल में औसतन 210 से 225 अण्डे देती है। इनके अण्डों का रंग भूरा होता है और उसका वज़न 57 से 60 ग्राम होता है।

स्वरनाथ नस्ल : स्वरनाथ कर्नाटक पशु चिकित्सा एवं मत्स्य विज्ञान और विश्वविद्यालय, बंगलौर द्वारा विकसित चिकन की एक नस्ल है। इन्हें घर के पीछे आसानी से पाला जा सकता है। ये 22 से 23 सप्ताह में पूर्ण परिपक्व हो जाती है और तब इनका वज़न 3 से 4 किलोग्राम होता है। इनकी प्रतिवर्ष अण्डे उत्पादन करने की क्षमता लगभग 180–190 होती है।

कामरूप नस्ल : यह बहुआयामी चिकन नस्ल है जिसे असम में कुक्कुट प्रजनन को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। यह नस्ल तीन अलग-अलग चिकन नस्लों का क्रॉस नस्ल है, असम स्थानीय (25 प्रतिशत), रंगीन ब्रोइलर(25 प्रतिशत) और ढेलम लाल(50 प्रतिशत)। इसके नर चिकन का वजन 40 हफ़्तों में 1.8 – 2.2 किलोग्राम होता है। इस नस्ल की प्रतिवर्ष अण्डे देने की क्षमता लगभग 118–130 होती है जिसका वजन लगभग 52 ग्राम होता है।

चिटागोंग नस्ल : यह नस्ल सबसे ऊंची नस्ल मानी जाती है। इसे मलय चिकन के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल के मुर्गे 2.5 फिट तक लंबे तथा इनका वजन 4.5 – 5 किलोग्राम तक होता है। इनकी गर्दन और पैर बाकी नस्ल की अपेक्षा लंबे होते हैं। इस नस्ल की प्रतिवर्ष अण्डे देने की क्षमता लगभग 70–120 अण्डे है।

केरी श्यामा नस्ल : यह कड़कनाथ और केरी लाल का एक क्रास नस्ल है। इस किस्म के आंतरिक अंगों में भी एक गहरा रंगद्रव्य होता है, जिसे मानवीय बीमारियों के इलाज के लिए जनजातीय समुदाय द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। यह ज्यादातर मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। यह नस्ल 24 सप्ताह में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है और तब इनका वज़न लगभग 1.2 किलोग्राम(मादा) तथा 1.5 किलोग्राम(नर) होता है। इनकी प्रजनन क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 85 अण्डे होती है।

झारसीम नस्ल : यह झारखंड की मूल दोहरी उद्देश्य नस्ल है इसका नाम वहां की स्थानीय बोली से प्राप्त हुआ है। ये कम पोषण पर जीवित रहती हैं और तेज़ी से बढ़ती हैं। इस नस्ल की मुर्गियां उस क्षेत्र के जनजातीय आबादी के आय का स्रोत हैं। ये अपना पहला अण्डा 180 दिन पर देती हैं और प्रतिवर्ष 165–170 अण्डे देती हैं। इनके अण्डे का वज़न लगभग 55 ग्राम होता है। इस नस्ल के पूर्ण परिपक्व होने पर इनका वज़न 1.5 – 2 किलोग्राम तक होता है।

देवेंद्र नस्ल : यह एक दोहरी उद्देश्य चिकन है। यह पुरूष और रोड आइलैंड रेड के रूप में सिंथेटिक ब्रायलर की एक क्रॉस नस्ल है। 12 सप्ताह में इसका शरीरिक वज़न 1800 ग्राम होता है। 160 दिन में ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। इनकी वार्षिक अण्डा उत्पादन क्षमता 200 है। इसके अण्डे का वज़न 54 ग्राम होता है।

भारत में पाई जाने वाली अन्य नस्लें : अंकलेश्वर, कश्मीर फेवरोला, कालास्थि, कलिंगा ब्राउन, कृष्णा-जे., कालाहांडी, कोमान, गिरिराज, कैरी गोल्ड, ग्रामलक्ष्मी, गुजरी, डांकी, घाघस, तेलीचेरी, धुमसील, डाओथीर, धनराजा, पंजाब ब्राउन, निकोबारी, फुलबनी, बुसरा, यमुना, मृत्युंजय, वंजारा, मिरी, वेजागुडा, हरींगाटा ब्लैक, हंसली आदि भारत में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख नस्लें हैं।

(नस्लों के बारे में जानकारी का स्रोत : 1 हिंदी डॉट कॉम में श्री विजय कुमार का लेख)

पोल्ट्री फार्म शुरू करने में अनुमानित लागत

लघु स्तर पर 50,000 रूपए से 1.5 लाख रुपए के बीच पोल्ट्री फार्म की इकाई शुरू की जा सकती है। मध्यम स्तर पोल्ट्री फार्म की इकाई शुरू करने के लिए, लगभग 1.5 लाख रूपए से 3.5 लाख रूपए की जरूरत होती है। वृहद पैमाने पर यह इकाई 7 लाख रुपए या अधिक राशि से शुरू की जा सकती है। राशि की व्यवस्था के लिए बैंकों एवं ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों से संपर्क किया जा सकता है।

संदर्भ /स्त्रोत : www.dahd.nic.in

प्रदेश में फल-पौध रोपणी (Fruit Plant Nursery)

स्थापित करने हेतु लायसेंस लेने की नियम एवं प्रक्रिया

मध्य प्रदेश यदि कोई भी व्यक्ति फल-पौध रोपणी (फ्रूट प्लांट नर्सरी) का कारोबार संचालित करने या चलाने का इच्छुक है तो उसे नियमानुसार अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्राप्त करना होता है। इसके लिए राज्य में मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) नियम, 2012 लागू किया गया है। इस हेतु उत्पादकों एवं विक्रेताओं पर नियंत्रण उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किया जाता है। लायसेंस प्राप्त करने हेतु नियम एवं प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित है :-

लायसेंस मंजूर किए जाने के लिए फीस : फल-पौध रोपणी के संचालन हेतु फीस सहायक संचालक, उद्यान के कार्यालय में जमा करनी होती है। फीस के संबंध में पुष्ट जानकारी उक्त कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। नियमानुसार शासकीय विभागों, शासकीय उपक्रमों जिनमें स्थानीय निकाय, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र सम्मिलित हैं, की रोपणियों के लिए कोई लायसेंस फीस देय नहीं होती।

लायसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया : फल-पौध रोपणी के संचालन हेतु रोपणी के स्वामी को निर्धारित प्रारूप में जिले के उप संचालक/सहायक संचालक कार्यालय में पदस्थ सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना होता है। यह आवेदन शासकीय रोपणी के स्वामी को भी करना होता है।

जिले के उप संचालक/सहायक संचालक कार्यालय में पदस्थ सक्षम प्राधिकारी दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त होने पर, इस बात का समाधान हो जाने पर कि दस्तावेज सभी अपेक्षाएं पूर्ण करते हैं, आवेदक को लायसेंस मंजूर कर सकते हैं।

लायसेंस की अवधि : लायसेंस की अवधि उसमें विर्निदिष्ट तारीख से तीन वर्ष की होती है।

लायसेंस का नवीकरण : फल-पौध रोपणी के स्वामी को लायसेंस के नवीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है।

जिले के उप संचालक/सहायक संचालक कार्यालय में पदस्थ सक्षम प्राधिकारी उसे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, नवीकरण फीस का भुगतान किए जाने पर, अपेक्षित कालावधि के लिए लायसेंस का नवीकरण कर सकते हैं। शासकीय फल-पौध रोपणी के स्वामी को लायसेंस के नवीकरण के लिए कोई भी फीस देय नहीं होगी। किसी भी लायसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन, विद्यमान लायसेंस के अवसान होने की तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

जिले के उप संचालक/सहायक संचालक कार्यालय में पदस्थ सक्षम प्राधिकारी, विद्यमान अनुज्ञप्ति की कालावधि के अवसान होने के पूर्व, अनुज्ञपत्ति को नवीकृत करते हैं, सक्षम प्राधिकारी नवीकरण के आवेदन को खारिज करसकते हैं और उसकी सूचना आवेदक को प्रेषित करते हैं। लायसेंस के नवीकरण का कोई भी आवेदन, लायसेंस की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाता है।

लायसेंस की दूसरी प्रति प्राप्त करने के नियम : यदि फल-पौध रोपणी स्वामी को मंजूर किया गया कोई लायसेंस गुम हो गया है, फट गया है या खराब हो गया है, चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है तो जिले के उप संचालक/सहायक संचालक कार्यालय में पदस्थ सक्षम प्राधिकारी रुपए 500/- (पांच सौ रुपए निर्धारित राशि) के भुगतान पर लायसेंस की दूसरी प्रति जारी करते हैं।

लायसेंस का निलंबन या रद्दकरण : जिले के उप संचालक/सहायक संचालक कार्यालय में पदस्थ सक्षम प्राधिकारी को यह शक्ति होती है कि वे नियमों के किसी उल्लंघन के लिए इन नियमों के अधीन दिए गए किसी लायसेंस को निलंबित या रद्द करें। परंतु सक्षम प्राधिकारी को इन नियमों के अधीन कोई कार्रवाई करने या कोई आदेश पारित करने के पूर्व लायसेंस धारक को कारण बताने का अवसर देना होगा। इसके अलावा यदि स्थान अपर्याप्त है या इससे सार्वजनिक सुरक्षा या स्वास्थ्य को खतरा होता है या असुविधा होती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लायसेंस तत्काल निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

लायसेंस और पौध आदि का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करना :- नियमानुसार फल-पौध रोपणी का स्वामी, चाहे वह निजी या शासकीय विभाग के स्वामित्व का हो, रोपणी के किसी सहजदृश्य स्थान पर, मूल लायसेंस प्रदर्शित करेगा और परिसरों में पृथक रूप से फल-पौधों के विक्रय मूल्य की सूची प्रदर्शित करेगा या चिपकाएगा।

लायसेंस हस्तांतरणीय नहीं होगा : इन नियमों के अधीन मंजूर किया गया लायसेंस हस्तांतरणीय नहीं होगा और लायसेंसधारक की मृत्यु के पश्चात वह प्रतिसंहत (Revoked) समझा जाएगा।

पौधों को सम्मिलित करने या हटाने की अनुज्ञा : यदि फल-पौध रोपणी का स्वामी, रोपणी में पौध सम्मिलित करने या रोपणी में से कुछ पौधे हटाने की वांछा करता है, तो वह सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञा के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा, सक्षम प्राधिकारी निर्धारित फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर, रोपणी का निरीक्षण करेगा या निरीक्षण कारित करवाएगा तथा समाधान हो जाने के पश्चात, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर, पौधों को सम्मिलित करने या उन्हें हटाने के लिए अनुज्ञा मंजूर करेगा। परंतु यदि लायसेंस की कालावधि का अवसान हो गया है तो अनुज्ञा मंजूर नहीं की जाएगी। रोपणी में तब तक कोई फल-पौध शामिल नहीं किया जाएगा या रोपणी से हटाया नहीं जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की सम्यक अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं कर ली गई हो।

लेबल चिपकाना/प्रदर्शित करना : लायसेंस का प्रत्येक धारक, सहजदृश्य रीति में लेबल प्रदर्शित कर, विक्रय के लिए रखे गए फल-पौधों का नाम, उसकी आयु तथा फल-पौधों की कलम के साथ मूल वृन्त (रूट स्टाक) का नाम विनिर्दिष्ट करेगा, लायसेंस का धारक, लेबल पर पौधों के प्रवर्धन (प्रोपेगेशन) की तारीख, अवसान की कालावधि, स्थानीय नाम उल्लिखित करेगा।

अभिलेख का संधारण : फल-पौध रोपणी का प्रत्येक स्वामी अधिनियम की धारा 6 द्वारा यथा अपेक्षित निर्धारित प्रारूप में तीन

रजिस्टर संधारित करेगा।

निर्देश जारी करने की शक्ति : सक्षम प्राधिकारी या संचालक, उद्यानिकी को, फल-पौधों के प्रवर्धन में प्रयुक्त किए गए रोपणी भू-खण्डों तथा मातृ वृक्षों को, कीटों, नाशकजीवों तथा पौधों को होने वाले रोगों से मुक्त रखने के प्रयोजन के लिए, रोपणियों के स्वामियों को तकनीकी निर्देश देने की शक्ति होगी।

लायसेंसधारक या उसके नामनिर्देशिती का उपस्थित रहना : नियमानुसार उस संपूर्ण समय के दौरान जिसके लिए परिसर विक्रय हेतु लोगों के लिए खुला रहे, या तो लायसेंस का धारक या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लायसेंसधारक ने नामनिर्दिष्ट किया हो, रोपणी में उपस्थित रहना होगा।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति : सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रात: 8 बजे से सायं 7 बजे के दौरान रोपणी के परिसरों में किसी फल-पौध रोपणी की स्थिति सुनिश्चित करने या उसके रोपणी कार्यों का परीक्षण करने हेतु या किसी ऐसी फल-पौध रोपणी या व्यवसाय के स्थल के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, जहां कि फल-पौधों का विक्रय किया जाता है या अधिनियम में या इन नियमों में उल्लिखित किसी अन्य प्रयोजन के लिए, प्रवेश की शक्ति होगी। रोपणी का स्वामी निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को सभी संभव सहायता देगा।

अपील : इस संबंध में अपील करने से संबंधित प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

(1) लायसेंस मंजूर करने या नवीकृत करने से इंकार करने या किसी लायसेंस को निलंबित या निरस्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर, निर्धारित प्रारूप में, संचालक उद्यानिकी या संबंधित विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। परंतु अपील प्राधिकारी 30 दिन के अवसान होने पर अपील पर विचार कर सकेगा यदि यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील फाइल करने से निवारित रहा था। लेकिन उसके द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान होने पर कोई अपील ग्राह्य नहीं की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, अपील पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(3) अपीलार्थी, अपीली प्राधिकारी के कार्यालय में फीस जमा करेगा तथा रसीद प्राप्त करेगा। मूल रसीद, अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

लायसेंस का अभ्यर्पण (सरेंडर करना) : लायसेंस सरेंडर करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित है:-(1) लायसेंस धारक, लायसेंस में विनिर्दिष्ट विधिमान्यता की कालावधि का अवसान हो जाने पर या लायसेंस के निलंबित किए जाने या रद्द किए जाने के आदेश की प्राप्ति पर, लायसेंस को सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित (सरेंडर) करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे अवसान, निलंबन या रद्दकरण के पश्चात, रोपणी के स्वामी को उसकी फल-पौध रोपणी के समापन हेतु ऐसा युक्तियुक्त समय देगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(3) सक्षम प्राधिकारी को यह शक्ति है कि वह स्वामी को यदि आवश्यक हो तो शेष कालावधि के लिए नवीन अनुज्ञप्ति जारी करे।

शास्तियां : यदि कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 3 सन 2011) के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है या किसी अधिकारी या व्यक्ति को, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में या उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का अनुपालन करने में बाधा उत्पन्न करता है, तो वह अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार कारावास से, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

संदर्भ /स्त्रोत : www.mphorticulture.gov.in

बेटियों के लिए इंदौर जिले में पहले कौशल उन्नयन प्रशिक्षण का आयोजन

उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र (सेडमैप) द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग इन्दौर के प्रायोजन में दो सप्ताह के रेडिमेड गारमेन्टस निर्माण (सिलाई) एवं हेण्ड एम्ब्रायडरी के कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन दिनांक 02.05.2022 से 19.05.2022 तक किया गया। जिसमें 30 बेटियों को एम्ब्रॉयडरी एवं 25 बेटियों को रेडिमेड गारमेन्टस निर्माण के प्रशिक्षण के साथ-साथ अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता के विकास, स्वरोजगार की स्थापना एवं विपणन कला कौशल के साथ-साथ कच्चामाल एवं मशीनरी प्रदायकर्ताओं के बारे में प्रशिक्षित किया गया एवं बाजार सर्वेक्षण करना भी सिखाया गया। बेटियों ने स्वयं अपने वस्त्रों का निर्माण एवं निर्मित वस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जिसका निरीक्षण एवं मूल्यांकन जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री एन.एस.बुदोलिया द्वारा किया गया। उन्होंने बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाने की बात कही एवं शिक्षा के साथ-साथ अपने हुनर को लगातार बढ़ाते रहने के लिए प्रेरित किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बेटियों के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीखे गए कौशल का व्यवहारिक मूल्यांकन किया गया। जिसमें बालिका चांदनी ने अपने साथी प्रशिक्षणार्थी का सूट बनाने हेतु नाप लेकर कटिंग एवं सिलाई की गुणवत्ता को दर्शाया जिसकी सभी के द्वारा सराहना की गई। श्री जय श्रीवास्तव सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम के व्यवहारिक ज्ञान के बारे में व मशीनरी कच्चामाल की व्यवस्था के बारे में बताते हुए इस तरह के हुनर को आगे बढ़ाने की बात कही गई।

एम्ब्रायडरी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बेटियों ने भविष्य में इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपनी पढ़ाई का खर्च तक अपने हुनर के दम पर निकालने की बात कही एवं शिक्षा के माध्यम से

प्रदेश में उच्च पदों पर नौकरी प्राप्त करने हेतु अध्ययन करने की बात कही। इस अवसर पर श्री आशीष गोस्वामी एवं परियोजना सुपरवाईजर आनिशा खान एवं कीर्ति वाजपेयी विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

❑**विजय चौरे,** जिला समन्वयक
सेडमैप इन्दौर एवं रतलाम

हाइडलबर्ग सीमेंट के सामाजिक दायित्व परियोजना अन्तर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण सम्पन्न

हाइडलबर्ग सीमेंट के सामाजिक दायित्व परियोजना अन्तर्गत ब्यूटी पार्लर, बैग निर्माण, एवं मोबाइल रिपेयरिंग विषय पर कुल 120 प्रतिभागियों को सेडमैप द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षणोपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को 01.06.2022 को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हाइडलबर्ग सीमेंट के एचआर हेड श्री दीपक सिंह ठाकुर एवं लेखा विभाग से श्री अनिल जायसवाल उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में श्री दीपक सिंह ठाकुर ने बताया कि कम्पनी नरसिंहगढ़ क्षेत्र के सभी युवाओं को हुनरमंद बनाना चाह रही है जिससे बेरोजगारी में कमी आए एवं दूसरों को भी रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।

श्री अनिल जायसवाल ने बताया कि एक के द्वारा स्वरोजगार स्थापना से दूसरे युवा भी स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए प्रेरित होते हैं। कार्यक्रम के अन्त में सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया एवं सेडमैप जिला समन्वयक द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया ।

❑ **पीएन तिवारी,** जिला समन्वयक
सेडमैप दमोह, मप्र

डिजिटल मार्केटिंग रचनात्मक युवाओं के लिए वर्तमान में आकर्षक करियर विकल्प

शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम में 20.01.2022 को स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना एवं क्वालिटी लर्निंग सेंटर

की अकादमिक उत्कृष्टता गतिविधियों के अंतर्गत डिजिटल मार्केटिंग विषय पर पांच दिवसीय रोजगारोन्मुखी अल्पावधि प्रशिक्षण संपन्न हुआ। समापन समारोह में वरिष्ठ अध्यापक डॉ. वाईके मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय वाते ने की। अतिथियों के स्वागत पश्चात ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर प्रो. दिनेश बौरासी ने प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं रूपरेखा से अतिथियों को अवगत कराया। तत्पश्चात सेडमैप के जिला समन्वयक श्री विजय चौरे ने प्रशिक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. वाई के मिश्र ने विद्यार्थियों को इस तरह के रोजगारपरक विषयों में अपना करियर बनाने एवं उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने भी अतिथियों के समक्ष प्रशिक्षण का फीडबैक प्रस्तुत किया। प्राचार्य डॉ. संजय वाते ने कहा की वर्तमान समय में डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र रचनात्मक युवाओं के लिए एक आकर्षक करियर विकल्प है, वह इसमें वर्क फ्रॉम होम से भी अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को इस क्षेत्र की बहुत सी तकनीकी जानकारियों से भी अवगत कराया। गुणवत्ता प्रकोष्ठ समन्वयक डॉ. भावना देशपांडे ने विद्यार्थियों को

इस क्षेत्र में निरंतर अद्यतन ज्ञान अर्जित करते रहने एवं शीघ्र ही स्वयं का कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. विजय कुमार सोनिया ने किया एवं आभार प्रदर्शन डॉ. रविकांत मालवीय द्वारा किया गया।

हाइडलबर्ग माइसेम सीमेंट के सीएसआर के तहत ड्रायविंग एवं ब्यूटी पॉर्लर ट्रेड में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न

झांसी। हाइडलबर्ग माइसेम सीमेंट इंडिया लिमिटेड जिला झांसी उत्तर प्रदेश द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रायोजित तथा उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) के द्वारा कार ड्रायविंग ट्रेड में आयोजित कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

कार्यक्रम 03 फरवरी 2022 से 03 मार्च 2022 तक संचालित किया गया, जिसमें 80 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। इसी के तहत तीन माह का ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया जिसमें 40 प्रशिक्षणार्थियों को 03 फरवरी 2022 से 03 मई 2022 तक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम मडोरा जिला झांसी में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समापन 25 जून 2022 को हाइडलबर्ग माइसेम सीमेंट इंडिया लिमिटेड के जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में किया गया। समापन अवसर पर प्लांट हेड श्री सुनील कुमार, एचआर हेड श्री अनूप सिंह पटेल, ई एंड आई हेड श्री शैलेंद्र अग्रवाल, हेड सेफ्टी श्री प्रदीप हस्तवाला, हेड सिविल श्री बीसी जैन, हेड क्यूसी श्री सौरभ सिंह, सीनियर मैनेजर एचआर श्री आशीष टंडन, हेड एमसीसी श्री रोहित पांडे एवं परियोजना समन्वयक सेडमैप भोपाल श्री एसके श्रीवास्तव आदि अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सीनियर मैनेजर एचआर श्री आशीष टंडन द्वारा किया गया। सभी अतिथियों का आभार प्रदर्शन जिला समन्वयक सेडमैप ग्वालियर श्री शिवप्रेम दोहरे द्वारा किया गया। जिला समन्वयक श्री शिवप्रेम दोहरे को प्लांट हेड श्री सुनील द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।

शास. मो.ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर में रोजागारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

शास. मो.ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर में 14.06.2022 से 24.06.2022 तक चलने वाले दस दिवसीय अल्पावधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना उच्च शिक्षा मप्र शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें शासकीय मो.ह.गृह विज्ञान एवं विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर में बंधेज, बाटिक, ब्लॉक प्रिंटिंग एवं स्क्रीन प्रिंटिंग विषय पर छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) के सहयोग से दिया गया, जिसमें प्रमुख ट्रेनर की भूमिका इसी महाविद्यालय की पूर्व छात्रा रचना अग्रवाल ने निभाई। इसमें छात्राओं को स्वरोजगार प्रारंभ करने की पूरी जानकारी विभिन्न विषय विशेषज्ञ श्री एस.एल.कोरी, श्री अजय तिवारी, श्री प्रभात कन्नौजे आदि के द्वारा दी गई, जिसमें उद्यम प्रारंभ करने में आने वाली समस्याओं से लेकर प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने की जानकारी छात्राओं को दी गई। प्रायोगिक सत्र में डॉ. रचना अग्रवाल द्वारा बंधेज के रंग तैयार करने, डाई करना, गांठे

बांधने की कला, स्क्रीन बनाना एवं ब्लॉक और स्क्रीन द्वारा रंग/डिजाइन तैयार करना एवं बनाए हुए मोटिफ से उत्पाद बनाना भी छात्राओं को सिखाया गया।

इस कार्यक्रम के समापन सत्र में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. नंदिता सरकार एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागीय नोडल अधिकारी डॉ. अरूण शुक्ल द्वारा की गई साथ ही उद्यमिता विकास केंद्र मप्र, जबलपुर के श्री एस.एल.कोरी, श्री अजय तिवारी एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. राजलक्ष्मी त्रिपाठी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रहीं। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. नंदिता सरकार द्वारा कार्यक्रम की उपयोगिता के संदर्भ में छात्राओं को स्टार्टअप तैयार करने और उत्पादन बनाकर बेचने हेतु मंच देने हेतु प्रतिबद्धता बताई गई। डॉ. अरूण शुक्ल जी ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को स्वावलंबन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास आज की महती आवश्यकता है, कोई भी ज्ञान या शिक्षा कभी बेकार नहीं होती। सभी अतिथियों द्वारा सरकार के विजन उद्यमिता को बढ़ावा देना और युवाओं को कौशल देकर सशक्त बनाने के बारे में बताया गया। सभी ने छात्राओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रशंसा की। मंच से छात्राओं को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में उद्यमिता विकास केंद्र मप्र के जिला समन्वयक श्री अजय तिवारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वय महाविद्यालय की योजना प्रभारी डॉ. ज्योति जैन द्वारा किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉ. भावना शर्मा का पूर्णरूपेण योगदान रहा।

शास. महाकौशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर में कॅरियर मेला संपन्न

उच्च शिक्षा विभाग मप्र शासन की मंशानुसार विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु उच्च शिक्षा विभाग मप्र शासन स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय,

जबलपुर में एक दिवसीय जिला स्तरीय कॅरियर अवसर मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैप्टन एसके भारद्वाज ने कहा कि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर, रोजगार प्राप्त करें या स्वरोजगार स्थापित कर दूसरों को रोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनें। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार से

आत्मनिर्भर बनाना है। प्राचार्य डॉ. एसी तिवारी द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई।

प्रो. अरूण शुक्ल, संभागीय नोडल अधिकारी, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना, जबलपुर संभाग ने बताया कि कॅरियर अवसर मेले में कक्षा 12वीं से स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थियों हेतु प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें 350 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से पंजीयन कराया। यशस्वी ग्रुप द्वारा जस्ट डायल, एसएसपी, पेटीएम, मेंग्रम, रेडी फाउंडेशन, कुलोदय टेक्नोपैक एवं अन्य कंपनियों के एचआर द्वारा 330 विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिनमें से 139 विद्यार्थियों का चयन प्रथम चरण हेतु हुआ। कॅरियर अवसर मेले में हितकारिणी महिला महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन स्टॉल के माध्यम से किया गया। उक्त कॅरियर मेला जिला केंद्र पर स्थापित उद्यमिता विकास केंद्र मप्र (सेडमैप) जबलपुर के सहयोग से कराया गया।

इस अवसर पर डॉ. राजलक्ष्मी त्रिपाठी, जिला नोडल अधिकारी श्री अजय तिवारी-सेडमैप, डॉ. राजेश शामकुंवर द्वारा विद्यार्थियों को कॅरियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। श्री योगेंद्र चौहान यशस्वी ग्रुप द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव में विशेष योगदान दिया गया। उक्त कार्यक्रम कोविड-19 हेतु जारी गाइडलाइन के अनुरूप किया गया।

उद्यानिकी कृषकों की सहायता के लिए

मप्र में संचालित प्रमुख योजनाएं

अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि किसी भी देश/प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की गति कृषकों के उत्थान से ही संभव हो सकती है, जिसके लिये प्रदेश के विकास में उद्यानिकी एक सशक्त माध्यम है। प्रदेश फल, फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में आत्मानिर्भर होकर देश में अग्रणी उत्पादक की भूमिका अदा करें, इस हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विकासोन्मुमखी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश की उद्यानिकी संपदा में वृद्धि करने के लिये संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है कि प्रदेश में उद्यानिकी, फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ-साथ उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं वितरण, सब्जियों, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उन्नत बीज/कंद उपलब्ध हो सकें, साथ ही कृषकों को उनके उत्पादों के फसलोत्तर प्रबंधन, परिरक्षण एवं विपणन की जानकारी मिल सके।

भोजन में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति, कृषकों की आय बढ़ाने एवं निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ-साथ पर्यावरण में सुधार की दृष्टि से भी उद्यानिकी फसलों का बहुत महत्व है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य एवं पोषण आहार के लिए प्रतिदिन फल, सागभाजी एवं मसालों की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को पोषण आहार जैसे-फल, सब्जी, मसाले आसानी से उपलब्ध हो सकें, इसकी पूर्ति हेतु विभाग उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ-साथ उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि तथा भण्डारण एवं विपणन की अधोसंरचना विकास हेतु संकल्पित होकर अपने लक्ष्यों, की पूर्ति की ओर अग्रसर है।

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश वासियों को संतुलित पोषण आहार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 12 फरवरी, 1982 को राज्य शासन द्वारा कृषि विभाग के अधीन उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने की दिशा में एवं कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम को मिलाकर, कृषि विभाग से पृथक कर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन किया गया है, जिसकी अधिसूचना 22 दिसम्बर, 2005 को जारी की गई है।

विभाग द्वारा संचालित राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

उद्यानिकी अंतर्गत फल, साग-सब्जी , मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा प्रसंस्करण हेतु कार्य किया जाता है। इनके विकास हेतु विभाग द्वारा कृषकों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

1. फल पौध रोपण अनुदान योजना : योजनांतर्गत प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों द्वारा ड्रिप सहित/ड्रिप रहित/सामान्य दूरी/उच्च/अति उच्च/घनत्व के फल पौध रोपण कराने पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 03 वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में दिए जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4.00 हेक्टेयर के लिए अनुदान देय है।

योजना का उद्देश्य : प्रदेश में फल पौध क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना।

कार्यक्षेत्र : यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू है।

चयनित फसलें : योजना में कृषकों को आम, अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू एवं अंगूर, टिशुकल्चर पद्धति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी एवं केला, संकर बीज से उत्पादित मुनगा, पपीता एवं नींबू फसलों पर अनुदान की पात्रता है।

स्वरूप : हितग्राही को कम से कम 1/4 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर तक एक बार में अथवा खण्ड-खण्ड में रोपण पर अनुदान की पात्रता होगी। फलदार फसलों पर स्वयं के साधन से रोपण करने पर एवं बैंक ऋण पर भी प्रावधान अनुसार अनुदान देय होगा।

पात्रता : सभी वर्ग के कृषक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।

हितग्राही चयन की प्रक्रिया : योजनांतर्गत हितग्राही चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित है :-

1. कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
2. योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जाएगा।
3. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
4. हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किए जाने वाले फलों में होनी चाहिए।
5. सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता

अनुदान की पात्रता : निर्धारित मापदंड अनुसार 40-50 प्रतिशत अनुदान सहायता 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में देय है।
(राशि रु. में)

क्र.	घटक	अनुदान सहायता का प्रतिशत	ड्रिप रहित		ड्रिप सहित	
			प्रति हे. इकाई लागत	अनुदान सहायता (60:20:20)	प्रति हे. इकाई लागत	अनुदान सहायता (60:20:20)
1	सामान्य दूरी	40-50	60000	30000	100000	40000
2	उच्च घनत्व	40%	100000	40000	150000	60000

है। वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।

6. कृषकों को नवीन भूमि पर अथवा खाद्यान्न फसलों के स्थान पर फलोद्यान विकसित करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

संपर्क : योजना का लाभ लेने के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.वि. अधि. से संपर्क किया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन : पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन www.mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन हेतु दस्तावेज : फोटो, आधार, खसरा नंबर, बी1, वन पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र।

फल पौध रोपण योजना : आम किस्म तोतापरी का अति उच्च् सघनता में रोपण करने पर प्रथम वर्ष में 24,000/- प्रति एकड़ अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना जिला नर्मदापुरम, बैतूल एवं हरदा में वर्ष 2019-20 से क्रियान्वित है।

2. सागभाजी क्षेत्र विस्तांर योजना : सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना को संशोधित कर वर्ष 2019-20 से नए स्वरूप में लागू किया गया है। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत (प्रमाणित उन्नत/संकर बीज) सब्जी फसलों में सामान्य वर्ग हेतु बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- रूपए प्रति हेक्टेयर तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बीज की लागत का 70 प्रतिशत अधिकतम 14,000/- रूपए प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा, अनुदान देय होगा। जड़ एवं कंद वाली व्यावसायिक फसल आलू एवं अरबी उत्पादन हेतु सामान्य वर्ग हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30,000/- रूपए प्रति हेक्टेयर तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के रोपण सामग्री की लागत का 70 प्रतिशत अधिकतम 42,000/- रूपए प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा, अनुदान देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

उद्देश्य : गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के माध्यम से चुनिंदा सब्जी फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना।

कार्यक्षेत्र : यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू है।

चयनित फसलें : खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, कमल गट्टा, सिंघाड़ा, बीज वाली समस्त सब्जी फसलें एवं अरबी आदि।

स्वरूप : योजना का स्वरूप निम्नानुसार निर्धारित है :-

1. योजनांतर्गत केवल उन्हीं कृषकों को सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो वर्तमान में सब्जियों की खेती कर रहे हैं।
2. वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कृषक भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
3. योजनांतर्गत अनुदान एक कृषक को केवल एक ही बार देय होगा।
4. कृषक पहली बार जितने क्षेत्रफल में चाहे खेती कर सकता है परंतु अनुदान न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए देय होगा।

पात्रता : सभी वर्ग के कृषक इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

हितग्राही चयन की प्रक्रिया : योजनांतर्गत हितग्राही की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित है :-

1. कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
2. योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जाएगा।
3. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
4. सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के

हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। ऑनलाईन एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

5. वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।

संपर्क : योजना का लाभ लेने के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.वि.अधि. से संपर्क किया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन : पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन हेतु दस्तावेज : फोटो, आधार, खसरा नंबर, बी1, वन पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र।

3. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना : मसाला क्षेत्र विस्तार योजना को संशोधित कर वर्ष 2019-20 से नए स्वरूप में लागू किया गया है। बीज मसाला फसलों (मिर्च, धनिया, मेथी, करायल (कलोंजी, जीरा और अजवाइन) में सामान्य वर्ग हेतु बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- रूपए प्रति हेक्टेयर तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु बीज की लागत का 70 प्रतिशत अधिकतम 14,000/- रूपए प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली व्यावसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु रोपण सामान्य वर्ग हेतु सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000/- रूपए प्रति हेक्टेयर तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु सामग्री की लागत का 70 प्रतिशत अधिकतम 70,000/- रूपए प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

उद्देश्य : गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के माध्यम से चुनिंदा मसाला फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना।

कार्यक्षेत्र : यह योजना प्रदेश के संपूर्ण जिलों में लागू है।

चयनित फसलें : बीजवाली मसाला फसलें एवं कंद/प्रकंद वाली हल्दी एवं अदरक।

स्वरूप : योजना का स्वरूप निम्नानुसार निर्धारित है :-

1. योजनांतर्गत केवल उन्हीं कृषकों को मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो वर्तमान में मसालों की खेती नहीं कर रहे हैं।
2. यह योजना सभी वर्गों के लिए लागू होगी।
3. वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त कृषक भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
4. योजनांतर्गत अनुदान एक कृषक को केवल एक ही बार देय होगा।
5. कृषक पहली बार जितने क्षेत्रफल में चाहे खेती कर सकता है परंतु अनुदान न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए देय होगा।

पात्रता : सभी वर्ग के कृषक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

हितग्राही चयन प्रक्रिया : योजनांतर्गत हितग्राही की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित है :-

1. कृषक को आधार नंबर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
2. योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जाएगा।
3. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
4. सामान्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। ऑनलाईन एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
5. वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।

संपर्क : योजना का लाभ लेने के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि. से संपर्क किया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन : पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन हेतु दस्तावेज : फोटो, आधार, खसरा नंबर, बी1, वन पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र।

4. घरेलू बागवानी (किचन गार्डन) की आदर्श योजना : राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने

वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अन्तर्गत उनकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर प्रति हितग्राही को सब्जी बीजों के पैकेट/पौधे नि:शुल्क वितरित किए जाने का प्रावधान है।

उद्देश्य : गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे लघु/सीमांत किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को ताजी, पौष्टिक सब्जी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वयं की बाड़ी में सब्जी उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना, अतिशेष को बेचकर आय बढ़ाना, घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना, बेकार हो जाने वाले पानी का उपयोग करना आदि इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं।

कार्यक्षेत्र : यह योजना प्रदेश के संपूर्ण जिलों में लागू है।

चयनित फसलें : भिण्डी, बरबटी, गिलकी, करेला, कद्दू, लौकी एवं पालक आदि।

स्वरूप : योजनांतर्गत प्रमाणित सब्जी बीजों के पैकेट प्रदाय किए जाते हैं।

पात्रता : सभी वर्ग के कृषक इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।

अनुदान की पात्रता : योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे लघु, सीमान्त किसानों तथा खेतीहर मजदूर परिवारों की सर्वेक्षित सूची में नाम शामिल होना आवश्यक है। इसके अलावा हितग्राही के आवास के आसपास बाड़ी की भूमि होना आवश्यक है।

हितग्राही चयन प्रक्रिया : योजनांतर्गत हितग्राही का चयन 10 मई तक किया जाता है। हितग्राही की सूची लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तैयार कर अनुमोदित कराई जाती है। बाद के नाम प्रतीक्षा सूची में रहते हैं।

संपर्क : योजना का लाभ लेने के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.वि.अधि. से संपर्क किया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन : पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन हेतु दस्तावेज : फोटो, आधार, खसरा नंबर, बी1, वन पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र।

5. उद्यानिकी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण योजना : योजनांतर्गत संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अधीन पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नई तकनीक के विषय में जानकारी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं रिफ्रेसर कोर्स आयोजित किए जाते हैं तथा राज्य के बाहर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

6. कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य कार्य : उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को प्रदेश के अंदर तथा प्रदेश के बाहर भ्रमण कराकर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	घटक	दर
1	प्रदेश के अंदर भ्रमण एवं प्रशिक्षण	रूपए 1000/- प्रति कृषक प्रति दिवस
2	प्रदेश के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण	रूपए 1500/- प्रति कृषक प्रति दिवस
3	नवीन तकनीक के अवलोकन हेतु कृषकों को एक्सपोजर विजिट	रूपए 1500/- प्रति कृषक प्रति दिवस

उद्देश्य : देश एवं विभिन्न प्रदेशों में कृषकों को भ्रमण करा कर उद्यानिकी की उच्च तकनीकी से अवगत कराना।

कार्यक्षेत्र : यह योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है।

स्वरूप : योजनांतर्गत किसानों को देश तथा प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करा कर उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की ओर आकर्षित किया जाता है।

पात्रता : सभी वर्ग के कृषक इस योजनांतर्गत लाभ लेने के पात्र हैं।

अनुदान की पात्रता : उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले सभी वर्ग के कृषक इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।

हितग्राही चयन प्रक्रिया : योजनांतर्गत उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले एवं उन्नत कृषकों का चयन उपलब्ध बजट के अनुसार किया जाता है।

संपर्क : योजना का लाभ लेने के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.

वि.अधि. से संपर्क किया जा सकता है।

7. व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना : योजना का उद्देश्य यह है कि संरक्षित खेती अंतर्गत विशेष प्रकार के निर्मित पाली हाऊस/शेडनेट हाउस ढांचे में गैर मौसम में भी खेती कर उच्च मूल्य की गुणवत्तायुक्त पुष्प एवं सब्जियों का अधिक उत्पादन लेकर कृषक अधिक आमदनी प्राप्त कर सके, तथा गुणवत्तायुक्त पुष्प एवं सब्जियां वर्षभर उपभोक्ता को उपलब्ध हो सके।

योजना में एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय

क्र.	घटक	इकाई	निर्धारित इकाई लागत (रु. में)	इकाई लागत पर अनुदान %	अनुदान राशि (रु. में)	रिमार्क
	ग्रीन हाउस ढांचा					
(I)	**ए-पंखा तथा पैड प्रणाली**					
	i- प्रति कृषक 500 वर्ग मीटर तक	वर्ग मीटर	1650	50	825.00	
	ii- प्रति कृषक 1008 वर्ग मीटर तक	वर्ग मीटर	1456	50	732.50	
	iii- प्रति कृषक 2080 वर्ग मीटर तक	वर्ग मीटर	1420	50	710.00	
	iv- प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक	वर्ग मीटर	1400	50	700.00	
	बी- ट्यूब्लर ढांचा					
	i- प्रति कृषक 500 वर्ग मीटर तक	वर्ग मीटर	1060	50	530.00	
	ii- प्रति कृषक 1008 वर्ग मीटर तक	वर्ग मीटर	935	50	467.50	
	iii- प्रति कृषक 2080 वर्ग मीटर तक	वर्ग मीटर	890	50	445.00	
	iv- प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक	वर्ग मीटर	844	50	422.00	
(ii)	**छायादार जाली गृह (शेडनेट हाउस)**					
	i- ट्यूब्लर ढांचा	वर्ग मीटर	710	50	355	प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक
	ii- लकड़ी का ढांचा	वर्ग मीटर	492	50	246.00	प्रति कृषक 200 वर्ग मीटर की इकाई तक
	iii- बांस का ढांचा	वर्ग मीटर	360	50	180.00	प्रति कृषक 200 वर्ग मीटर की 20 इकाई तक
(iii)	प्लास्टिक मल्चिंग	हेक्टेयर	32000	50	16000.00	प्रति कृषक 2 हेक्टेयर तक
(iv)	i-बड़ी सुरंग (वाक इन टनल)	वर्ग मीटर	600	50	300.00	प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक
	ii- प्लास्टिक टनल	वर्ग मीटर	60	50	30.00	प्रति कृषक 800 वर्ग मीटर तक
(v)	**पक्षी रोधी/ओला रोधी जाली**	वर्ग मीटर	35	50	17.50	प्रति कृषक 5000 वर्ग मीटर तक
(vi)	पॉली हाउस/शेडनेट में उगाई गई उच्च कोटि की सब्जियों की खेती और रोपण सामग्री की लागत	वर्ग मीटर	140	50	70.00	प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक
(vii)	पॉली हाउस/शेडनेट में उगाए गए उच्च कोटि के फूलों की खेती और रोपण सामग्री की लागत					
	i- आर्चिड एवं एन्थूरियम	वर्ग मीटर	700	50	350.00	प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक
	ii- कारनेशन एवं जरबेरा	वर्ग मीटर	610	50	305.00	प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक
	iii- रोज एवं लिलियम	वर्ग मीटर	426	50	213.00	प्रति कृषक 4000 वर्ग मी.

समिति (एन.सी.पी.ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्राईंग डिजाइन के अनुसार ग्रीनहाऊस, शेडनेट एवं प्लास्टिक लो–टनल इत्यादि के निर्माण हेतु कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है।

कार्यक्षेत्र : यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू है :–

चयनित फसलें : ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, उच्च कोटि की सब्जी एवं उच्च कोटि के पुष्प।

कृषक की पात्रता : योजनांतर्गत सभी वर्ग के कृषक सहायता के पात्र हैं।

स्वरूप : योजनांतर्गत निर्मित घटक पॉली हाऊस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि की इकाई लागत पर कृषकों को विभाग द्वारा संचालित केंद्र/राज्य योजनांतर्गत प्रावधानित अनुदान 50 प्रतिशत की दर से तालिका के अनुसार विभिन्न घटकों पर देय होगा।

हितग्राही की चयन प्रक्रिया : योजनांतर्गत हितग्राही की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित है :–

1. कृषक का भू–स्वामी होना आवश्यक है।
2. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
3. सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक–पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।
4. वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।
5. कृषक को अपने हिस्से की अंशपूंजी की व्यवस्था स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी। बैंक ऋण से स्वीकृत प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. एक परिवार के एक से अधिक सदस्य योजना सीमा तक लाभ ले सकेंगे बशर्ते वे धारित भूमि के स्वामी हों एवं उनके पृथक–पृथक खसरा नम्बर संधारित हों।
7. योजना का लाभ एक बार लेने के उपरांत 05 वर्ष तक उसी घटक में पुन: लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी।

संपर्क : योजना का लाभ लेने के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.वि.अधि. से संपर्क किया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन : पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन हेतु दस्तावेज : फोटो, आधार, खसरा नंबर, बी1, वन पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र।

8. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना : उद्यानिकी फसलों की खेती के उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, अत: ऐसे कृषकों को योजनान्तर्गत यंत्रवार इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम निम्नानुसार अनुदान दिया जाता है:

क्र.	यंत्र का नाम	अधिकतम अनुदान राशि
1	पोटेटो प्लांटर/डिगर	30,000 रू.
2	गार्लिक/ओनियन प्लांटर/डिगर	30,000 रू.
3	ट्रेक्टर माउण्टेड ऐरोब्लास्ट स्प्रेयर	75,000 रू.
4	पावर आपरेटेड प्रूनिंग मशीन	20,000 रू.
5	फागिंग मशीन	10,000 रू.
6	मल्च लेईंग मशीन	30,000 रू.
7	पावर टिलर	75,000 रू.
8	पावर वीडर	50,000 रू.
9	ट्रेक्टर विथ रोटावेटर (अधिकतम 20 एच.पी.)	1,50,000 रू.
10	आनियन गार्लिक मार्कर	500 रू.
11	पोस्ट होल डिगर (अर्थ आगर)	50,000 रू.
12	ट्री प्रूनर	45,000 रू.
13	प्लांट/हेज ट्रिमर	35,000 रू.
14	मिस्ट ब्लोअर	30,000 रू.
15	पावर स्प्रे पम्प	25,000 रू.
16	ट्रेक्टर आपरेटेड वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर	50,000 रू.
17	हेन्ड हेल्ड वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर	750 रू.

9. औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना : योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने हेतु 0.25 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक लाभ देने का प्रावधान है। विभाग द्वारा आंवला, अश्वगंधा, बेल, कोलियस, गुड़मार, कालमेघ, सफेद मुसली, सर्पगंधा, शतावर एवं तुलसी की फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु भारत सरकार की गाईड लाईन में निर्धारित लागत मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है।

उद्देश्य : योजना का उद्देश्य गुणवत्तायुक्त अधिक उपज देने वाली, अल्प अवधि वाली औषधीय एवं सुगंधित प्रजातियों

का क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है।

कार्यक्षेत्र : यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित है।

चयनित फसलें : बेल, सर्पगंधा, कालमेघ, सफेद मुसली, आंवला, अश्वगंधा, सतावर, तुलसी, कोलियस, गुड़मार एवं स्टीविया।

स्वरूप : योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने पर न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम दो हेक्टेयर का लाभ देने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा में औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती पर अनुदान पात्रता अनुसार देय है।

कृषक की पात्रता : सभी वर्ग के कृषक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

अनुदान की पात्रता : हितग्राही कृषक को औषधीय एवं सुगंधित फसल उत्पादन पर निम्नानुसार अनुदान देय है :-

क्र.	फसल	लागत मापदण्ड प्रति हे. रु. में	अनुदान पात्रता % में	अनुदान की राशि रु. में
1.	आंवला	65,000	20	13,000
2.	अश्व गंधा	25,000	20	5,000
3.	बेल	40,000	50	20,000
4.	कोलियस	43,000	20	8,600
5.	गुड़मार	25,000	20	5,000
6.	कालमेघ	25,000	20	5,000
7.	सफेद मूसली	3,12,500	20	62,500
8.	सर्पगंधा	62,500	50	31,250
9.	शतावर	62,500	20	12,500
10.	तुलसी	30,000	20	6,000

हितग्राही चयन प्रक्रिया : योजनांतर्गत हितग्राही चयन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित है :-

- कृषक को आधार नंबर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
- योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जाएगा।
- हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
- सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक-पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। ऑनलाईन एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
- वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।

संपर्क : योजना का लाभ लेने के लिए जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व उ.वि.अधि./ग्रा.उ.वि.अधि. से संपर्क किया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन : पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन हेतु दस्तावेज : फोटो, आधार, खसरा नंबर, बी1, वन पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र।

10. फल, सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना : इंदौर में स्थापित फल सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र में फल एवं सागभाजी के परिरक्षित पदार्थ जैसे जेम, जैली, अचार, मुरब्बा, शरबत, केन्डी एवं अन्य परिरक्षित पदार्थ तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक सत्र में 30 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

11. शासकीय रोपणियों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण : विभाग द्वारा प्रदेश के 52 जिलों में कुल 300 रोपणी/प्रक्षेत्र/पार्क संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से अधिकतम रोपणियों की स्थापना 30-35 वर्ष पूर्व की गई थी। रोपणियों में उच्च गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री उत्पादन की क्षमता में वृद्धि एवं रोपणी/प्रक्षेत्र/पार्क के उन्नयन की महती आवश्यकता है।

शासकीय रोपणियों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण अंतर्गत विभाग की 100 नर्सरियों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 20 रोपणियों के उन्नयन का प्रावधान है, जिसमें रोपणियों में मूलभूत अधोसंरचनाओं को सुदृढ़ किया जाकर उच्च गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री के उत्पादन में वृद्धि की जाएगी।

12. मौसम आधारित फसल बीमा योजना : प्रदेश में कृषकों की उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु वर्ष 2013-14 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत खरीफ की फसलें-बैंगन, प्याज, टमाटर, केला, पपीता, मिर्च एवं संतरा तथा रबी मौसम की फसलें-आलू, टमाटर, बैगन, प्याज पत्तागोभी, फूलगोभी, हरी मटर, धनिया, लहसुन, आम, अंगूर एवं अनार फसलें शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से मौसम आधारित फसल बीमा हेतु

प्रतिशत प्रीमियम कृषक द्वारा एवं शेष प्रीमियम का 25 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र की सीमा तक 50:50 केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है तथा 25 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र की सीमा से अधिक प्रीमियम दर आने पर उक्त अतिरिक्त राशि भी राज्य शासन द्वारा वहन की जाती है। योजना के मापदण्डों के अनुरूप मौसम के निर्धारित घटकों में विचलन आने पर कृषकों को क्लेम देय होता है।

13. उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना: मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 - खाद्य प्रसंस्ककरण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता 06.08.2016 को लागू हुई, जिसके तहत कृषको/उद्यमियों को उनकी उपज का समुचित मूल्य मिलने के साथ ही रोजगार भी सृजित हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता की मार्गदर्शिका के अनुसार निम्न गतिविधियों पर निम्नानुसार अनुदान का प्रावधान था।

क्र.	नाम गतिविधि	अनुदान सहायता प्रति इकाई अधिकतम
1.	विद्युत खपत सहायता	रू. 1.00 प्रति विदयुत इकाई की दर से राशि
2.	प्रमाणीकरण प्राप्ति करने पर प्रतिपूर्ति	50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 5.00 लाख
3.	शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रतिपूर्ति	50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 5.00 लाख
4.	परिवहन पर प्रतिपूर्ति	परिवहन पर व्यय की गई राशि के 30 प्रतिशत के दर से अधिकतम 10.00 लाख प्रति वर्ष
5.	लागत पूंजी अनुदान	25 प्रतिशत, अधिकतम राशि रू. 2.50 करोड़
6.	मेगा फूड पार्क	15 प्रतिशत, अधिकतम राशि रू. 5.00 करोड़
7.	फूड पार्क	50 प्रतिशत, अधिकतम राशि रू. 5.00 करोड़

म.प्र. उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता 06.08.2016 से निरंतर है नीति के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन कर सुसंगत दस्तातवेजों को परीक्षण उपरांत (प्रथम एवं द्वितीय किश्त) अनुसार ही अनुदान सहायता देय है। बैंक ऋण स्वीकृति उपरांत ही आवेदन की गणना अनुसार अनुदान सहायता देय एवं प्लांट एवं मशीनरी की अधिकतम राशि 10.00 करोड़ के ही आवेदन मान्य किए जाते हैं।

14. उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना : खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु नवीन नीति वर्ष 2016 में स्वीकृत कराई गई जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। नश्वर उत्पादों की भण्डार क्षमता में वृद्धि हेतु प्याज भण्डारण गृह निर्माण की विशेष योजनान्तर्गत 2 वर्षों में 5 लाख मी. टन शीतगृह भण्डारण एवं कृषकों के प्रक्षेत्र में 5 लाख मी. टन प्याज भण्डारण क्षमता वृद्धि तथा 500 कोल्ड रूम निर्माण की योजना स्वीकृत कराई गई।

इस रणनीति के तहत प्याज भण्डारण की क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 137225 मीट्रिक टन क्षमता के प्याज गृह निर्मित हो चुके हैं। इस प्रकार अभी तक कुल क्षमता 2.75 लाख मीट्रिक टन विकसित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 3.028 लाख मीट्रिक टन क्षमता के प्याज भण्डार गृह निर्माणाधीन हैं।

नश्वर उत्पादों के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज हेतु 02 वर्षों में 5 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 3.32 लाख मीट्रिक टन क्षमता विकसित हुई है।

ब. केंद्र पोषित/केंद्र प्रवर्तित योजनाएं

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन : केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत की सहायता वाली एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2005-06 से लागू है तथा वर्तमान में प्रदेश के 40 जिले मिशन में शामिल हैं। चयनित जिलों की सूची निम्नानुसार है :

1.भोपाल	2. बैतूल	3. होशंगाबाद	4. सागर
5. जबलपुर	6. छिंदवाड़ा	7. उज्जैन	8. शाजापुर
9. मंदसौर	10. रतलाम	11.देवास	12.इंदौर
13.धार	14. झाबुआ	15.खरगौन	16.खण्डवा
17.मण्डला	18. डिण्डोरी	19.बुरहानपुर	20.बड़वानी
21. रीवा	22. सतना	23. हरदा	24. राजगढ़
25. गुना	26. नीमच	27. ग्वालियर	28. छतरपुर
29. सीहोर	30. विदिशा	31. सीधी	32. अलीराजपुर
33. सिंगरौली	34.अशोकनगर	35. रायसेन	36. दमोह
37. पन्ना	38. टीकमगढ़	39. दतिया	40. आगर-मालवा

उद्देश्य : इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- मिशन अवधि में उद्यानिकी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन दो गुना

करना।

- मिशन के अंतर्गत चयनित 40 जिलों में आम, आंवला, संतरा, अमरूद, अनार, सीताफल, बेर, केला, पपीता, धनियां, अदरक, हल्दी, लहसुन, मिर्च, एवं पुष्प फसलों का विकास करना।
- उच्च, प्रजाति के पौधे के उत्पादन एवं वितरण के लिए बड़ी एवं छोटी मॉडल रोपणीयों की स्थापना।
- पौध रोपण अधोसंरचना का विकास।
- प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देना।
- संरक्षित खेती अंतर्गत पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस का निर्माण एवं प्लास्टिक मल्चिंग को बढ़ावा।
- फसलोत्तर प्रबंधन प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, निर्यात की सुविधाओं के विस्तार के लिए अंधोसंरचना विकास करना।
- आधुनिक तकनीकी का कृषकों को प्रशिक्षण
- उद्यानिकी फसलों पर कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से अनुसंधान।

फोकस फसलें

फल : आम, संतरा, अमरूद, आंवला, पपीता, केला एवं अनार,

मसाले : धनियां, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन

पुष्प : कट फ्लावर, बल्बस फ्लावर, लूज फ्लावर

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- केन्द्र प्रवर्तित माइक्रोइरीगेशन योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में शामिल किया जाकर योजना का नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के घटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप'' (माइक्रोइरीगेशन) किया गया है।
- योजना का उद्देश्य कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र तथा उत्पादन एवं उत्पादकीय गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है।
- योजना में प्रत्येक हितग्राही को कम से कम 0.4 हेक्टर एवं अधिकतम 5.00 हेक्टर तक लाभ दिया जा सकता है।
- योजनान्तर्गत कृषकों को यह स्वतंत्रता है कि विभाग में पंजीकृत सिस्टम निर्माता कंपनियों से सीधे अपनी इच्छानुसार सिस्टम का मोलभाव कर सिस्टम क्रय कर सकते हैं।

योजनांतर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना करने पर कुल लागत का निम्नानुसार प्रतिशत में अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

क्र	कृषक श्रेणी वर्ग	योजनान्तर्गत प्रावधानित अनुदान केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)	योग
1	लघु/सीमांत कृषक अ.जा./अ.ज.जा./सा.	33	22	55
2	बड़े कृषक अ.जा./अ.ज.जा./सा.	27	18	45

स. अन्य योजनायें

5. मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी अधिनियम (विनियमन) नियम 2010 का क्रियान्वयन:- म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 04 जनवरी 2011 के द्वारा जारी मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी अधिनियम (विनियमन) नियम 2010 प्रदेश में लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत फलदार वृक्षों के पौधे उत्पादन एवं विक्रय हेतु विभाग द्वारा लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) जारी की जाती है। जिससे प्रदेश के बागवानी करने वाले कृषकों को उच्च गुणवत्ता के पौधे प्राप्त हो सकें। इस हेतु अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादकों एवं विक्रेताओं पर विभाग द्वारा नियत्रंण किया जाता है।

6. बीज अधिनियम का क्रियान्वयन : म.प्र. शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा म.प्र. राजपत्र दिनांक 5 जनवरी 2007 में प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक - 6 में आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किए गए बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उद्यानिकी फसलों के बीजों के लिए समस्त उप/सहायक संचालक उद्यान/परियोजना अधिकारी उद्यान को अपने- अपने जिले के लिये अनुज्ञापन (लाइसेंस) अधिकारी एवं निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। बीज अधिनियम के प्रावधान अनुसार विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों के प्रदेश में विक्रय किए जाने वाले बीजों की गुणवत्ता पर नियंत्रण किया जाता है।

मध्यप्रदेश

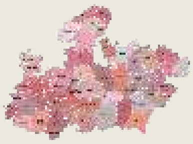

औद्योगिक परिदृश्य

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एग्रीस्टेक संचालन समिति गठित

भोपाल, गुरूवार, जून 30, 2022। कृषकों को प्राप्त होने वाली सेवाओं का लाभ कृषक डिजिटली प्राप्त कर सकें एवं कृषि कार्यों से होने वाले लाभों में भी वृद्धि की संभावना को देखते हुए

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा Agristack Digital Agriculture विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। एग्रीस्टेक विकसित किए जाने के लिए आई.टी. सिस्टम एवं डाटाबेस 31 मार्च 2023 तक तैयार किया जाना है। इसकी प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति गठित की है। समिति के सदस्य सचिव आयुक्त भू-अभिलेख होंगे। समिति में अपर मुख्य सचिव, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव राजस्व, वाणिज्यिक कर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

उद्योगों में स्थानीय युवाओं के नियोजन को दें प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल, बुधवार, जून 29, 2022। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उद्योगों की स्थापना और पुरानी औद्योगिक इकाइयों के कार्य विस्तार के समय स्थानीय युवाओं के नियोजन पर प्राथमिकता से विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा निवेश संवर्धन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना पर उद्योग नीति के प्रावधानों के अनुसार भरपूर सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों में जनजाति बहुल क्षेत्रों में जनजाति वर्ग के पात्र बेटे-बेटियों को रोजगार का अवसर दिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान 29 जून, 2022 को निवास पर निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्थापित होने वाली नवीन इकाइयों को प्रावधान अनुसार दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में नीमच जिले के भीमपुरा में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सात हजार करोड़ रूपए की लागत से देश में अपनी तरह के दूसरे संस्थान की स्थापना और धार जिले के मनावर में सीमेंट संयंत्र की इकाई के विस्तार सहित अन्य निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बताया गया कि मनावर संयंत्र की लागत 975 करोड़ रूपए है। वर्तमान में संयंत्र से एक हजार व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। इकाई के विस्तार होने पर 300 अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीति अंतर्गत आवश्यक सुविधाएं देने के निर्देश प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय कुमार शुक्ला को दिए।

उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमैप), इंदौर

द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजित किये जाने वाले

शुल्क आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	शुल्क आधारित प्रशिक्षण का नाम	तिथि	अवधि	प्रशि. संख्या	शुल्क प्रति प्रशिक्षणार्थी	आवेदन की अंतिम तिथि
1.	आयात –निर्यात प्रबंधन एवं प्रपत्रीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	25.07.2022 to 29.07.2022	05 Days	30	1500	23.07.2022
2.	कुकिंग बेकिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम	26.08.2022 to 30.08.2022	05 Days	30	1000	24.08.2022
3.	सोलर उर्जा आधारित उद्योग एवं व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम	26.09.2022 to 30.09.2022	05 Days	30	1500	23.09.2022
4.	रेडिमेड गारमेन्ट्स निर्माण	01.09.2022 to 30.11.2022	03 Month	30	3000	30.10.2022
5.	रसायन उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	18.10.2022 to 22.10.2022	05 Days	30	1500	17.10.2022
6.	डिजिटल एवं सोशल मीडिया मार्केटिंग	25.11.2022 to 29.11.2022	05 Days	30	1500	23.11.2022
7.	बेसिक्स ऑफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग	02.11.2022 to 31.01.2023	03 Month	30	3000	1.11.2022
8.	आयात –निर्यात प्रबंधन एवं प्रपत्रीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	17.12.2022 to 21.12.2022	05 Days	30	1500	15.12.2022
09.	उत्पाद आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम	01.01.2023 to 12.01.2023	2week	30	1500	30.12.2022
10.	डिजिटल एवं सोशल मीडिया मार्केटिंग	27.01.2023 to 31.01.2023	05 Days	30	1500	24.01.2022
11.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं पैकेजिंग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम।	20.02.2023 to 24.02.2023	5 Days	**30**	**1000**	17.02.2023
12.	कम्प्यूटर फण्डामेन्टल (Data Entry, Photoshop, Ms Office, Hindi English Typing)	01.02.2023 to 30.03.2023	02 Month	30	2000/-	30.01.2022

संपर्क करें-

विजय चौरे, जिला समन्वयक

उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्यप्रदेश शासन के अधीन)

द्वितीय तल, कार्पोरेट बिल्डिंग, रेडीमेड गारमेंट कॉम्पलेक्स, परदेशी पुरा, इंदौर (म.प्र.)

फोन: 0731-2574775, 0755-4000918 **ई-मेल : vinayakv1@yahoo.com**

वेबसाईट : www.cedmapindia.mp.gov.in**मो. 9827214711, 8319267042**

स्वरोजगार स्थापना में बनें सहभागी

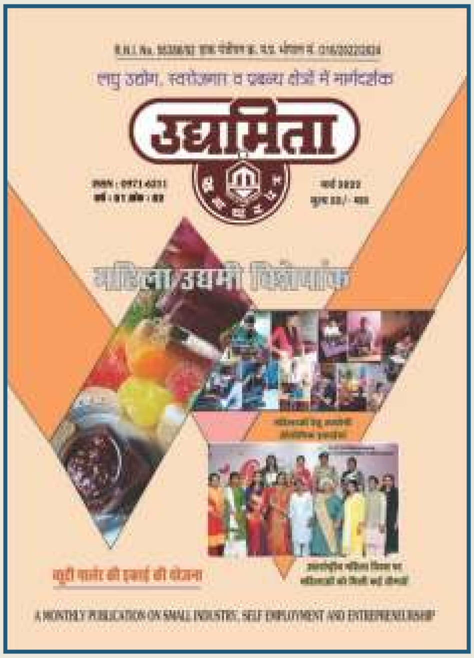

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले लेखों जानकारियों का सादर स्वागत है।

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रचार

बढ़ाएगा आपका व्यापार

संपादकीय एवं व्यावसायिक संपर्क

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन)

16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011 म.प्र.

फोन : 0755 - 4000914 **ई-मेल :** cedmapusp@rediffmail.com

वेबसाइट : www.cedmapindia.mp.gov.in

स्वामी उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप), भोपाल के लिए आर.के. सेक्यूप्रिंट प्रा.लि. पिपलानी, भोपाल मप्र द्वारा मुद्रित और **उमाशंकर दुबे, उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप), भोपाल** द्वारा प्रकाशित तथा आर.के. सेक्यूप्रिंट प्रा.लि. पिपलानी, भोपाल से मुद्रित और **उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)**, 16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 मध्यप्रदेश से प्रकाशित। संपादक : **उमाशंकर दुबे**